ई–मेल

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांक BR/ IR/ NLRMP/ F-126/Phase-2/ / 5665

दिनांक – 6/9/16

प्रमुख सिस्टम एनालिस्ट
एवं प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर,
राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र,
राजस्थान राज्य ईकाई, कमरा नम्बर 318
उत्तर पश्चिम खण्ड, सचिवालय, जयपुर।

विषय – जमाबन्दी रजिस्टरेशन में समस्याओं के निस्तारण के संबंध में

प्रसंग – आपका पत्र क्रमांक 4525 दिनांक 23.08.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र से आपके द्वारा अवगत कराया है कि एक खातेदार के एक खसरे का हिस्सा (यथा हिस्सा 1/2 स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा उनियारा एवं हिस्सा 1/2 बैंक ऑफ बडौदा शाखा उनियारा) एक से अधिक बैंकों के नाम रहन दर्ज होने पर उक्तानुसार दोनों बैंकों के नाम हिस्सानुसार रहन दर्ज करने का प्रावधान सॉफ्टवेयर में है।

साथ ही आपके द्वारा एक खातेदार के एक खसरे का पूर्ण हिस्सा पूर्व में ही किसी बैंक के नाम रहन दर्ज है तो इस खसरे को रहन मुक्त किये से पूर्व अन्य बैंक के नाम रहन दर्ज करने का प्रावधान सॉफ्टवेयर में नहीं है की जानकारी देते हुए भू-अभिलेख नियमों में उक्तानुसार रहन मुक्त होने से पूर्व अन्य बैंक के नाम रहन दर्ज करने का प्रावधान की जानकारी चाही गई है।

इस संबंध में राजस्थान भू0 अभिलेख नियम 1957 के नियम 135(1) में प्रावधान है जिसकी प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(जुल्फिकार बेग मिर्जा)
निबन्धक,
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

134. [illegible] के लिए यह सही है कि [illegible] के लिए एक [illegible] ऐसा एक तथ्य इस बात पर कि [illegible] है, नामांतरण की आज्ञा दी जानी चाहिये। किन्तु पक्षकारों में कोई विवाद पैदा होने की दशा में जांच करने वाले अधिकारी को इस आधार पर नामांतरण के लिए मना करना चाहिए कि [illegible] नहीं किया गया है एवं वह कार्यवाही पर रोक लगा चाहिए कि वह, तहसील मिसलदारी में लंबित चाहे [illegible] होने पर या इस तथ्य की रिपोर्ट किसी एक पक्ष द्वारा प्राप्त होने पर नामांतरण रजिस्टर में नया इन्द्राज करे।

135. बंधक रहन – (1) सभी बंधक और उप-बंधक चाहे प्रासंगिक हो या कब्जे सहित, चाहे लम्बी अवधियों अथवा कम अवधियों के लिए सम्पादित किए हो एवं चाहे दस्तावेज द्वारा अथवा जबानी करार पर किये गये हों, नामांतरण रजिस्टर में दर्ज किए जाने चाहिये। ऐसे बंधकों के मोचन (Redemption) भी दर्ज किए जाने चाहिये। पूर्वगामी के बंधक पर बंधक धनराशि की वृद्धि के मामले में नामान्तरण रजिस्टर में दर्ज नहीं किये जाने चाहिये। ऐसे मामलों में यदि तहसीलदार की सम्मति हो कि वांछित नामांतरण के कारण भू-राजस्व तथा काश्तकारी अधिनियम के किसी सुसंगत प्रावधान की अवहेलना होगी या उसे टाल दिया जायेगा, तो उसे नामांतरण, उस पर कोई आज्ञा दिये बिना, कलक्टर को उपर्युक्त अधिनियमों के अधीन उसमें निहित शक्तियों के स्वविवेकानुसार प्रयोग के लिए भेजना चाहिये। किन्तु अन्य मामले जो केवल बंधक धन राशि बढ़ाने के हों जो अन्यथा अनरिवर्तित रहे नामान्तरण रजिस्टर में दर्ज नहीं किये जाने चाहिये। यह निश्चयपूर्वक जानने की सावधानी रखनी चाहिये कि रहन रखी गई जमीन पर खेती किस प्रकार की जाती है एवं जमीन की पैदावार को किस तरह काम में लाई जाती है, रेवेन्यू अथवा लगान कौन देता है। रहन की दूसरी शर्तों की खास तौर पर जांच करने की जरूरत नहीं है, किन्तु रहन की धनराशि, जैसी कि वह रहन रखने वाले द्वारा मानी गई है, नामान्तरण रजिस्टर के खाना 14 में लिखी जानी चाहिये। प्रासंगिक रहन (Collateral Mortgages), यद्यपि वे रजिस्टर में दर्ज हों, सिर्फ जमाबन्दी के वैकियत के खाने में लिखे जाते हैं। जमीन जो पहले से ही रहन रखी हुई हो कभी कभी रहन रखने वाले द्वारा किसी तीसरे व्यक्ति के पास इस शर्त पर रहन रख दी जाती है कि उक्त तीसरे व्यक्ति द्वारा पहले के रहन का मोचन किया जाएगा। यह दूसरा रहन प्रासंगिक रहन के रूप में समझा जाएगा, एवं तत्पश्चात् कब्जे सहित नया रहन उस समय स्वीकार किया जाना चाहिये जब जमीन का मोचन दूसरे रहन रखने वाले द्वारा किया जाये। कब्जा सहित (उप-बंधक) कब्जे सहित रहन माना जाता है।

(2) किसी पेशगी के पुनः भुगतान की जमानत के रूप में सरकार के पास बंधक रखी गई जमीन के बारे में नामांतरण दर्ज किया जाना चाहिए। यदि उसी जमानत पर दूसरा कर्ज लिया जाय तो नया नामान्तरण दर्ज करना जरूरी नहीं है।

(3) '[× × × ×] लोपित

136. मामले जिनमें नामान्तरण आज्ञा में यह अवश्य बताया जाना चाहिये कि हस्तान्तरण में शामलात का अंश शामिल है या नहीं – [illegible] बिक्री, उपहार या विनिमय (exchange) द्वारा हस्तान्तरण का सवाल है यह बताना जरूरी है कि जमीन के साथ शामलात का अंश जाता है या नहीं, एवं इसलिए नीचे दिखी हुई हिदायतों का इस विषय में पालन किया जाए।

(1) बिक्री उपहार अथवा रहन के मामलों में नामान्तरण की आज्ञा में यह उल्लेख चाहिये कि शामलात का अंश मुन्तकिली में सम्मिलित है या नहीं। विनिमय के मामले साधारणतया मुन्तकिली में सम्मिलित नहीं किया जाता है। इसलिये इसके सम्बन्ध में कुछ नहीं करना चाहिये सिवाय ऐसे मामले में जबकि वह विशिष्ट तौर पर सम्मिलित किया गया उसके सम्मिलित किए जाने के तथ्य का उल्लेख नामान्तरण की आज्ञा में करना चाहिये

(2) यदि बिक्री, उपहार अथवा रहन द्वारा हस्तान्तरण की लिखित में यह विनिर्दिष्ट बताया गया हो कि शामलात का अंश जमीन के साथ हस्तान्तरित किया गया है, तो यह चाहिये कि शामलात हस्तान्तरित नहीं किया गया है।

'135 (3) भू-सम्पदा धारक द्वारा खेती करने के अधिकारों को रहन से व्यवहारों के अन्तर्गत अधिकारों की अवाप्ति सम्मिलित है अतः ऐसे मामलों (म्यूटेशन) दर्ज किया जाना चाहिए।'

(3) जहां विरासत, उपहार या रहन का नामांतरण शामलात के किसी अंश से शामलात खाता नामांतरण में दर्ज किया जाना चाहिए ताकि शामलात के हिस्सेदार जमाबन्दी में सही रूप से दर्ज किया जा सके।

(4) '[.....] लोपित

'[137. पटवारी द्वारा कोई ऐसा नामांतरण दर्ज नहीं किया जाना चाहिये और निरीक्षक द्वारा उसे प्रमाणित किया जाना चाहिये जिससे राजस्थान काश्तकारी अधिकतम सीमा अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम, अध्यादेश अथवा नियम उल्लंघन होता हो। भू-अभिलेख निरीक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह अधिनियमों के किन्हीं उल्लंघनों को उपदर्शित कर दे और यदि ऐसा कोई उल्लंघन पाया रद्दकरण की सिफारिश करनी चाहिए। नामांतरण अनुप्रमाणन प्राधिकारी का भी यह ऐसे नामांतरणों को जो प्रवृत्त विधि के उल्लंघन में ही रद्द कर दे।]

138. अनुपस्थित व्यक्तियों का अधिकार – (1) जब किसी अधिकारी जिसको अधिकार अभिलेख अथवा वार्षिक अभिलेख में 'गैर हाजिर अथवा गैर का किया गया है सात साल में भी पता न चले परन्तु उसका नाम इस प्रकार से 12 तक न दर्ज किया जाय, तो पटवारी मामले को अपने नामांतरण रजिस्टर में दर्ज रिपोर्ट तहसीलदार के पास करेगा।

(2) जब किसी अधिकारधारी के बारे में, जिसको अधिकार अभिलेख अथवा दर्ज किया गया है चाहे वह उसमें गैरहाजिर (अनुपस्थित) अथवा कब्जा रहित वर्णित हो अथवा नहीं उन लोगों को पांच साल तक पता न चले जिनके द्वारा या [illegible] नामान्तरण की तस्दीक करने वाला अधिकारी (जब [illegible] निरीक्षक [illegible] हो) [illegible] गया है एवं तद्नुसार आज्ञा [illegible]

E-Mail 3
612

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांक :- राज/ [illegible] /NIRMP [illegible] /26 /Phase-2 / दिनांक :-

प्रमुख प्रणाली विश्लेषक,
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र,
राजस्थान राज्य ईकाई, कमरा नं0 [illegible]
उत्तर पश्चिम खण्ड,
शासन सचिवालय, जयपुर।

विषय :- जमाबन्दी रोग्रिगेशन कार्य में आ रही समस्याओं के संबंध में।
क्रमांक :- जिला कलक्टर (भू0अ0) स0मा0 का पत्रांक 14267 दिनांक 21.11.2016

महोदय,

जमाबन्दी रोग्रिगेशन कार्य के संबंध में जिला कलक्टर स0माधोपुर द्वारा प्रासंगिक पत्र प्रेषित कर अवगत कराया है कि जमाबन्दी रोग्रिगेशन कार्य में निम्न समस्याआएं आ रही है :-

1. सॉफ्टवेयर में संबंध बाल विकल्प में पुत्रवधू व पौत्र नहीं है जबकि ग्राम उदेईकलां(ब) खाता सं. 246,247 में पुत्रवधू व ग्राम अरानेया के खाता संख्या 230,231,232,234 में पोत्र संबंध है।
2. प्रायोगिक पांच ग्राम जलोखरा, खूंटला की ढाणी, बाढ भॉवता, कोटड, खेडाबाढरामगढ का डाटा उपलब्ध नहीं होने के कारण बाद [illegible] वैकलिस्टों के अनुसार शुद्धि किया जाना सम्भव नही हो पा रहा है।
3. प्रपत्र पी--21सी में जमाबंदी [illegible] का विकल्प नही है यदि पूर्व में कोई खाता विलोपित हो गया है तो उस खाता संख्या का क्या होगा जैसे ग्राम नन्दपुरा का खाता सं0 4 व 145 नहीं है नवीन बने खाते संस्थागत खाता के बाद ही रहेंगे।
4. प्रपत्र पी–21 सी में विकल्प सूची में काश्तकार का विभाजन माड्यूल के बाद समस्त विकल्प कियाशील नही है जिससे ग्राम [illegible] गोश्वारा व खसरा इन्डेक्स नही लगेंगे।
5. तहसील के कुल [illegible] ग्रामों की [illegible] जमाबन्दियां है। कुल 87 जमाबन्दी में से 77 बाद जांच प्राप्त हो चुकी है। [illegible] प्रायोगिक ग्रामों के अतिरिक्त 72 जमाबन्दियों में शुद्धि की जाकर प्रिन्ट पटवारियान को जारी की जा चुकी है।
6. सॉफ्टवेयर से प्राप्त सूचना के अनुसार तहसील में कुल खाते 19414 है जिनमें अपवादित खाते खाते 1760 है। प्रायोगिक ग्रामों के खाते व अपवादित खातें अनुमानित है। दिनांक 14.10.2015 के पश्चात कुछ अपवादित खातों का जरिये शुद्धि पत्र प नामा0 द्वारा शुद्ध किया गया है लेकिन अवशेष अपवादित खाते अपवादित [illegible] व जमाबंदी फाईनल कर दी जावेगी।
7. तहसील का जमाबंदी रोग्रिगेशन कार्य दिनांक 14.10.2016 के बैकअप पर किया गया है। उक्त दिनांक के बाद से आवश्यक [illegible] लगभग तेरह माह के दौरान फैसल नामा0 का अमल किया प्रकार किया जावेगा। इस संबंध में मार्गदर्शन चाहा है।

पत्र की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

Sd/-
(सुरेश कुमार सिंधी)
उप--निबन्धक(भू0अ0)
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर

क्रमांक :- राज/ [illegible] /2021 दिनांक :- 21-12-16
प्रतिलिपि :- जिला कलक्टर, स0 माधोपुर को प्रासंगिक के कम में एनआइसी, जयपुर से सम्पर्क कर समस्या का समाधान करवाने हेतु प्रति प्रेषित है।

(सुरेश कुमार सिंधी)
उप--निबन्धक(भू0अ0)
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

No. BOR/LR/NLRMP/F- / / दिनांक:

प्रमुख प्रणाली विश्लेषक एवं प्रोजेक्ट कॉर्डिनेटर DILRMP,
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र,राजस्थान
राज्य ईकाई, कमरा नम्बर 318,
उत्तर पश्चिम खण्ड, सचिवालय, जयपुर।

विषय :– जमाबन्दी सेग्रिगेशन कार्य में आ रही समस्याओं के संबंध में।
प्रसंग :– जिला कलक्टर (भू0अ0) जोधपुर का पत्रांक 15780 दिनांक 21.12.2016 एवं कलक्टर (भू0अ0) चूरू का पत्रांक 8007–09 दिनांक 28.12.2016(प्रतियां संलग्न)

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत जिला कलक्टर(भू0अ0) जोधपुर द्वारा प्रासंगिक से अवगत कराया है कि जिले की मॉडल तहसील फलौदी के समस्त 146 ग्रामों की जमाबंदियों का सेग्रिगेशन कार्य किया जा कर संबंधित पटवारियों द्वारा सेग्रिगेटेड जमाबंदियों की जांच करवाकर त्रुटियों को कम्प्यूटर जमाबंदी में दुरूस्त करवा दिया गया हैं। जमाबंदी सेग्रिगेशन कार्य में 31.10.2015 तक के नामान्तरकरणों का अमल किया गया है। तहसील फलोदी ऑनलाईन तहसील है तथा 89 ग्राम पी–21 सी के तहत ऑनलाइन थे। तहसीलदार फलौदी ने सेग्रिगेशन प्रकिया में 01.11.2015 से आज दिनांक तक के नामान्तरकरणों का अमल करने के लिये सॉफ्टवेयर उपलब्ध करवाने का निवेदन किया है। तहसील हतु सॉफ्टवेयर उपलब्ध करवाए जाने के साथ–साथ रिसोर्स परसन पटवारी को प्रशिक्षण प्रदान करवाने हेतु लिखा है।

प्रासंगिक पत्र से चाहा गया वांछित सॉफ्टवेयर कलक्टर (भू0अ0) जोधपुर को उपलब्ध करवाने का श्रम करावे।

कलक्टर(भू0अ0) चूरू द्वारा प्रासंगिक पत्र से अवगत कराया है कि जिले की मॉडल तहसील के रूप में चूरू तहसील का चयन किया है तहसीलदार चूरू द्वारा अवगत कराया है कि सेग्रिगेटेड जमाबंदियों के फाईनल प्रिन्ट में खसरा इन्डेक्स एवं गोश्वारा नहीं है, जिसके कारण जमाबदी मिलान कार्य मुश्किल हो रहा है, फाईनल प्रिन्ट में खसरा इन्डेक्स शामिल किये जाने से जमाबदी की हार्ड कापी को पटवारीगण द्वारा काम में लेते समय सुविधा रहेगी वहीं गोश्वारा से सम्पूर्ण ग्राम के भौगोलिक क्षेत्रफल किस्मवाईज मिलान की पुष्टि हो सकेगी।

इस संबंध में जमाबन्दी प्रिन्ट में खसरा इन्डेक्स व गोश्वारा आवश्यक प्रावधान सॉफ्टवेयर में करवाने का श्रम करावें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

Sd/-
(विनीता श्रीवास्तव)
निबंधक,
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

क्रमांक :– राम/सम/101
दिनांक :– 18-1-17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–
जिला कलेक्टर (भू.अ.) जोधपुर व चूरू को प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में प्रमुख प्रणाली विश्लेषक, एनआईसी, जयपुर से सम्पर्क कर समस्या का समाधान करवाने हेतु प्रेषित है।

(सुरेश कुमार सिंधी)
उप–निबन्धक(भू0अ0)
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

E-Mail
363

meeting pro

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

No. BOR/LR/NLRMP/F-126/2017/ 447 दिनांक: 28-2-17

प्रमुख प्रणाली विश्लेषक एव प्रोजेक्ट कॉर्डिनेटर DILRMP,
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र,राजस्थान
राज्य ईकाई, कमरा नम्बर 318,
उत्तर पश्चिम खण्ड, सचिवालय, जयपुर।

विषयः— जमाबन्दी सेग्रिगेशन कार्य में चैक लिस्ट में जातियों का केटेगरी के अनुसार अंकन करने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत अवगत कराया कि जमाबन्दी सेग्रिगेशन कार्य में चैक लिस्ट में जातियों का केटेगरी (SC/ST/OBC व अन्य) के अनुसार अंकन नही होने से जांच में समस्या आ रही है तथा कार्य में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है। चैक लिस्ट में जातियों का केटेगरी (SC/ST/OBC व अन्य) के अनुसार अंकन हो जाता है तो यह सुविधापूर्वक रहेगा।

इस संबंध में निर्देशानुसार चेक लिस्ट में पृथक से कॉलम बना कर उपरोक्त प्रावधान कर दिया जावे किन्तु अन्तिम प्रिन्ट में नही दर्शायी जावे।

निबंधक,
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर
दिनांक :—

क्रमांक :— राम/सम/ 446
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:—
1. आयुक्त, भू—प्रबन्ध विभाग एवं नोडल अधिकारी, DILRMP जयपुर।

Sd/-
उप—निबन्धक(भू0अ0)
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

E-Mail (6)

139 DILRMP

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

No. BOR/LR/NLRMP/F-126/2015/ 67 दिनांक: 15-01-18

तकनीकी निदेशक एवं प्रोजेक्ट कॉर्डिनेटर DILRMP,
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र,राजस्थान
राज्य ईकाई, कमरा नम्बर 318,
उत्तर पश्चिम खण्ड, सचिवालय, जयपुर।

विषय :–हरिजन जाति को सेग्रीगेशन के S/W में अनुसूचित जाति वर्ग में दर्ज करवाने हेतु S/W में संशोधन करवाने के संबंध में।
प्रसंग :–जिला कलक्टर,भू.अ. झालावाड़ का पत्रांक 6008 दिनांक 11.12.17

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र से जिला कलक्टर झालावाड द्वारा निवेदन किया गया है कि तहसीलदार पचपहाड़ द्वारा यह अवगत कराया गया है कि अनुसूचित जाति की सूची में हरिजन जाति नहीं होने से सेग्रीगेशन जमाबंदियों में हरिजन जाति के काश्तकारों को सामान्य वर्ग में दर्ज किया जाना पड रहा है जबकि हरिजन जाति मुख्य तौर पर मेहतर जाति के व्यक्तियों के लिए प्रयोग में ली जाती है। सामान्य तौर पर मेहतर जाति के सम्मानजनक शब्द के रूप में हरिजन शब्द का प्रयोग किया जाता है।

सेग्रीगेशन की जमाबंदियों में प्रत्येक काश्तकार की जाति वर्ग दर्ज किया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में हरिजन जाति के काश्तकार के सामने सामान्य वर्ग प्रदर्शित होगा जिससे उक्त काश्तकार की भूमि का अन्य व्यक्तियों को विक्रय होने की संभावना है इस प्रकार यदि अनुसूचित जाति वर्ग के काश्तकार की भूमि का अन्य वर्ग के व्यक्ति को बेचान हो जाता है तो इससे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 का उल्लंघन होगा जिससे विसंगतिया बढ़ेगी।

अतः उक्त संदर्भ में जमाबंदियों के सेग्रीगेशन वाले S/W में हरिजन जाति को अनुसूचित जाति वर्ग में दर्ज करवाने हेतु S/W में संशोधन करवाने का निवेदन किया गया है।

इस संबंध में पत्र की प्रति समस्या के समाधान हेतु संलग्न कर प्रेषित है।
संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(विनीता श्रीवास्तव)
निबंधक,
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

क्रमांक :– राम/सम/ दिनांक :–

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

1 जिला कलक्टर झालावाड को संबंधित को एनआईसी, जयपुर से सम्पर्क कर समस्या का समाधान करवाने हेतु संबंधित को पाबन्द कराने बाबत् प्रेषित है।

Sd/-
प्रभारी अधिकारी (DILRMP)
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

E-mail
7

67 DILRMP

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांकःBR/ LR/ NLRMP/ प.–126 / 2017 /

दिनांकः–

वरिष्ठ तकनीकी निदेशक,
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राजस्थान, राज्य ईकाई,
कमरा नम्बर 318, उत्तर पश्चिम खण्ड, शासन सचिवालय,
राजस्थान, जयपुर

विषय :– प्रमुख शासन सचिव **IT&C** द्वारा आयोजित बैठक दिनांक 06.02.2018 में दिए निर्देशों की पालना बाबत्।

प्रसंगः– **SA(Jt.Dir.) IT&C** का पत्रांक **SP-1** दिनांक 15.02.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र से प्रमुख शासन सचिव **IT&C** द्वारा दिनांक 06.02.2018 को बैठक आयोजित की गई थी (प्रति संलग्न)। बैठक में प्रमुख शासन सचिव **IT&C** महोदय द्वारा निर्देशित किया है कि :–

1. जिन 16 तहसीलों में सेग्रिगेशन का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा जिनमें खसरा नक्शों के डिजिटाइजेशन का कार्य पूर्ण हो चुका है उन तहसीलों में ई–मित्र (**Plus**) के माध्यम से डिजिटली/ई–साइन जमाबन्दी जारी किया जाना प्रारम्भ की जावें। एनआईसी द्वारा डिजिटली/ई–साइन जमाबन्दी जारी किए जाने हेतु आवश्यक व्यवस्था की जाएगी।
2. एनआईसी, द्वारा ई–मित्र (**Plus**) को वेब सर्विस के माध्यम से डिजिटली/ई–साइन डाटा पीडीएफ में उपलब्ध करवाया जाएगा।
3. एनआईसी, द्वारा **eSigner** और **eVault** सर्विस को जमाबन्दी से अग्रिम कार्यवाही हेतु जोडा जाएगा।

प्राप्त निर्देशों की पालना हेतु **DoIT&C** विभाग से समन्वय कर आवश्यक सर्विस प्राप्त कर, संबंधित सुविधा का निमार्ण कर मण्डल को सूचित करें जिससे संक्षम स्तर से अनुमति लेकर ये सेवाएं आरम्भ की जा सके।

निबन्धक,
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर

क्रमांक: सम/348-54

दिनांक 16-02-18

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, राजस्व विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग राजस्थान, जयपुर ।
3. आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग एवं नोड़ल अधिकारी **DILRMP**, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–1)विभागराजस्थान, जयपुर।
5. **SA(Jt.Dir.)** राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
6. **SA(Jt.Dir.) emitra,** सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग राजस्थान, जयपुर ।
7. दीपशिखा सक्सेना, **SA(Jt.Dir.)**, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग राजस्थान, जयपुर को उपरोक्त सर्विस तथा आवश्यक तकनीकी सहयोग एनआईसी, जयपुर को प्रदान किए जाने बाबत् प्रेषित है।

प्रभारी अधिकारी **DILRMP**,
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर

E. Mail 8

DILRMP

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांकः LR/ LR/ NLRMP/ प.–126 / 2017 / 475 दिनांकः– 13-03-18

राज्य तकनीकी निदेशक,
राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र राजस्थान, राज्य ईकाई,
कमरा नम्बर 318, उत्तर पश्चिम खण्ड, शासन सचिवालय,
राजस्थान, जयपुर

विषय :– ई–धरती कार्यक्रम के अन्तर्गत सेग्रीगेशन व उसके पश्चात पी–21 की प्रक्रिया को ऑनलाईन म्यूटेशन सॉफ्टवेयर के अन्तर्गत लाने में आ रही समस्याओं व मार्गदर्शन बाबत् ।
प्रसंग :–आपका पत्रांक 8071 दिनांक 07.03.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र से निम्न बिन्दु पर मार्गदर्शन चाहा गया है:–

1. सॉफ्टवेयर में नामान्तरकरण के प्रोसेस की दिनांक तथा पी–21 पर प्रिन्टिंग दिनांक (जिस दिन पी–21 का तहसीलदार प्रिन्ट देगा) के रूप में रखी है तथा नामान्तरकरण के फाइनल हेतु 47 दिन रखे गए है,(पटवारी स्तर–07, आईएलआर स्तर–10 व पंचायत/राजस्व अधिकारी स्तर–30 दिन) अतः यह 47 दिन आवेदन दिनांक से शुरू माने जाए या प्रिन्टिंग दिनांक से, के बारे में मार्गदर्शन चाहा गया है। इसके अतिरिक्त नामान्तरकरण स्वीकृत होने के पूर्व पी–21 रिपोर्ट में यदि कोई बदलाव (पटवारी, गिरदावर, राजस्व अधिकारी) के स्तर पर किया जाता है जिसके लिए सॉफ्टवेयर में बदलना का विकल्प रखा गया है में नामान्तरकरण स्वीकृत हे 47 दिन कब से माने जायेंगे।
2. पी–21 रिपोर्ट में दाहिनी ओर व बांयी ओर जो खसरे व उनका रकबा इंगित होते है, उनका दोनों ओर कुल किता व कुल रकबा भी नीचे की ओर दर्शाया जाना चाहिए, निर्देश देने बाबत् निवेदन किया गया है।

इस संबंध में राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (लैण्ड रिकार्ड) रूल्स 1957 के नियम 119 में स्पष्ट प्रावधान है कि सूचना की प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर भू0अ0निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेगा। अतः बिन्दु संख्या 1 के संबंध में स्पष्ट है कि सूचना की प्राप्ति से ही निर्धारित समयावधि की गणना होगी। इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि आवेदन प्राप्ति की तिथि दस्तावेज के पंजीकरण की तिथि है जबकि सूचना प्राप्ति की तिथि सूचना की तिथि होगी।

उक्त निर्धारित अवधि में ही नामान्तरकरण स्वीकृत होने के पूर्व पी–21 रिपोर्ट में यदि कोई बदलाव पटवारी, गिरदावर, राजस्व अधिकारी के स्तर पर किया जाएगा। नामान्तरकरण स्वीकृति से पूर्व पी–21 रिपोर्ट में बदलाव का अधिकार जांचकर्त्ता अधिकारी, स्वीकृत करने वाले अधिकारी (राजस्व अधिकारी) को प्रदत्त होना है। जिन नामान्तरकरण में निर्णय ग्राम पंचायत द्वारा लिया जा रहा है उनमें भी सहवन से दर्ज नामान्तरकण की प्रकृति में परिवर्तन हेतु तहसीलदार को अधिकृत किया जाने हेतु सॉफ्टवेयर में प्रावधान रखाया जाना सुनिश्चित करावें। बिन्दु संख्या 2 के कम में पी–21 रिपोर्ट में दाहिनी ओर व बांयी ओर जो खसरे व उनका रकबा इंगित होते है, उनका दोनों ओर कुल किता व कुल रकबा भी नीचे की ओर दर्शाया जाना उचित होगा।

निबन्धक,
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर
दिनांक

क्रमांकः सम/
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–
1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
2. आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग, राजस्थान, जयपुर।

Sd/-
प्रभारी अधिकारी DILRMP,
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर

E-Mail 9

274/DILRMP

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांकःBR/ LR/ NLRMP/ प.–126 / 2017 / 475 दिनांकः– 13-03-18

वरिष्ठ तकनीकी निदेशक,
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राजस्थान, राज्य ईकाई,
कमरा नम्बर 318, उत्तर पश्चिम खण्ड, शासन सचिवालय,
राजस्थान, जयपुर

विषय :– ई–धरती कार्यक्रम के अन्तर्गत सेग्रीगेशन व उसके पश्चात पी–21 की प्रक्रिया को ऑनलाईन म्यूटेशन सॉफ्टवेयर के अन्तर्गत लाने में आ रही समस्याओं व मार्गदर्शन बाबत् ।
प्रसंग :–आपका पत्रांक 8071 दिनांक 07.03.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र से निम्न बिन्दु पर मार्गदर्शन चाहा गया हैः–

1. सॉफ्टवेयर में नामान्तरकरण के प्रोसेस की दिनांक तथा पी–21 पर प्रिन्टिंग दिनांक (जिस दिन पी–21 का पटवारी प्रिन्ट देगा) के रूप में रखी है तथा नामान्तरकरण के फाइनल हेतु 47 दिन रखे गए है,(पटवारी स्तर–07, आईएलआर स्तर–10 व पंचायत/राजस्व अधिकारी स्तर–30 दिन) अतः यह 47 दिन आवेदन दिनांक से शुरू माने जाए या प्रिन्टिंग दिनांक से, के बारे में मार्गदर्शन चाहा गया है। इसके अतिरिक्त नामान्तरकरण स्वीकृत होने के पूर्व पी–21 रिपोर्ट में यदि कोई बदलाव (पटवारी, गिरदावर, राजस्व अधिकारी) के स्तर पर किया जाता है जिसके लिए सॉफ्टवेयर में बदलना का विकल्प रखा गया है में नामान्तरकरण स्वीकृत हे 47 दिन कब से माने जायेंगे।
2. पी–21 रिपोर्ट में दाहिनी ओर व बांयी ओर जो खसरे व उनका रकबा इंगित होते है, उनका दोनों ओर कुल किता व कुल रकबा भी नीचे की ओर दर्शाया जाना चाहिए, निर्देश देने बाबत् निवेदन किया गया है।

इस संबंध में राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (लैण्ड रिकार्ड) रूल्स 1957 के नियम 119 में स्पष्ट प्रावधान है कि सूचना की प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर भू0अ0निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेगा। अतः बिन्दु संख्या 1 के क्रम में स्पष्ट है कि सूचना की प्राप्ति से ही निर्धारित समयावधि की गणना होगी। इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि आवेदन प्राप्ति की तिथि दस्तावेज के पंजीकरण की तिथि है जबकि सूचना प्राप्ति की तिथि प्रिंटिंग की तिथि होगी।

उक्त निर्धारित अवधि में ही नामान्तरकरण स्वीकृत होने के पूर्व पी–21 रिपोर्ट में यदि कोई बदलाव पटवारी, गिरदावर, राजस्व अधिकारी के स्तर पर किया जाएगा। नामान्तरकरण स्वीकृति से पूर्व पी–21 रिपोर्ट में बदलाव का अधिकार जांचकर्त्ता अधिकारी, स्वीकृत करने वाले अधिकारी (राजस्व अधिकारी) को प्रदत्त करना है। जिन नामान्तरकरण में निर्णय ग्राम पंचायत द्वारा लिया जा रहा है उनमें भी सहवन से दर्ज नामान्तरकण की प्रकृति में परिवर्तन हेतु तहसीलदार को अधिकृत किया जाने हेतु सॉफ्टवेयर में प्रावधान करवाया जाना सुनिश्चित करावें। बिन्दु संख्या 2 के क्रम में पी–21 रिपोर्ट में दाहिनी ओर व बांयी ओर जो खसरे व उनका रकबा इंगित होते है, उनका दोनों ओर कुल किता व कुल रकबा भी नीचे की ओर दर्शाया जाना उचित होगा।

निबन्धक,
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर
दिनांक

क्रमांकः सम/
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–
1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
2. आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग, राजस्थान, जयपुर।

Sd/-
प्रभारी अधिकारी DILRMP,
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर

E-Mail 10

275/DILRMP

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांकःBR/ LR/ NLRMP/ प.–126 / 2017 /

दिनांकः–

वरिष्ठ तकनीकी निदेशक,
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राजस्थान, राज्य ईकाई,
कमरा नम्बर 318, उत्तर पश्चिम खण्ड, शासन सचिवालय,
राजस्थान, जयपुर

विषय :– ई–धरती कार्यक्रम के अन्तर्गत ऑनलाईन म्यूटेशन सॉफ्टवेयर में खाता संख्या के नामान्तकरण की समस्याओं के बाबत्।
प्रसंग :–आपका पत्रांक 8073 दिनांक 07.03.2018

उपरोक्त विषयान्तगर्त प्रासंगिक पत्र से ऑनलाईन नामान्तरकरण सॉफ्टवेयर में खाता न. 1 में होने वाले नामान्तरकरण में नामान्तरण के पश्चात् उसके जिम्मन के निर्धारण में समस्या का सामना करना पड़ रहा है अर्थात् इसी क्रम में कुछ नामान्तरकरणों यथा समर्पण (राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 55–59 के अन्तर्गत) विनिमय (राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 48–52 के अन्तर्गत) आवंटन, लीज, जमीन आरक्षण, भूमि अवाप्ति, आदि के संबंध में नामान्तरण पश्चात् जिम्मन का रेंखाकित चार्ट भेजने बाबत् निवेदन किया गया है, ताकि सॉफ्टवेयर में पारदर्शिता व नियमानुसार स्पष्टता लायी जा सके।

इस संबंध में राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (लैण्ड रिकार्ड) रूल्स 1957 के नियम 164 में स्पष्ट प्रावधान है। जमाबन्दी का प्रत्येक उक्त प्रावधानानुसार जिम्मन से संबंधित है। यदि खाता न. 1 में होने वाले समर्पण (राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 55–59 के अन्तर्गत) विनिमय (राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 48–52 के अन्तर्गत) आवंटन, लीज, जमीन आरक्षण, भूमि अवाप्ति, आदि के नामान्तरण के पश्चात् उसके जिम्मन में यदि किसी प्रकार का परिवर्तन हो रहा है है तो वह संबंधित वर्तमान जिम्मन से निकलकर नवीन जिम्मन वाले वर्ग में राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (लैण्ड रिकार्ड) रूल्स 1957 के नियम 164 के अनुसार स्थानान्तरित हो जाएगा। जिसका प्रावधान पूर्व में ही राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (लैण्ड रिकार्ड) रूल्स 1957 में किया हुआ है। इसके अतिरिक्त जिम्मन से संबंधित कोई अन्य समस्या होतो उदाहरण सहित प्रकरण मण्डल को प्रेषित करावें तदनुसार समस्या का निस्तारण किया जा सके।

Sd-
निबन्धक,
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर

क्रमांकः सम/473-74

दिनांक 13-03-18

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
2. आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग, राजस्थान, जयपुर।

प्रभारी अधिकारी DILRMP,
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर

E-Mail II

DILRMP

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांकः DILR/ NLRMP/ प.–126 / 2017 / 4172 दिनांकः– 13-03-18

प्रमुख तकनीकी निदेशक,
क्षेत्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राजस्थान, राज्य ईकाई,
कमरा नम्बर 318, उत्तर पश्चिम खण्ड, शासन सचिवालय,
सचिवालय, जयपुर

विषय :– ई–धरती कार्यक्रम के अन्तर्गत ऑनलाईन म्यूटेशन सॉफ्टवेयर में खाता संख्या के नामान्तकरण की समस्याओं के बाबत्।
प्रसंग :–आपका पत्रांक 8073 दिनांक 07.03.2018

उपरोक्त विषयान्तगर्त प्रासंगिक पत्र से ऑनलाईन नामान्तरकरण सॉफ्टवेयर में खाता न. 1 होने वाले नामान्तरकरण में नामान्तरण के पश्चात् उसके जिम्मन के निर्धारण में समस्या का सामना करना पड़ रहा है अर्थात् इसी क्रम में कुछ नामान्तरकरणों यथा समर्पण (राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 55–59 के अन्तर्गत) विनिमय (राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 48–52 के अन्तर्गत) आवंटन, लीज, जमीन आरक्षण, भूमि अवाप्ति, आदि के संबंध में नामान्तरण पश्चात् जिम्मन का रेंखाकित चार्ट संलग्न सहित निवेदन किया गया है, ताकि सॉफ्टवेयर में पारदर्शिता व नियमानुसार स्पष्टता लायी जा सके।

इस संबंध में राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (लैण्ड रिकार्ड) रूल्स 1957 के नियम 164 में स्पष्ट प्रावधान है। जमाबन्दी का प्रत्येक उक्त प्रावधानानुसार जिम्मन से संबंधित है। यदि खाता न. 1 में होने वाले समर्पण (राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 55–59 के अन्तर्गत) विनिमय (राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 48–52 के अन्तर्गत) आवंटन, लीज, जमीन आरक्षण, भूमि अवाप्ति, आदि के नामान्तरण के पश्चात् उसके जिम्मन में यदि किसी प्रकार का परिवर्तन हो रहा है है तो वह संबंधित वर्तमान जिम्मन से निकलकर नवीन जिम्मन वाले वर्ग में राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (लैण्ड रिकार्ड) रूल्स 1957 के नियम 164 के अनुसार स्थानान्तरित हो जाएगा। जिसका प्रावधान पूर्व में ही राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (लैण्ड रिकार्ड) रूल्स 1957 में किया हुआ है। इसके अतिरिक्त जिम्मन से संबंधित कोई अन्य प्रकरण होतो उदाहरण सहित प्रकरण मण्डल को प्रेषित करावें तदनुसार समस्या का निस्तारण किया जा सके।

निबन्धक,
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर
दिनांक

पृष्ठांकन/
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–
1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
2. आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग, राजस्थान, जयपुर।

Sd/-
प्रभारी अधिकारी DILRMP,
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर

E-Mail

274/DILRMP

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांकःBR/ LR/ NLRMP/ प.–126 / 2017 / दिनांकः–

वरिष्ठ तकनीकी निदेशक,
राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र राजस्थान, राज्य ईकाई,
कमरा नम्बर 318, उत्तर पश्चिम खण्ड, शासन सचिवालय,
राजस्थान, जयपुर

विषय :– ई–धरती कार्यक्रम के अन्तर्गत सेग्रीगेशन व उसके पश्चात पी–21 की प्रक्रिया को ऑनलाईन म्यूटेशन सॉफ्टवेयर के अन्तर्गत लाने में आ रही समस्याओं व मार्गदर्शन बाबत् ।
प्रसंग :–आपका पत्रांक 8071 दिनांक 07.03.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र से निम्न बिन्दु पर मार्गदर्शन चाहा गया है:–

1. सॉफ्टवेयर में नामान्तरकरण के प्रोसेस की दिनांक तथा पी–21 पर प्रिन्टिंग दिनांक (जिस दिन पी–21 का पटवारी प्रिन्ट देगा) के रूप में रखी है तथा नामान्तरकरण के फाइनल हेतु 47 दिन रखे गए है,(पटवारी स्तर–07, आईएलआर स्तर–10 व पंचायत/राजस्व अधिकारी स्तर–30 दिन) अतः यह 47 दिन आवेदन दिनांक से शुरू माने जाए या प्रिन्टिंग दिनांक से, के बारे में मार्गदर्शन चाहा गया है। इसके अतिरिक्त नामान्तरकरण स्वीकृत होने के पूर्व पी–21 रिपोर्ट में यदि कोई बदलाव (पटवारी, गिरदावर, राजस्व अधिकारी) के स्तर पर किया जाता है जिसके लिए सॉफ्टवेयर में बदलना का विकल्प रखा गया है में नामान्तरकरण स्वीकृत हे 47 दिन कब से माने जायेंगे।
2. पी–21 रिपोर्ट में दाहिनी ओर व बांयी ओर जो खसरे व उनका रकबा इंगित होते है, उनका दोनों ओर कुल किता व कुल रकबा भी नीचे की ओर दर्शाया जाना चाहिए, निर्देश देने बाबत् निवेदन किया गया है।

इस संबंध में राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (लैण्ड रिकार्ड) रूल्स 1957 के नियम 119 में स्पष्ट प्रावधान है कि सूचना की प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर भू0अ0निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेगा। अतः बिन्दु संख्या 1 के क्रम में स्पष्ट है कि सूचना की प्राप्ति से ही निर्धारित समयावधि की गणना होगी। इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि आवेदन प्राप्ति की तिथि दस्तावेज के पंजीकरण की तिथि है जबकि सूचना प्राप्ति की तिथि प्रिंटिंग की तिथि होगी।

उक्त निर्धारित अवधि में ही नामान्तरकरण स्वीकृत होने के पूर्व पी–21 रिपोर्ट में यदि कोई बदलाव पटवारी, गिरदावर, राजस्व अधिकारी के स्तर पर किया जाएगा। नामान्तरकरण स्वीकृति से पूर्व पी–21 रिपोर्ट में बदलाव का अधिकार जांचकर्त्ता अधिकारी, स्वीकृत करने वाले अधिकारी (राजस्व अधिकारी) को प्रदत्त करना है। जिन नामान्तरकरण में निर्णय ग्राम पंचायत द्वारा लिया जा रहा है उनमें भी सहवन से दर्ज नामान्तरकण की प्रकृति में परिवर्तन हेतु तहसीलदार को अधिकृत किया जाने हेतु सॉफ्टवेयर में प्रावधान करवाया जाना सुनिश्चित करावें। बिन्दु संख्या 2 के क्रम में पी–21 रिपोर्ट में दाहिनी ओर व बांयी ओर जो खसरे व उनका रकबा इंगित होते है, उनका दोनों ओर कुल किता व कुल रकबा भी नीचे की ओर दर्शाया जाना उचित होगा।

–sd/–
निबन्धक,
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर

क्रमांकः सम/476-77 दिनांक 13-03-18
अग्रेषित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–
1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
2. आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग, राजस्थान, जयपुर।

प्रभारी अधिकारी DILRMP,
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर

E-Mail 13

275/DILRMP

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांकःBR/ LR/ NLRMP/ प.–126 / 2017 /472 . दिनांकः– 13-03-18

वरिष्ठ तकनीकी निदेशक,
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राजस्थान, राज्य ईकाई,
कमरा नम्बर 318, उत्तर पश्चिम खण्ड, शासन सचिवालय,
राजस्थान, जयपुर

विषय :– ई–धरती कार्यक्रम के अन्तर्गत ऑनलाईन म्यूटेशन सॉफ्टवेयर में खाता संख्या के नामान्तकरण की समस्याओं के बाबत्।
प्रसंग :–आपका पत्रांक 8073 दिनांक 07.03.2018

उपरोक्त विषयान्तगर्त प्रासंगिक पत्र से ऑनलाईन नामान्तरकरण सॉफ्टवेयर में खाता न. 1 में होने वाले नामान्तरकरण में नामान्तरण के पश्चात् उसके जिम्मन के निर्धारण में समस्या का सामना करना पड़ रहा है अर्थात् इसी क्रम में कुछ नामान्तरकरणों यथा समर्पण (राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 55–59 के अन्तर्गत) विनिमय (राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 48–52 के अन्तर्गत) आवंटन, लीज, जमीन आरक्षण, भूमि अवाप्ति, आदि के संबंध में नामान्तरण पश्चात् जिम्मन का रेंखाकित चार्ट भेजने बाबत् निवेदन किया गया है, ताकि सॉफ्टवेयर में पारदर्शिता व नियमानुसार स्पष्टता लायी जा सके।

इस संबंध में राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (लैण्ड रिकार्ड) रूल्स 1957 के नियम 164 में स्पष्ट प्रावधान है। जमाबन्दी का प्रत्येक उक्त प्रावधानानुसार जिम्मन से संबंधित है। यदि खाता न. 1 में होने वाले समर्पण (राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 55–59 के अन्तर्गत) विनिमय (राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 48–52 के अन्तर्गत) आवंटन, लीज, जमीन आरक्षण, भूमि अवाप्ति, आदि के नामान्तरण के पश्चात् उसके जिम्मन में यदि किसी प्रकार का परिवर्तन हो रहा है है तो वह संबंधित वर्तमान जिम्मन से निकलकर नवीन जिम्मन वाले वर्ग में राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (लैण्ड रिकार्ड) रूल्स 1957 के नियम 164 के अनुसार स्थानान्तरित हो जाएगा। जिसका प्रावधान पूर्व में ही राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (लैण्ड रिकार्ड) रूल्स 1957 में किया हुआ है। इसके अतिरिक्त जिम्मन से संबंधित कोई अन्य समस्या होतो उदाहरण सहित प्रकरण मण्डल को प्रेषित करावें तदनुसार समस्या का निस्तारण किया जा सके।

निबन्धक,
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर

क्रमांकः सम/ दिनांक
अग्रेषित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
2. आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग, राजस्थान, जयपुर।

Sd-
प्रभारी अधिकारी DILRMP,
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर

E Mail 14

DILRMP

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

DILR/ LR/ NLRMP/ प.–126 / 2017 / दिनांकः–

तकनीकी निदेशक,
सूचना विज्ञान केन्द्र राजस्थान, राज्य ईकाई,
318, उत्तर पश्चिम खण्ड, शासन सचिवालय,
जयपुर

विषय :– ई–धरती कार्यक्रम के अन्तर्गत सेग्रीगेशन व उसके पश्चात पी–21 की प्रक्रिया को ऑनलाईन म्यूटेशन सॉफ्टवेयर के अन्तर्गत लाने में आ रही समस्याओं व मार्गदर्शन बाबत् ।
प्रसंग :–आपका पत्रांक 8071 दिनांक 07.03.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र से निम्न बिन्दु पर मार्गदर्शन चाहा गया हैः–

सॉफ्टवेयर में नामान्तरकरण के प्रोसेस की दिनांक तथा पी–21 पर प्रिन्टिंग दिनांक (जिस दिन पी–21 का पटवारी प्रिन्ट देगा) के रूप में रखी है तथा नामान्तरकरण के फाइनल हेतु 47 दिन रखे गए है,(पटवारी स्तर–07, आईएलआर स्तर–10 व पंचायत/राजस्व अधिकारी स्तर–30 दिन) अतः यह 47 दिन आवेदन दिनांक से शुरू माने जाए या प्रिन्टिंग दिनांक से, के बारे में मार्गदर्शन चाहा गया है। इसके अतिरिक्त नामान्तरकरण स्वीकृत होने के पूर्व पी–21 रिपोर्ट में यदि कोई बदलाव (पटवारी, गिरदावर, राजस्व अधिकारी) के स्तर पर किया जाता है जिसके लिए सॉफ्टवेयर में बदलना का विकल्प रखा गया है में नामान्तरकरण स्वीकृत हे 47 दिन कब से माने जायेंगे।
2. रिपोर्ट में दाहिनी ओर व बांयी ओर जो खसरे व उनका रकबा इंगित होते है, उनका दोनों ओर कुल किता व कुल रकबा भी नीचे की ओर दर्शाया जाना चाहिए, निर्देश देने बाबत् निवेदन किया गया है।

इस संबंध में राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (लैण्ड रिकार्ड) रूल्स 1957 के नियम 119 में स्पष्ट प्रावधान है सूचना की प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर भू0अ0निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेगा। अतः बिन्दु संख्या 1 के संबंध में स्पष्ट है कि सूचना की प्राप्ति से ही निर्धारित समयावधि की गणना होगी। इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि आवेदन प्राप्ति की तिथि दस्तावेज के पंजीकरण की तिथि है जबकि सूचना प्राप्ति की तिथि प्रिन्टिंग की तिथि होगी।

उक्त निर्धारित अवधि में ही नामान्तरकरण स्वीकृत होने के पूर्व पी–21 रिपोर्ट में यदि कोई बदलाव पटवारी, गिरदावर, राजस्व अधिकारी के स्तर पर किया जाएगा। नामान्तरकरण स्वीकृति से पूर्व पी–21 रिपोर्ट में बदलाव का अधिकार जांचकर्त्ता अधिकारी, स्वीकृत करने वाले अधिकारी (राजस्व अधिकारी) को प्रदत्त करना है। जिन नामान्तरकरण में निर्णय ग्राम पंचायत द्वारा लिया जा रहा है उनमें भी सहवन से दर्ज नामान्तरकरण की प्रकृति में परिवर्तन हेतु तहसीलदार को अधिकृत किया जाने हेतु सॉफ्टवेयर में प्रावधान करवाया जाना सुनिश्चित करावें। बिन्दु संख्या 2 के कम में पी–21 रिपोर्ट में दाहिनी ओर व बांयी ओर जो खसरे व उनका रकबा इंगित होते है, उनका दोनों ओर कुल किता व कुल रकबा भी नीचे की ओर दर्शाया जाना उचित होगा।

–Sd–
निबन्धक,
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर

क्रमांक/476-77 दिनांक 13-03-18
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–
1. प्रमुख सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
2. आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग, राजस्थान, जयपुर।

प्रभारी अधिकारी DILRMP,
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर

E-Mail
15

431/DILRMP

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांकःराम/भू.अ./NLRMP/ F-126/2017/ 974 दिनांकः- 18-05-18

वरिष्ठ तकनीकी निदेशक,
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राजस्थान,
राज्य ईकाई, कमरा नम्बर 318, उत्तर पश्चिम खण्ड,
शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर

विषय :- ई-धरती सॉफ्टवेयर के न्यू जिम्मन की समस्या के संबंध में।
प्रसंगः- कलक्टर (भू0अ0), अजमेर का पत्रांक 4018 दिनांक 10.05.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र से जिला कलक्टर अजमेर द्वारा तहसीलदार ब्यावर के संदर्भ में अवगत कराया गया है कि जमाबन्दियों में निम्नांकित जिम्मन दर्ज है, लेकिन ई-धरती सॉफ्टवेयर में उक्त जिम्मन दर्ज करने का प्रावधान नहीं होने से जिम्मन कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है। अतः ई-धरती सॉफ्टवेयर में निम्नांकित जिम्मन का प्रावधान कराने का श्रम करावें।

क्रम सं.	किस्म विवरण	जिम्मन का प्रकार
4	पंजीयन विभाग	पंजीयन विभाग

निबंधक,
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर
दिनांकः 8-05-18

क्रमांकः सम/975-76
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-
1. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग एवं नोड़ल अधिकारी DILRMP, राजस्थान, जयपुर।
2. कलक्टर (भू0अ0) अजमेर को प्रासंगिक पत्र के क्रम में सूचनार्थ।

प्रभारी अधिकारी DILRMP,
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर

5/DILRMP

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

दिनांक:–

क्रमांक:राम / भू.अ. / NLRMP/ F-126/2017/

जिला कलक्टर,
समस्त।

विषय:– विडियो कान्फ्रेंसिंग दिनांक 13.04.2018 प्राप्त निर्देशो की बिन्दुवार पालना।
प्रसंग:– कार्यालय भू–प्रबंध आयुक्त राजस्थान जयपुर का पत्रांक 2476 दिनांक 04.05.18

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आयुक्त भू–प्रबंध एवं नोडल अधिकारी **DILRMP** राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में विडियो कान्फ्रेंसिंग दिनांक 13.04.2018 का कार्यवाही विवरण भिजवाया गया है। बैठक में दिए निर्देश जो मण्डल से संबंधित है निम्न प्रकार है जिनके संबंध में मण्डल से की गई /प्रस्तावित कार्यवाही निम्नानुसार है :–

कार्यवाही विवरण का बिन्दु संख्या.	तहसील	समस्या	मण्डल द्वारा की गई/प्रस्तावित कार्यवाही/ निर्देश
6	देसूरी	भूमि समर्पण के प्रकरण में दो नये नम्बर बन जाते है जो नहीं होने चाहिए।	भूमि समर्पण के प्रकरण में यदि समर्पण आंशिक है तो नियमानुसार खसरे विभाजन की कार्यवाही होगी। तथा खसरे विभाजन की स्थिति में राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (लैण्ड रिकार्ड्स) रूल्स 1957 के नियम 62(ii) के प्रावधानों के अनुसार दो नवीन नम्बर लिखे जाने चाहिए। इस संबंध में राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (लैण्ड रिकार्ड्स) रूल्स 1957 के नियम 62(ii) में पूर्व में ही प्रावधान है। अतः वर्तमान में ऑनलाईन नामान्तरकरण में समर्पण स्वीकारोक्ति प्रकियानुसार ही है। उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

उपरोक्त प्रकृति के प्रकरण में निर्देशानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें।

भवदीय

निबंधक,
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर
दिनांक 12-05-18

प्रतिलिपि :क्रमांक: सम/963-69
1. आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग एवं नोडल अधिकारी **DILRMP** जयपुर।
2. तकनीकी निदेशक एवं राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राजस्थान, राज्य ईकाई, कमरा नम्बर 318, उत्तर पश्चिम खण्ड, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर ।

प्रभारी अधिकारी (DILRMP)
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

17

E-Mail

14/DILRMP

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

दिनांकः–

क्रमांकःराम / भू.अ. / NLRMP/ F-126/2017/

जिला कलक्टर,
समस्त।

विषयः– विडियो कान्फ्रेंसिंग दिनांक 13.04.2018 प्राप्त निर्देशो की बिन्दुवार पालना।

प्रसंगः– कार्यालय भू–प्रबंध आयुक्त राजस्थान जयपुर का पत्रांक 2476 दिनांक 04.05.18

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आयुक्त भू–प्रबंध एवं नोडल अधिकारी **DILRMP** राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में विडियो कान्फ्रेंसिंग दिनांक 13.04.2018 का कार्यवाही विवरण भिजवाया गया है। बैठक में दिए निर्देश जो मण्डल से संबंधित है निम्न प्रकार है जिनके संबंध में मण्डल से की गई /प्रस्तावित कार्यवाही निम्नानुसार है :–

कार्यवाही विवरण का बिन्दु संख्या.	तहसील	समस्या	मण्डल द्वारा की गई / प्रस्तावित कार्यवाही / निर्देश
5	झुंझुनूं	एक खातेदार के हिस्से पर रहन हो तो खाता विभाजन संभव हो तथा बैंक स्टे सूचना स्वतः जावे।	एक खातेदार के हिस्से पर रहन हो तो खाता विभाजन के संबंध में आवश्यक निर्देश मण्डल के पत्र 877 दिनांक 09.05.2018 से जारी किए जा चुके है। उक्तानुसार कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

उपरोक्त प्रकृति के प्रकरण में निर्देशानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें।

भवदीय

निबंधक,
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर
दिनांक 1/-5-18

प्रतिलिपि :क्रमांकः सम/967-68

1. आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग एवं नोडल अधिकारी **DILRMP** जयपुर।
2. तकनीकी निदेशक एवं राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राजस्थान, राज्य ईकाई, कमरा नम्बर 318, उत्तर पश्चिम खण्ड, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख कि सॉफ्टवेयर में आवश्यक ऑप्शन का प्रावधान किया जावे।

प्रभारी अधिकारी (DILRMP)
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

E-Mail
18

413/DILRMP

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांकःराम/भू.अ./NLRMP/ F-126/2017/ 969 दिनांकः-17-05-18

तकनीकी निदेशक,
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राजस्थान,
राज्य ईकाई, कमरा नम्बर 318, उत्तर पश्चिम खण्ड,
शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर

विषयः- विडियो कान्फ्रेंसिंग दिनांक 13.04.2018 प्राप्त निर्देशो की बिन्दुवार पालना।
प्रसंगः- कार्यालय भू-प्रबंध आयुक्त राजस्थान जयपुर का पत्रांक 2476 दिनांक 04.05.18

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आयुक्त भू-प्रबंध एवं नोडल अधिकारी **DILRMP** राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में विडियो कान्फ्रेंसिंग दिनांक 13.04.2018 का कार्यवाही विवरण भिजवाया गया है। बैठक में दिए निर्देश जो मण्डल से संबंधित है निम्न प्रकार है जिनके संबंध में मण्डल से की गई /प्रस्तावित कार्यवाही/प्रकरण में निर्देश निम्नानुसार है :-

कार्यवाही विवरण का बिन्दु संख्या.	तहसील	समस्या	मण्डल द्वारा की गई/प्रस्तावित कार्यवाही/ निर्देश
4	बीदासर	शुद्धिपत्र में शुल्क लगकर आता है जो नहीं आना चाहिए। नामान्तकरण शुल्क का स्पष्ट निर्धारण राजस्व मण्डल द्वारा होना चाहिए।	राजस्थान भू-राजस्व(भू0अ0) नियम 1957 के नियम 143(5) के अनुसार शुद्धिपत्र में शुल्क का कोई प्रावधान नहीं है। इस संबंध में फर्दबदर (प्रारूप पी-27) के प्रपत्र के अुनसार नामान्तरकरण शुल्क का कोई कॉलम नहीं है। इस संबंध में दिनांक 23.04.2018 को जयपुर एनआईसी में आयोजित प्रशिक्षण में विस्तृत चर्चा की जा कर एनआईसी को सॉफ्टवेयर में फर्दबदर के प्रारूप में शुल्क का कॉलम हटाए जाने के संबंध में नियमों की जानकारी दी जा चुकी हैं। राजस्थान भू-राजस्व (भू0अ0) नियम 1957 के नियम 142,143 व परिशिष्ट-2 के अनुसार नामान्तरकण शुल्क अंकन का प्रावधान करने के स्थान पर पटवारी, भू0अ0निरीक्षक को नामान्तरकरण शुल्क व भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 134 के अनुसार शास्ति प्रस्तावित करने तथा नामान्तरकरण स्वीकृतकर्ता अधिकारी के निर्णय अनुसार नामान्तकरण शुल्क व शास्ति निर्धारित किए जाने का प्रावधान सॉफ्टवेयर में किए जाने के संबंध में दिनांक 23.04.2018 को जयपुर एनआईसी में आयोजित प्रशिक्षण नियमों की में विस्तृत चर्चा की जा चुकी है। उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराई जावे।

उपरोक्त प्रकृति के प्रकरण में निर्देशानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें।

भवदीय

निबंधक,
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर
दिनांक 17-05-18

प्रतिलिपि :क्रमांकः सम/ 970-71

1. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग एवं नोडल अधिकारी **DILRMP** जयपुर।
2. जिला कलक्टर, समस्त।

प्रभारी अधिकारी (**DILRMP**)
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

E-Mail
19

413/DILRMP

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांकःराम/भू.अ./NLRMP/ F-126/2017/ 969 दिनांकः-17-05-18.

तकनीकी निदेशक,
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राजस्थान,
राज्य ईकाई, कमरा नम्बर 318, उत्तर पश्चिम खण्ड,
शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर

विषयः- विडियो कान्फ्रेंसिंग दिनांक 13.04.2018 प्राप्त निर्देशो की बिन्दुवार पालना।
प्रसंगः- कार्यालय भू-प्रबंध आयुक्त राजस्थान जयपुर का पत्रांक 2476 दिनांक 04.05.18

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आयुक्त भू-प्रबंध एवं नोडल अधिकारी **DILRMP** राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में विडियो कान्फ्रेंसिंग दिनांक 13.04.2018 का कार्यवाही विवरण भिजवाया गया है। बैठक में दिए निर्देश जो मण्डल से संबंधित है निम्न प्रकार है जिनके संबंध में मण्डल से की गई /प्रस्तावित कार्यवाही/प्रकरण में निर्देश निम्नानुसार है :-

कार्यवाही विवरण का बिन्दु संख्या.	तहसील	समस्या	मण्डल द्वारा की गई/प्रस्तावित कार्यवाही/ निर्देश
4	बीदासर	शुद्धिपत्र में शुल्क लगकर आता है जो नहीं आना चाहिए। नामान्तकरण शुल्क का स्पष्ट निर्धारण राजस्व मण्डल द्वारा होना चाहिए।	राजस्थान भू-राजस्व(भू0अ0) नियम 1957 के नियम 143(5) के अनुसार शुद्धिपत्र में शुल्क का कोई प्रावधान नहीं है। इस संबंध में फर्दबदर (प्रारूप पी-27) के प्रपत्र के अुनसार नामान्तरकरण शुल्क का कोई कॉलम नहीं है। इस संबंध में दिनांक 23.04.2018 को जयपुर एनआईसी में आयोजित प्रशिक्षण में विस्तृत चर्चा की जा कर एनआईसी को सॉफ्टवेयर में फर्दबदर के प्रारूप में शुल्क का कॉलम हटाए जाने के संबंध में नियमों की जानकारी दी जा चुकी हैं। राजस्थान भू-राजस्व (भू0अ0) नियम 1957 के नियम 142,143 व परिशिष्ट-2 के अनुसार नामान्तरकण शुल्क अंकन का प्रावधान करने के स्थान पर पटवारी, भू0अ0निरीक्षक को नामान्तरकरण शुल्क व भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 134 के अनुसार शास्ति प्रस्तावित करने तथा नामान्तरकरण स्वीकृतकर्ता अधिकारी के निर्णय अनुसार नामान्तकरण शुल्क व शास्ति निर्धारित किए जाने का प्रावधान सॉफ्टवेयर में किए जाने के संबंध में दिनांक 23.04.2018 को जयपुर एनआईसी में आयोजित प्रशिक्षण नियमों की में विस्तृत चर्चा की जा चुकी है। उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराई जावे।

उपरोक्त प्रकृति के प्रकरण में निर्देशानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें।

भवदीय

निबंधक,
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर
दिनांक 17-05-18

प्रतिलिपि :क्रमांकः सम/ 970-71

1. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग एवं नोडल अधिकारी **DILRMP** जयपुर।
2. जिला कलक्टर, समस्त।

प्रभारी अधिकारी (DILRMP)
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

E-Mail
20

420/DILRMP

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांकःराम/भू.अ./NLRMP/ F-126/2017/ 953 दिनांकः– 17-05-18

तकनीकी निदेशक,
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राजस्थान,
राज्य ईकाई, कमरा नम्बर 318, उत्तर पश्चिम खण्ड,
शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर

विषयः– विडियो कान्फ्रेंसिंग दिनांक 13.04.2018 प्राप्त निर्देशो की बिन्दुवार पालना।

प्रसंगः– कार्यालय भू–प्रबंध आयुक्त राजस्थान जयपुर का पत्रांक 2476 दिनांक 04.05.18

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आयुक्त भू–प्रबंध एवं नोडल अधिकारी **DILRMP** राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में विडियो कान्फ्रेंसिंग दिनांक 13.04.2018 का कार्यवाही विवरण भिजवाया गया है। बैठक में दिए निर्देश जो मण्डल से संबंधित है निम्न प्रकार है जिनके संबंध में मण्डल से की गई /प्रस्तावित कार्यवाही निम्नानुसार है :–

कार्यवाही विवरण का बिन्दु संख्या.	तहसील	समस्या	मण्डल द्वारा की गई/प्रस्तावित कार्यवाही/ निर्देश
16	बागोडा	खाते में अलग–अलग मृदा प्रकार का ऐरीया व लगान दिखाना चाहिए। नामान्तकरण फीडिंग बाबत् खसरे के सलेक्ट करने का प्रावधान होना चाहिए।	खाते में अलग–अलग मृदा प्रकार का ऐरीया व लगान दिखाना तथा नामान्तकरण फीडिंग बाबत् खसरे के सलेक्ट करने के प्रावधान के संबंध में दिनांक 23.04.2018 को जयपुर एनआईसी में आयोजित प्रशिक्षण में विस्तृत चर्चा की गई। इस संबंध में सॉफ्टवेयर में आवश्यक प्रावधान किए जाने हेतु वरिष्ठ तकनीकी निदेशक द्वारा सैद्धान्तिक सहमति दी गई। अतः उक्तानुसार कार्यवाही करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

उपरोक्त प्रकृति के प्रकरण में निर्देशानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें।

भवदीय

निबंधक,
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर
दिनांक 17-05-18

प्रतिलिपि :क्रमांकः सम/954-58

1. आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग एवं नोडल अधिकारी **DILRMP** जयपुर।
2. जिला कलक्टर, समस्त।

प्रभारी अधिकारी (DILRMP)
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

E - M
21

415/DILRMP

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

दिनांकः- 17-05-1

क्रमांकःराम / भू.अ. / NLRMP/ F-126/2017/962

जिला कलक्टर,
समस्त।

विषयः- विडियो कान्फ्रेंसिंग दिनांक 13.04.2018 प्राप्त निर्देशो की बिन्दुवार पालना
प्रसंगः- कार्यालय भू-प्रबंध आयुक्त राजस्थान जयपुर का पत्रांक 2476 दिनांक 04.05.18

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आयुक्त भू-प्रबंध एवं नोडल अधिकारी DILRMP राजस्था जयपुर की अध्यक्षता में विडियो कान्फ्रेंसिंग दिनांक 13.04.2018 का कार्यवाही विवरण भिजवाया गया है बैठक में दिए निर्देश जो मण्डल से संबंधित है निम्न प्रकार है जिनके संबंध में मण्डल से की ग /प्रस्तावित कार्यवाही निम्नानुसार है :-

कार्यवाही विवरण का बिन्दु संख्या.	तहसील	समस्या	मण्डल द्वारा की गई/प्रस्तावित कार्यवाही/ निर्देश
6	देसूरी	भूमि समर्पण के प्रकरण में दो नये नम्बर बन जाते है जो नहीं होने चाहिए।	भूमि समर्पण के प्रकरण में यदि समर्पण आंशिक है नियमानुसार खसरे विभाजन की कार्यवाही होगी। त खसरे विभाजन की स्थिति में राजस्थान लैण्ड रेवे (लैण्ड रिकार्ड्स) रूल्स 1957 के नियम 62(ii) प्रावधानों के अनुसार दो नवीन नम्बर लिखे जाने चाहि इस संबंध में राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (लैण्ड रिका रूल्स 1957 के नियम 62(ii) में पूर्व में ही प्रावधान अतः वर्तमान में ऑनलाईन नामान्तरकरण में सम स्वीकारोक्ति प्रकियानुसार ही है। उक्तानुसार कार्य सुनिश्चित करावें।

उपरोक्त प्रकृति के प्रकरण में निर्देशानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें।

भवदीय

निबंधक,
राजस्व मण्डल राज
अजमेर
दिनांक 17

प्रतिलिपि :क्रमांकः सम/963-64
1. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग एवं नोडल अधिकारी DILRMP जयपुर।
2. तकनीकी निदेशक एवं राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राज ईकाई, कमरा नम्बर 318, उत्तर पश्चिम खण्ड, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।

प्रभारी अधिकारी (DILR
राजस्व मण्डल रा
अजमेर

E-Mail
22

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

दिनांकः– 17-05-18

क्रमांकःराम / भू.अ. / NLRMP/ F-126/2017/ 966

जिला कलक्टर,
समस्त।

विषयः– विडियो कान्फ्रेंसिंग दिनांक 13.04.2018 प्राप्त निर्देशो की बिन्दुवार पालना।

प्रसंगः– कार्यालय भू–प्रबंध आयुक्त राजस्थान जयपुर का पत्रांक 2476 दिनांक 04.05.18

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आयुक्त भू–प्रबंध एवं नोडल अधिकारी **DILRMP** राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में विडियो कान्फ्रेंसिंग दिनांक 13.04.2018 का कार्यवाही विवरण भिजवाया गया है। बैठक में दिए निर्देश जो मण्डल से संबंधित है निम्न प्रकार है जिनके संबंध में मण्डल से की गई /प्रस्तावित कार्यवाही निम्नानुसार है :–

कार्यवाही विवरण का बिन्दु संख्या.	तहसील	समस्या	मण्डल द्वारा की गई / प्रस्तावित कार्यवाही / निर्देश
5	झुंझुनूं	एक खातेदार के हिस्से पर रहन हो तो खाता विभाजन संभव हो तथा बैंक स्टे सूचना स्वतः जावे।	एक खातेदार के हिस्से पर रहन हो तो खाता विभाजन के संबंध में आवश्यक निर्देश मण्डल के पत्र 877 दिनांक 09.05.2018 से जारी किए जा चुके है। उक्तानुसार कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

उपरोक्त प्रकृति के प्रकरण में निर्देशानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें।

भवदीय

निबंधक,
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर
दिनांक 17-05

प्रतिलिपि :क्रमांकः सम/967-68

1. आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग एवं नोडल अधिकारी **DILRMP** जयपुर।
2. तकनीकी निदेशक एवं राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राजस्थान ईकाई, कमरा नम्बर 318, उत्तर पश्चिम खण्ड, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित लेख कि सॉफ्टवेयर में आवश्यक ऑप्शन का प्रावधान किया जावे।

प्रभारी अधिकारी (DILRMP)
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

E-Mail
23

484/DILRMP

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांकःराम/भू.अ./NLRMP/ F-126/2017/ 1082 दिनांकः– 11-06-18

वरिष्ठ तकनीकी निदेशक,
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राजस्थान,
राज्य ईकाई, कमरा नम्बर 318, उत्तर पश्चिम खण्ड,
शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर

विषय :– ऑनलाईन जमाबन्दी के पश्चात राजस्व कार्यो में आ रही रूकावटों के निराकरण क संबंध में।

प्रसंग :– एएसआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कुढायला इडस्ट्रीयल एरिया, रामगंज मण्डी जिला कोटा, द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 22.05.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तगर्त एएसआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कुढायला इडस्ट्रीयल एरिया, रामगंज मण्डी जिला कोटा, द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 22.05.2018 मण्डल को प्रेषित कर निवेदन किया है कि तहसील रामगंज मण्डी ऑनलाइन हो चुकी है। ऑनलाइन तहसील में नामान्तकरण प्रकिया अत्यन्त धीमी है साथ ही ऑनलाइन प्रकिया में कई प्रकार की समस्या आ रही है। इस संबंध में निम्न समस्याए अवगत कराई है :–

क0सं0	आवेदक द्वारा अवगत कराई गई समस्या	निर्देश/ अपेक्षित कार्यवाही
1	ऑनलाइन नामान्तरकण प्रकिया में यदि एक खाते में एक साथ दो या अधिक नामान्तरकण दर्ज करने सम्भव नही है। यदि एक ही खाते में दो या अधिक सहखातेदारों की मृत्यु हो गई या एक से अधिक सहखातेदारों को बैंक से ऋण लेना हो अथवा एक ही खाते से दो या अधिक व्यक्तियों ने भूमि कया करके विकय पत्र अलग–अलग पंजीबद्ध करवाए हो तो नामान्तरकरण प्रकिया पूर्ण हाने में महीनों लग जाते है। (इस संबंध में कोटा जिले की रामगंज मण्डी के ग्राम सातलखेडी के खाता सख्या 83 का उदाहरण प्रस्तुत किया है)	एक ही खसरा नम्बर पर एक समय में एक र अधिक नामान्तरकण की कार्यवाही की जानी है त नियमानुसार एक नामान्तरकण फैसल होने के पश्चात ही दूसरा नामान्तरकण दर्ज किया जाना उचित है। अतः वर्तमान में सॉफ्टवेयर में यही प्रावधान है। किन्तु इसके साथ ही अन्य नामान्तरकण प्रकियाधीन होने का नोट प्रदर्शित होना चाहिए जो कि सॉफ्टवेयर में नही दर्शाया जा रहा है। इसके साथ ही खाते के अन्य खसरों नामान्तरकण की कार्यवाही की जा सके इस प्रका का प्रावधान सॉफ्टवेयर में किया जाना सुनिश्चित करावें।
2	नामान्तरकरण लॉक करते समय कम्प्यूटर प्रोग्राम बैक होना। – निर्णीत नामान्तरकरण को लॉक करते समय कम्प्यूटर प्रोग्राम बैक हो जाने से आज तक नामान्तरकरण सं. 907 लॉक नहीं हो पाया है एवं विक्रेता का ही नाम खाते में दर्ज चला आ रहा है। रिसोर्स पर्सन द्वारा उक्त नामान्तरकरण को लॉक करने का कई बार प्रयास किया गया किन्तु स्थिति जस की तस ही रही। इसके संबंध में रिसोर्स पर्सन द्वारा सक्षम अधिकारियों को ई–मेल भी किये जा चुके है, किन्तु आज तक समस्या का हल नहीं निकला।	यह समस्या सॉफ्टवेयर से संबंधित है। इस संबंध म आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें।

आवेदक द्वारा अवगत कराई गई समस्याओं के संबंध में उपरोक्तानुसार कार्यवाही कर मण्डल को अवगत करावें।

भवदीय

निबंधक,
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

कमांकः सम/ दिनांक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग एवं नोड़ल अधिकारी **DILRMP**, राजस्थान, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, कोटा को प्रासंगिक कम में सूचनार्थ।
3. एएसआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कुढायला इडस्ट्रीयल एरिया, रामगंज मण्डी जिला कोटा

प्रभारी अधिकारी **DILRMP**,
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर

484/DILRMP

E-Mail
24

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांकःराम/भू.अ./NLRMP/ F-126/2017/ दिनांकः–

वरिष्ठ तकनीकी निदेशक,
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राजस्थान,
राज्य ईकाई, कमरा नम्बर 318, उत्तर पश्चिम खण्ड,
शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर

विषय :– ऑनलाईन जमाबन्दी के पश्चात राजस्व कार्यो में आ रही रूकावटों के निराकरण क संबंध में।

प्रसंग :– एएसआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कुढायला इडस्ट्रीयल एरिया, रामगंज मण्डी जिला कोटा, द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 22.05.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तगर्त एएसआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कुढायला इडस्ट्रीयल एरिया, रामगंज मण्डी जिला कोटा, द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 22.05.2018 मण्डल को प्रेषित कर निवेदन किया है कि तहसील रामगंज मण्डी ऑनलाइन हो चुकी है। ऑनलाइन तहसील में नामान्तकरण प्रकिया अत्यन्त धीमी है साथ ही ऑनलाइन प्रकिया में कई प्रकार की समस्या आ रही है। इस संबंध में निम्न समस्याए अवगत कराई है :–

क0सं0	आवेदक द्वारा अवगत कराई गई समस्या	निर्देश/ अपेक्षित कार्यवाही
1	ऑनलाइन नामान्तरकण प्रकिया में यदि एक खाते में एक साथ दो या अधिक नामान्तरकण दर्ज करने सम्भव नही है। यदि एक ही खाते में दो या अधिक सहखातेदारों की मृत्यु हो गई या एक से अधिक सहखातेदारों को बैंक से ऋण लेना हो अथवा एक ही खाते से दो या अधिक व्यक्तियों ने भूमि क्रया करके विक्रय पत्र अलग–अलग पंजीबद्ध करवाए हो तो नामान्तरकरण प्रकिया पूर्ण हाने में महीनों लग जाते है। (इस संबंध में कोटा जिले की रामगंज मण्डी के ग्राम सातलखेडी के खाता सख्या 83 का उदाहरण प्रस्तुत किया है)	एक ही खसरा नम्बर पर एक समय में एक से अधिक नामान्तरकण की कार्यवाही की जानी है तो नियमानुसार एक नामान्तरकण फैसल होने के पश्चात ही दूसरा नामान्तरकण दर्ज किया जाना उचित है। अतः वर्तमान में सॉफ्टवेयर में यही प्रावधान है। किन्तु इसके साथ ही अन्य नामान्तरकण प्रकियाधीन होने का नोट प्रदर्शित होना चाहिए जो कि सॉफ्टवेयर मे नही दर्शाया जा रहा है। इसके साथ ही खाते के अन्य खसरों मे नामान्तरकण की कार्यवाही की जा सके इस प्रकार का प्रावधान सॉफ्टवेयर में किया जाना सुनिश्चित करावें।
2	नामान्तरकरण लॉक करते समय कम्प्यूटर प्रोग्राम बैक होना। निर्णीत नामान्तरकरण को लॉक करते समय कम्प्यूटर प्रोग्राम बैक हो जाने से आज तक नामान्तरकरण सं. 907 लॉक नहीं हो पाया है एवं विक्रेता का ही नाम खाते में दर्ज चला आ रहा है। रिसोर्स पर्सन द्वारा उक्त नामान्तरकरण को लॉक करने का कई बार प्रयास किया गया किन्तु स्थिति जस की तस ही रही। इसके संबंध में रिसोर्स पर्सन द्वारा सक्षम अधिकारियों को ई–मेल भी किये जा चुके है, किन्तु आज तक समस्या का हल नहीं निकला।	यह समस्या सॉफ्टवेयर से संबंधित है। इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें।

आवेदक द्वारा अवगत कराई गई समस्याओं के संबंध में उपरोक्तानुसार कार्यवाही कर मण्डल को अवगत करावें।

भवदीय
ह0/–
निबंधक,
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

क्रमांकः सम/1083–85
दिनांक 11–06–18

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग एवं नोड़ल अधिकारी DILRMP, राजस्थान, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, कोटा को प्रासंगिक कम में सूचनार्थ।
3. एएसआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कुढायला इडस्ट्रीयल एरिया, रामगंज मण्डी जिला कोटा

प्रभारी अधिकारी DILRMP,
राजस्व मण्डल राजस्थान.

484/DILRMP

E-R

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांकःराम/भू.अ./NLRMP/ F-126/2017/ दिनांकः–

वरिष्ठ तकनीकी निदेशक,
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राजस्थान,
राज्य ईकाई, कमरा नम्बर 318, उत्तर पश्चिम खण्ड,
शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर

विषय :– ऑनलाईन जमाबन्दी के पश्चात राजस्व कार्यो में आ रही रूकावटों के निराकरण क संबंध में।

प्रसंग :– एएसआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कुढायला इडस्ट्रीयल एरिया, रामगंज मण्डी जिला कोटा, द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 22.05.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तगर्त एएसआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कुढायला इडस्ट्रीयल एरिया, रामगंज मण्डी जिला कोटा, द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 22.05.2018 मण्डल को प्रेषित कर निवेदन किया है कि तहसील रामगंज मण्डी ऑनलाइन हो चुकी है। ऑनलाइन तहसील में नामान्तकरण प्रकिया अत्यन्त धीमी है साथ ही ऑनलाइन प्रकिया में कई प्रकार की समस्या आ रही है। इस संबंध में निम्न समस्याए अवगत कराई है :–

क0सं0	आवेदक द्वारा अवगत कराई गई समस्या	निर्देश/ अपेक्षित कार्यवाही
1	ऑनलाइन नामान्तरकण प्रकिया में यदि एक खाते में एक साथ दो या अधिक नामान्तरकण दर्ज करने सम्भव नही है। यदि एक ही खाते में दो या अधिक सहखातेदारों की मृत्यु हो गई या एक से अधिक सहखातेदारों को बैंक से ऋण लेना हो अथवा एक ही खाते से दो या अधिक व्यक्तियों ने भूमि कया करके विकय पत्र अलग–अलग पंजीबद्ध करवाए हो तो नामान्तरकरण प्रकिया पूर्ण हाने में महीनों लग जाते है। (इस संबंध में कोटा जिले की रामगंज मण्डी के ग्राम सातलखेडी के खाता सख्या 83 का उदाहरण प्रस्तुत किया है)	एक ही खसरा नम्बर पर एक समय में एक से अधिक नामान्तरकण की कार्यवाही की जानी है तो नियमानुसार एक नामान्तरकण फैसल होने के पश्चात ही दूसरा नामान्तरकण दर्ज किया जाना उचित है। अतः वर्तमान में सॉफ्टवेयर में यही प्रावधान है। किन्तु इसके साथ ही अन्य नामान्तरकण प्रकियाधीन होने का नोट प्रदर्शित होना चाहिए जो कि सॉफ्टवेयर में नही दर्शाया जा रहा है। इसके साथ ही खाते के अन्य खसरों में नामान्तरकण की कार्यवाही की जा सके इस प्रकार का प्रावधान सॉफ्टवेयर में किया जाना सुनिश्चित करावें।
2	नामान्तरकरण लॉक करते समय कम्प्यूटर प्रोग्राम बैक होना। – निर्णीत नामान्तरकरण को लॉक करते समय कम्प्यूटर प्रोग्राम बैक हो जाने से आज तक नामान्तरकरण सं. 907 लॉक नहीं हो पाया है एवं विक्रेता का ही नाम खाते में दर्ज चला आ रहा है। रिसोर्स पर्सन द्वारा उक्त नामान्तरकरण को लॉक करने का कई बार प्रयास किया गया किन्तु स्थिति जस की तस ही रही। इसके संबंध में रिसोर्स पर्सन द्वारा सक्षम अधिकारियों को ई–मेल भी किये जा चुके है, किन्तु आज तक समस्या का हल नहीं निकला।	यह समस्या सॉफ्टवेयर से संबंधित है। इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें।

आवेदक द्वारा अवगत कराई गई समस्याओं के संबंध में उपरोक्तानुसार कार्यवाही कर मण्डल को अवगत करावें।

भवदीय
ह0/–
निबंधक,
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

क्रमांकः सम/1083-85 दिनांक 11-06-18

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग एवं नोड़ल अधिकारी **DILRMP**, राजस्थान, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, कोटा को प्रासंगिक कम में सूचनार्थ।
3. एएसआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कुढायला इडस्ट्रीयल एरिया, रामगंज मण्डी जिला कोटा

प्रभारी अधिकारी **DILRMP**,
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर

E-mo

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांकःराम/भू.अ./NLRMP/F-126/2017/ 1130 दिनांकः– 14/6/18

जिला कलक्टर,
जयपुर।

विषय :–सेग्रीगेशन के मध्य स्टे के खातों में हुई अशुद्धियों को शुद्ध करने के कम में।
प्रसंग :–तहसीलदार चौमू का पत्रांक 1634 दिनांक 25.04.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत तहसीलदार चौमू द्वारा प्रासंगिक पत्र से अवगत कराया है कि तहसील चौ में सेग्रीगेशन कार्य के दौरान कुछ तकनीकी एवं लिपिकीय त्रुटियां :–

1. जाति संबंधी
2. बैंक संबंधी
3. नाम संबंधी
4. इत्यादि

जैसी अशुद्धियां सेग्रीगेशन के समय सहवन से हो गयी। परन्तु जिन खातों में स्टे लगा हुआ है उन खातों में जब शुद्धि करते है तो सिस्टम ई–धरती सॉफ्टवेयर बताता है कि उक्त खाते पर स्टे का नोट प्रकियाधीन है जिससे खाते में शुद्धि नहीं की जा सकती है अतः स्टे वाले खातों में शुद्धि पत्र से शुद्धि किए जाने के संबंध मे मार्गदर्शन चाहा गया है।

इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि संबंधित तहसीलदार के माध्यम से संबंधित खाते की जमाबन्दियों की (सेग्रिगेशन से पूर्व एवं सेग्रिगेशन के पश्चात की) प्रतिलिपि संलग्न कर वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए सक्षम न्यायालय से सेग्रिगेशन कार्य के दौरान हेतु त्रुटियों के संशोधन की स्वीकृति हेतु आवेदन करवाया जाना सुनिश्चित करावें ।

भवदीय

निबंधक,
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर
दिनांक

कमांकः सम/
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग एवं नोड़ल अधिकारी **DILRMP**, राजस्थान, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, समस्त को उपरोक्त प्रकृति के प्रकरण में निर्देशानुसार कार्यवाही करवाए जाने हेतु प्रेषित है।
3. तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राजस्थान, राज्य ईकाई, कमरा नम्बर 318,उत्तर पश्चिम खण्ड, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर ।

प्रभारी अधिकारी **DILRMP**,
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर

E-Mail
27

557/DILRMP

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांकःराम/भू.अ./NLRMP/ F-126/ /2018/ दिनांकः–

वरिष्ठ तकनीकी निदेशक,
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राजस्थान,
राज्य ईकाई, कमरा नम्बर 318, उत्तर पश्चिम खण्ड,
शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर

विषय :–तहसील सागवाडा के ऑनलाईन नामान्तरकरण दर्ज करने के क्रम में।
प्रसंग :– तहसीलदार (भू0अ0) सागवाड़ा जिला डूंगरपुर का पत्रांक 2394--97 दिनांक 04.07.2018 (प्रति संलग्न)

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा तहसीलदार (भू0अ0) सागवाड़ा ने अवगत कराया है कि तहसील सागवाड़ा का राजस्व रिकार्ड ऑनलाईन किया जा चुका है, वर्तमान में तहसील सागवाड़ा में ऑनलाईन नामान्तरकरण दर्ज किये जा रहे है। तहसील सागवाड़ा में स्थानीय निकाय नगरपालिका सागवाड़ा है। अतः तहसील सागवाड़ा में 90क के आदेश द्वारा खातेदारी भूमि को संबंधित खातेदारान् से नगरपालिका सागवाड़ा के हक में नामान्तरकरण दर्ज किये जाने हेतु आदेश प्राप्त होते है जिसके कम में स्थानीय निकाय नगरपालिका सागवाड़ा के नाम नामान्तरकरण दर्ज किये जाते रहे है, परन्तु ऑनलाईन नामान्तरकरण दर्ज करने पर नामान्तरकरण के प्रकार में 90क का कोई विकल्प नहीं है चूंकि 90क के आदेश के द्वारा खातेदार का नाम बदला जाकर खातेदार के स्थान पर संबंधित स्थानीय निकाय नगरपालिका सागवाड़ा के नाम भूमि दर्ज की जानी होती है अतः उक्त समस्या में मार्गदर्शन चाहने बाबत् निवेदन किया गया है ताकि 90क के नामान्तरकरण की कार्यवाही की जा सके।

तहसील सागवाड़ा में स्थानीय निकाय नगरपालिका सागवाड़ा में 90क के आदेश द्वारा खातेदारी भूमि को संबंधित खातेदारान् से नगरपालिका सागवाड़ा के हक में नामान्तरकरण दर्ज किये जाने हेतु राजस्थान भू–राजस्व(भू–अभिलेख) नियम 1957 के नियम 164(ड) जिम्मन (नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका) में समर्पित भूमि को हस्तान्तरण किए जाने हेतु सॉफ्टवेयर में प्रावधान करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

समान प्रकृति के समस्त प्रकरणों (जिला अजमेर की पुष्कर नगर पालिका क्षेत्र हेतु) में भी उक्तानुसार व्यवस्था किए जाने का सॉफ्टवेयर में प्रावधान करावें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

निबंधक,
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

क्रमांकः सम/1346-47 दिनांक 10-07-18

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग एवं नोड़ल अधिकारी DILRMP, राजस्थान, जयपुर।
2. जिला कलक्टर डूंगरपुर को प्रासंगिक पत्र के कम में एनआईसी, जयपुर से सम्पर्क कर आवश्यक कार्यवाही करवाने हेतु प्रेषित है।

प्रभारी अधिकारी DILRMP,
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर

590/DILRMP

स्मरण–पत्र / ई–मेल

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

दिनांकः–27-07-18

क्रमांकःराम / भू.अ. / NLRMP/ F-126/2018/1490

वरिष्ठ तकनीकी निदेशक,
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राजस्थान,
राज्य ईकाई, कमरा नम्बर 318, उत्तर पश्चिम खण्ड,
शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर

विषय :– तहसील बसेड़ी के ऑनलाईन राजस्व ग्रामों के रकबे में संशोधन कराने बाबत्।

प्रसंगः– जिला कलक्टर (भू0अ0) धौलपुर का पत्रांक 3098 व 4504 दिनांक 04.07.18

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत जिला धौलपुर की बसेडी तहसील हेतु सॉफ्टवेयर में वांछित प्रावधान करवाने हेतु प्रासंगिक पत्र लिखा गया था, जो आदिनांक अपेक्षित है। अतः पत्रांक 4504 दिनांक 04.07.18 की प्रति संलग्न कर ई–धरती 1.0 सॉफ्टवेयर में रकबें को संशोधित करने हेतु वांछित प्रावधान करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

उक्त प्रावधान राज्य सरकार द्वारा भू–राजस्व अधिनियम की धारा–16 की शक्तियां जिला कलक्टर्स को प्रत्यायोजित किये जाने से अधिसूचना प्रेषित किये जाने की स्थिति में ही उक्त प्रावधान लागू होंगे। अतः अधिसूचना रकबा संशोधन की स्थिति में ग्राम के मुख्य पृष्ठ पर प्रदर्शित कराने की व्यवस्था भी करावें।

भवदीय

निबंधक,
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर
दिनांक

क्रमांकः सम /
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग एवं नोड़ल अधिकारी DILRMP, राजस्थान, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, धौलपुर को प्रासंगिक पत्र के क्रम में संबंधित को एनआईसी, जयपुर से सम्पर्क कर वांछित प्रावधान करवाए जाने हेतु निर्देशित कराने बाबत् प्रेषित है।
3. जिला कलक्टर्स समस्त को प्रेषित कर निवेदन है कि ऑनलाईन तहसीलों में ग्रामों की सीमाओं अथवा रकबा संशोधन की स्थिति में उक्त कार्यवाही हेत अधिसूचना की प्रति NIC को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

प्रभारी अधिकारी DILRMP,
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर

602/DILRMP

E-Mail
29

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांकःराम/भू.अ./NLRMP/ F-126/online/2018/ दिनांकः–

वरिष्ठ तकनीकी निदेशक,
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राजस्थान,
राज्य ईकाई, कमरा नम्बर 318, उत्तर पश्चिम खण्ड,
शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर

विषय :– तहसील पुष्कर में ऑनलाईन नामान्तकरण दर्ज करने के संबंध में।
प्रसंग :– कार्यालय जिला कलक्टर (भू.अ.) अजमेर का पत्रांक 6198 दिनांक 20.07.18

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के द्वारा तहसील पुष्कर जो कि ऑनलाईन तहसील है, राजस्व अभियानों में नियम 166 के तहत शुद्धि पत्र प्रस्तावित किये गये है, तथा कई प्रस्तावित शुद्धि पत्रों में खसरा नम्बरों के विभाजन किये जाने है। किन्तु वर्तमान सॉफ्टवेयर में शुद्धि पत्र दर्ज करने पर खसरा नम्बरान के विभाजन/खसरों का अन्य खाते में विलय का विकल्प नहीं है। अतः सॉफ्टवेयर में उक्त विकल्प उपलब्ध करवाने हेतु निवेदन किया गया है।

इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि नियम 166 (फर्द बदर) के अन्तर्गत मूलतः दो प्रकार के संशोधन किये जा सकते है– (1) गत जमाबंदी चौसाला से वर्तमान जमाबंदी लेखन में हुई लिपकिय त्रुटियों के सुधार हेतु। (2) किसी नामान्तरकरण को जमाबंदी में शामिल करते समय हुई त्रुटि जिसको दुरूस्त करने हेतु किसी नामान्तरकण आदेश में परिवर्तन नहीं करना पडे अर्थात् नामान्तरकरण के अमल दरामद में हुई लिपिकिय त्रुटियों को भी फर्द बदर के माध्यम से किये जाने वाले आदेश से पश्चात्वर्ती कोई नामान्तकरण प्रभावित नहीं हो। अतः नामान्तरकरण से किये जाने वाले समस्त आदेशों का प्रावधान फर्द बदर पर भी दिया जावे इस प्रकार के प्रावधान सॉफ्टवेयर में करते समय पूर्व में स्वीकृत नामान्तरकरण का क्रमांक, स्वीकृति दिनांक तथा नामान्तरकरण की प्रति भी अपलोड कराए जावे ,का प्रावधान कराया जाना सुनिश्चित करावे।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

निबंधक
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

क्रमांकः सम/1520–22 दिनांक 02-08-18

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग एवं नोड़ल अधिकारी DILRMP, राजस्थान, जयपुर।
2. कार्यालय जिला कलक्टर (भू.अ.) अजमेर का पत्रांक 6198 दिनांक 20.07.18 के क्रम में संबंधित को NIC, जयपुर से सम्पर्क कर समस्या का समाधान करवाने हेतु निर्देश जारी कराने बाबत् प्रेषित है।
3. जिला कलक्टर समस्त को प्रेषित कर निवेदन है कि समान प्रकृति की समस्या यदि आपके जिले में भी हो तो समस्या का समाधान कराने हेतु अपनी तथ्यात्मक टिप्पणी सहित सॉफ्टवेयर में आवश्यक प्रावधान करवाने हेतु एनआईसी, जयपुर को प्रस्ताव भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

प्रभारी अधिकारी DILRMP,
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर

E-Mail
30 6

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांकःराम / भू.अ. / NLRMP/ F-126/2018/ 1586 दिनांकः– 16-08-18

जिला कलक्टर,
समस्त।

विषय :– DILRMP योजना के अन्तर्गत तहसीलों में करवाए जा रहे जमाबन्दी सेग्रिगेशन तथा डिजिटाइजेशन ऑफ खसरा नक्शों में आ रही समस्याओं के संबंध में।

प्रसंग :– राजस्व मण्डल कार्यालय में दिनांक 30.07.2018 को पटवार संघ से हुई वार्ता के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक क्रम में निवेदन है कि राजस्व मण्डल कार्यालय में पटवार संघ दिनांक 30.07.2018 को वार्ता हुई। DILRMP योजना के अन्तर्गत तहसीलों में करवाए जा रहे जमाबन्द सेग्रिगेशन तथा डिजिटाइजेशन ऑफ खसरा नक्शों में रही समस्याओं के संबंध में निर्देश जारी करवाए जा हेतु निवेदन किया गया।

पटवार संघ से प्राप्त समस्याए एवं प्रस्तावित समाधान निम्न प्रकार है :–

सेग्रीगेशन

क्र.सं.	समस्या	समाधान
1.	वर्तमान जमाबन्दियों में लगभग 80 प्रतिशत खातों में हिस्से दर्ज नहीं है। नियमानुसार जमाबन्दी में कोई भी परिवर्तन नामान्तकरण अथवा शुद्धि पत्र के जरिये ही किया जा सकता है। खातों में हिस्से दर्ज करवाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जाती है तो इसके लिए पटवारियों को प्रत्येक खाते के लिए प्रकरण तैयार कर तहसीलदार/उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा जिसके लिए बन्दोबस्त से लेकर आजतक की नकले पटवारियों को तैयार करनी पडेगी। प्रत्येक तहसील में ऐसे हजारों प्रकरण दर्ज होते है जिनका निस्तारण करने में वर्षो लग जाते है।	यदि शामलाती खातों में हिस्सा न खोलकर यदि हिस्सा बराबर लिखा है तो कु भूमि को बराबर हिस्से के अनुसार विभाजि कर सेग्रीगेशन का कार्य किया जा सकता है गत मिसल बन्दोबस्त में शामलाती खाते हिस्सा दर्ज नहीं हो ऐसे कुछेक प्रकरण ही सकते है। बन्दोबस्त के पश्चात् हिस्से हुए तो जरिये नामान्तकरण दर्ज हुए है उन्हीं अनुसार हिस्से दर्ज किये जा सकते है। य किसी ग्राम में 80 प्रतिशत हिस्से दर्ज नहीं तो उनकी सूची बनाकर अभियान के तौर ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जा सक है। भू–प्रबंध कार्य बन्द होने के पश्च राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 धारा 132 व लैण्ड रिकार्ड रूल्स 1957 नियम 121 में उक्त कार्य हेतु राजस्व वि ही सक्षम है।
2.	हिस्से दर्ज करने के संबंध में अधिकारिक रूप से कोई दिशानिर्देश पटवारियों को उपलब्ध नहीं करवाये गये है समय समय पर आयोजित की जाने वाली वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग एवं तहसीलों में आयोजित बैठकों में पटवारियों को मौखिक निर्देश दिये जाते रहे है। राजस्व मण्डल अजमेर द्वार वर्ष 2015 से यह कार्य करवाया जा रहा है, परन्तु अधिकारिक आदेश सितम्बर, 2017 में जारी किये गये है।	राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पत्र क्र BR/LR/DILRMP/ F-126/ 2/11433–465 दिनांक 21.09.15 से स जिला कलक्टरों को सेग्रीगेशन कार्य कर जाने हेतु दिशा निर्देश प्रसारित किये हुए उसके पश्चात् पुनः पत्र क्र BR/LR/DILRMP/ F-126/पार्ट.2/10164- दिनांक 26.09.17 से समस्याओं के निराक हेतु दिशा निर्देश जारी किये जा चुके है।
3.	इस समस्या के समाधान हेतु राज्य सरकार अगर चाहे तो नियमों में संशोधन कर सेग्रीगेशन जमाबन्दी के लिए नियम बना दे कि जिन जिन ग्रामों का सेग्रीगेशन कार्य पूर्ण हो जाये उन ग्रामों की सेग्रिगेशन जमाबन्दी की एक एक प्रति विभाग की वेबसाईट, ग्राम पंचायत, पटवार घर व तहसील मुख्यालय पर काश्तकारों के अवलोकनार्थ रख दी जावे साथ ही अधिसूचना भी प्रसारित कर दी जावे। जिसमें	प्रारूप सं. पी–28 लगाया जा जमाबन्दी का अंतिम सत्यापन किया जाता जिसमें तहसीलदार द्वारा राज्य सरका राजस्व मण्डल के आदेशों के तहत किये क की जॉच उपरान्त जमाबन्दी को पूर्ण व मानने का प्रमाण पत्र दिया जाता है सेग्रीगेशन का कार्य पूर्ण होने व जांच उपरा तहसीलदार का प्रमाणीकरण होने पश्चात पर कोई कार्यवाही नहीं हो सकती। नियमों

	जमाबन्दियों पर प्रकाशन की तिथि से निर्धारित समयावधि में आपत्तियां आमंत्रित की जावें।	संशोधन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।
तरमीम		
4.	कई तहसीलों में बन्दोबस्त कार्य हुए 50–60 वर्ष हो चुके है एवं हजारों तरमीमें बकाया चल रही है। अधिकांश ऐसे मामलों में तरमीम बकाया है जहां पर बड़े नम्बरों में से समय समय पर काफी लोगों को आवंटन हुए है और मौके व रिकार्ड की स्थिति में काफी भिन्नता है तथा इससे संबंधित कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है।	लैण्ड रिकार्ड रूल्स 1957 के नियम 59, 60 व 125 में नक्शों को आदिनांक करने का कार्य राजस्व एजेन्सी का है। संबंधित रिकार्ड उपलब्ध नहीं होना नियमानुसार नहीं है। यदि किन्हीं प्रकरणों में यदि कोई समस्या हो तो प्रकरण तहसीलदार/उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर उनका निराकरण तहसील में टीम गठित कर अथवा भू–प्रबन्ध विभाग से तकनीकी सहयोग लिया जा कर नक्शे में तरमीम का कार्य किया जा सकता है।
5.	ऐसे ही बड़े खसरा नम्बर जिनके टुकड़े हो चुके है उनमें कुछ भूमि बिलानाम भी है जिसका जमाबन्दी में एक ही खसरा नम्बर है परन्तु मौके पर कहीं पर रास्ते सड़क व अन्य पड़त के रूप में भूमि शेष बचती है। इनकी एक ही नम्बर देकर तरमीम की जा सकती है?	बड़े खसरा नम्बरान के टुकड़े हो चुके है उनके नम्बर अलग अलग होते है बिलानाम भूमि का खसरा नम्बर अलग होता है। मौके पर रास्ता, सड़क व अन्य पड़त भूमि है, उसके बट्टा नम्बर देकर उनकी मौका अनुसार तरमीम की जा सकती है। यदि नये खसरा नम्बर विभाजन के कारण दर्ज किए जाने आवश्यक है तो नियमानुसार नामान्तरकरण दर्ज किए जा कर कार्यवाही की जा सकती है। रास्ता संबंधी समस्याओं का निराकरण एवं इससे संबंधित समाधान हेतु राजस्व (ग्रुप–6) द्वारा परिपत्र दिनांक 10.08.2016 जारी कर आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। उक्त निर्देशानुसार कार्यवाही की जानी है।
6.	कुछ ऐसे खसरा नम्बर भी है जिनमें आवंटन तो हुए है पर न तो मौके पर किसी का कब्जा है एवं न ही आवंटन से संबंधित नक्शे उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में किस आधार पर तरमीम की जावें।	आवंटन से संबंधित नक्शे उपलब्ध नहीं होने से काश्तकार को सूचना पत्र दिया जा कर मौके पर अपना कब्जा स्थिति स्पष्ट करने हेतु निर्देशित किया जावे तथा राजस्व जमाबन्दी में अंकित रकबा अनुसार नक्शे तरमीम की जा सकती है। इस प्रकिया में काश्तकार को कोई आपत्ति नहीं होगी क्योंकि उसके पास पूर्व का नक्शा नहीं है न ही कब्जा है।
7.	ऐसे खसरे जिनका रकबा बन्दोबस्त से ही मूल नक्शे में जमाबन्दी में दर्ज रकबे से कम है एवं उनमें कुछ आवंटियों के पास तो सही कब्जा है लेकिन कई काश्तकारों के पास आवंण्टित भूमि से कम भूमि पर कब्जा है। और कुछ का कब्जा ही नहीं है।	जिन आवंटियों का कब्जा नही है उन पर भू–राजस्व अधिनियम के तहत निर्मित आवण्टन नियम 1970 की धारा 14 (4) के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा कर आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही जा सकती है।
8.	कुछ मामलों में आवंटन जिस नम्बर में हुआ है वहाँ आवंटियों के कब्जे नहीं होकर अन्य नम्बर में है एवं आवंटित भूमि पर किसी अन्य का कब्जा है। उसकी तरमीम किस प्रकार की जावेगी।	यदि आवंटन नियमन में भूल हुई है उस भूल का सुधार हेतु उपखण्ड अधिकारी व जिला कलक्टर को सम्पूर्ण स्थिति दर्शाते हुए विस्तृत रिपोर्ट मय रिकार्ड प्रस्ताव तैयार कर भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 से भूल सुधार का कार्य किया जा सकता है। इस संबंध में राजस्व विभाग (ग्रुप–1) द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 2.11.1987 के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है।
9.	ज्यादातर ऐसे मामलों में तरमीमें शेष है ऐसे खसरा नम्बरों में मौके की वास्तविक स्थिति ज्ञात करने के लिए उन पूरे खसरा नम्बरों का विस्तृत सर्वे किया जाकर मौके का नक्शा तैयार किये जाने पर भी सही स्थिति सामने आ सकती है। उक्त सर्वे कार्य पटवारियों द्वारा किया जाना सम्भव नहीं है।	पटवारियों को भू–प्रबन्ध का सर्वेक्षण का सैद्धान्तिक व व्यावहारिक पूर्ण ज्ञान होता है एक बड़े खसरा नम्बर का मौका अनुसार सर्वेक्षण पटवारी द्वारा किया जा सकता है। किसी विशेष जटिल प्रकरणों में तहसील में टीम गठित कर अथवा भू–प्रबंध विभाग से तकनीकी सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। तरमीम का कार्य पटवारी द्वारा किया जाना ही नियमानुकूल है।

Cont 3

10.	कई तहसीलों में शत प्रतिशत तरमीमें पूर्ण की गई है वहाँ पर या तो पुनः बन्दोबस्त हो गया है या पटवारियों द्वारा दबाव में आकर गलत तरमीमें की गई है। उन तरमीमों के आधार पर सीमाज्ञान करवाने पर आये दिन विवाद सामने आयेंगे। वर्तमान में जमाबन्दी में दर्ज खसरा नम्बरों एवं नक्शे में दर्ज नम्बरों की 1:1 मैपिंग नहीं होने तक सेग्रीगेटेड जमाबन्दियों में अंतिम प्रमाण पत्र नहीं लगाने एवं नामान्तरकरण अपडेशन कार्य नियमित रूप से जारी रखने के निर्देश दिये गये है। तरमीम पूर्ण होने के पश्चात् 1:1 की मैपिंग नहीं होने तक यदि उन्हें प्रमाणित कर प्रयोग में नहीं लाया गया तो क्या पता कितने समय तक यह स्थिति बनी रहेगी और पटवारी चौसाला जमाबन्दियों एवं सेग्रीगेटेड जमाबन्दियों में नामान्तकरण अपडेट करता रहेगा।	लैण्ड रिकार्ड रूल्स 1957 में तरमीम करने हेतु पटवारी अधिकृत है। उसकी जॉच भू–अ भिलेख निरीक्षक द्वारा की जाती है। पटवारी द्वारा दबाव में आकर तरमीम करने का उल्लेख औचित्य पूर्ण नहीं है। पटवारी को नियमानुकूल तरमीम करनी चाहिए यदि तरमीम गलत प्रतीत हो तो रिपोर्ट कर सक्षम स्तर से आदेश प्राप्त कर सही तरमीम की कार्यवाही की जानी चाहिय। राजस्व रिकार्ड आदिनांकित करने का कार्य राजस्व एजेन्सी का है जब तक रिकार्ड आदिनांक नहीं होता है तब तक पटवारी, भू0अ0निरीक्षक व संबंधित राजस्व अधिकारी का कर्तव्य है कि जिसका निर्वहन उन्हें करना है।
11.	जिन तहसीलों में सेग्रीगेशन कार्य पूर्ण हो गया है वहाँ पर सेग्रीगेट जमाबन्दी को प्रयोग में लाने की स्वीकृति प्रदान कराई जावे एवं तरमीम पूर्ण होने के बाद नक्शों को लिंक करवाया जावें ताकि पटवारियों को दो दो जमाबन्दियां संधारित करने से राहत मिल सके।	इस संबंध में लैण्ड रिकार्ड रूल्स 1957 के अध्याय 7 में राज्य सरकार द्वारा पूर्व में ही प्रावधान किया जा चुका है। जिसके अनुसार सेग्रिगेशन का कार्य पूर्ण होने पर तहसील की अधिसूचना जारी होगी एवं अधिसूचित तहसील में स्थायी जमाबन्दी लागू होगी।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

भवदीय

निबंधक,
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर
दिनांक

क्रमांकः सम/
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–
1. आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग एवं नोडल अधिकारी DILRMP, राजस्थान, जयपुर।

प्रभारी अधिकारी DILRMP,
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांक:राम/भू.अ./NLRMP/ F-126/2018/1586

दिनांक:– 16-08-18

जिला कलक्टर,
अजमेर।

विषय :– DILRMP योजना के अन्तर्गत तहसीलों में करवाए जा रहे जमाबन्दी सेग्रिगेशन तथा डिजिटाइजेशन ऑफ खसरा नक्शों में रही समस्याओं के संबंध में।

प्रसंग :– राजस्व मण्डल कार्यालय में दिनांक 30.07.2018 को पटवार संघ से हुई वार्ता के कम में।

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक कम में निवेदन है कि राजस्व मण्डल कार्यालय में पटवार संघ से दिनांक 30.07.2018 को वार्ता हुई। DILRMP योजना के अन्तर्गत तहसीलों में करवाए जा रहे जमाबन्दी सेग्रिगेशन तथा डिजिटाइजेशन ऑफ खसरा नक्शों में रही समस्याओं के संबंध में निर्देश जारी करवाए जाने हेतु निवेदन किया गया।

पटवार संघ से प्राप्त समस्याए एवं प्रस्तावित समाधान निम्न प्रकार है :–

सेग्रीगेशन

क्र.सं.	समस्या	समाधान
	वर्तमान जमाबन्दियों में लगभग 80 प्रतिशत खातों में हिस्से दर्ज नहीं है। नियमानुसार जमाबन्दी में कोई भी परिवर्तन नामान्तकरण अथवा शुद्धि पत्र के जरिये ही किया जा सकता है। खातों में हिस्से दर्ज करवाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जाती है तो इसके लिए पटवारियों को प्रत्येक खाते के लिए प्रकरण तैयार कर तहसीलदार/उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा जिसके लिए बन्दोबस्त से लेकर आजतक की नकले पटवारियों को तैयार करनी पडेगी। प्रत्येक तहसील मे ऐसे हजारों प्रकरण दर्ज होते है जिनका निस्तारण करने में वर्षो लग जाते है।	यदि शामलाती खातों में हिस्सा नहीं खोलकर यदि हिस्सा बराबर लिखा है तो कुल भूमि को बराबर हिस्से के अनुसार विभाजित कर सेग्रीगेशन का कार्य किया जा सकता है। गत मिसल बन्दोबस्त में शामलाती खाते में हिस्सा दर्ज नहीं हो ऐसे कुछेक प्रकरण ही हो सकते है। बन्दोबस्त के पश्चात् हिस्से हुए है तो जरिये नामान्तकरण दर्ज हुए है उन्हीं के अनुसार हिस्से दर्ज किये जा सकते है। यदि किसी ग्राम में 80 प्रतिशत हिस्से दर्ज नहीं है तो उनकी सूची बनाकर अभियान के तौर पर ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है। भू–प्रबंध कार्य बन्द होने के पश्चात् राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 132 व लैण्ड रिकार्ड रूल्स 1957 के नियम 121 में उक्त कार्य हेतु राजस्व विभाग ही सक्षम है।
	हिस्से दर्ज करने के संबंध में अधिकारिक रूप से कोई दिशानिर्देश पटवारियों को उपलब्ध नही करवाये गये है समय समय पर आयोजित की जाने वाली वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग एवं तहसीलों में आयोजित बैठकों में पटवारियों को मौखिक निर्देश दिये जाते रहे है। राजस्व मण्डल अजमेर द्वार वर्ष 2015 से यह कार्य करवाया जा रहा है, परन्तु अधिकारिक आदेश सितम्बर, 2017 में जारी किये गये है।	राजस्व मण्डल अजमेर द्वार पत्र क्रमांक BR/LR/DILRMP/ F-126/पार्ट. 2/11433–465 दिनांक 21.09.15 से समस्त जिला कलक्टरों को सेग्रीगेशन कार्य करवाये जाने हेतु दिशा निर्देश प्रसारित किये हुए है। उसके पश्चात् पुनः पत्र क्रमांक BR/LR/DILRMP/ F-126/पार्ट.2/10164–96 दिनांक 26.09.17 से समस्याओं के निराकरण हेतु दिशा निर्देश जारी किये जा चुके है।
	इस समस्या के समाधान हेतु राज्य सरकार अगर चाहे तो नियमों में संशोधन कर सेग्रीगेशन जमाबन्दी के लिए नियम बना दे कि जिन जिन ग्रामों का सेग्रीगेशन कार्य पूर्ण हो जाये उन ग्रामों की सेग्रिगेशन जमाबन्दी की एक एक प्रति विभाग की वेबसाईट, ग्राम पंचायत, पटवार घर व तहसील मुख्यालय पर काश्तकारों के अवलोकनार्थ रख दी जावे साथ ही अधिसूचना भी प्रसारित कर दी जावे। जिसमें	प्रारूप सं. पी–28 लगाया जा कर जमाबन्दी का अंतिम सत्यापन किया जाता है जिसमें तहसीलदार द्वारा राज्य सरकार/ राजस्व मण्डल के आदेशों के तहत किये कार्य की जॉच उपरान्त जमाबन्दी को पूर्ण व सही मानने का प्रमाण पत्र दिया जाता है तो सेग्रीगेशन का कार्य पूर्ण होने व जांच उपरान्त तहसीलदार का प्रमाणीकरण होने पर पटवारी पर कोई कार्यवाही नहीं हो सकती। नियमों में

→ 629

जमाबन्दियों पर प्रकाशन की तिथि से निर्धारित समयावधि में आपत्तियां आमंत्रित की जावें।	संशोधन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।
कई तहसीलों में बन्दोबस्त कार्य हुए 50-60 वर्ष हो चुके है एवं हजारों तरमीमें बकाया चल रही है। अधिकांश ऐसे मामलों में तरमीम बकाया है जहाँ पर बडे नम्बरों में से समय समय पर काफी लोगों को आवंटन हुए है और मौके व रिकार्ड की स्थिति में काफी भिन्नता है तथा इससे संबंधित कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है।	लैण्ड रिकार्ड रूल्स 1957 के नियम 59, 60 व 125 में नक्शों को आदिनांक करने का कार्य राजस्व एजेन्सी का है। संबंधित रिकार्ड उपलब्ध नहीं होना नियमानुसार नहीं है। यदि किन्हीं प्रकरणों में यदि कोई समस्या हो तो प्रकरण तहसीलदार/उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर उनका निराकरण तहसील में टीम गठित कर अथवा भू-प्रबन्ध विभाग से तकनीकी सहयोग लिया जा कर नक्शे में तरमीम का कार्य किया जा सकता है।
ऐसे ही बडे खसरा नम्बर जिनके टुकडे हो चुके है उनमें कुछ भूमि बिलानाम भी है जिसका जमाबन्दी में एक ही खसरा नम्बर है परन्तु मौके पर कही पर रास्ते सड़क व अन्य पडत के रूप में भूमि शेष बचती है। इनकी एक ही नम्बर देकर तरमीम की जा सकती है?	बडे खसरा नम्बरान के टुकडे हो चुके है उनके नम्बर अलग अलग होते है बिलानाम भूमि का खसरा नम्बर अलग होता है। मौके पर रास्ते, सड़क व अन्य पड़त भूमि है, उसके बट्टा नम्बर देकर उनकी मौका अनुसार तरमीम की जा सकती है। यदि नये खसरा नम्बर विभाजन के कारण दर्ज किए जाने आवश्यक है तो नियमानुसार नामान्तरकरण दर्ज किए जा कर कार्यवाही की जा सकती है। रास्त संबंन्धी समस्याओं का निराकरण एवं इससे संबंधित समाधान हेतु राजस्व (ग्रुप-6) द्वारा परिपत्र दिनांक 10.08.2016 जारी कर आवश्यक निर्देश जारी किए है। उक्त निर्देशानुसार कार्यवाही की जानी है।
कुछ ऐसे खसरा नम्बर भी है जिनमें आवंटन तो हुए है पर न तो मौके पर किसी का कब्जा है एवं न ही आवंटन से संबंधित नक्शे उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में किस आधार पर तरमीम की जावें।	आवंटन से संबंधित नक्शे उपलब्ध नहीं होने से काश्तकार को सूचना पत्र दिया जा कर मौके पर अपना कब्जा स्थिति स्पष्ट करने हेतु निर्देशित किया जावे तथा राजस्व जमाबन्दी में अंकित रकबा अनुसार नक्शे तरमीम की जा सकती है। इस प्रकिया में काश्तकार को कोई आपत्ति नहीं होगी क्योंकि उसके पास पूर्व का नक्शा नहीं है न ही कब्जा है।
ऐसे खसरे जिनका रकबा बन्दोबस्त से ही मूल नक्शे में जमाबन्दी में दर्ज रकबे से कम है एवं उनमें कुछ आवंटियों के पास तो सही कब्जा है लेकिन कई काश्तकारों के पास आवंण्टित भूमि से कम भूमि पर कब्जा है। और कुछ का कब्जा ही नहीं है।	जिन आवंटियों का कब्जा नही है उन पर भू-राजस्व अधिनियम के तहत निर्मित आवण्टन नियम 1970 की धारा 14 (4) के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा कर आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही जा सकती है।
कुछ मामलों में आवंटन जिस नम्बर में हुआ है वहाँ आवंटियों के कब्जे नहीं होकर अन्य नम्बर में है एवं आवंटित भूमि पर किसी अन्य का कब्जा है। उसकी तरमीम किस प्रकार की जावेगी।	यदि आवंटन नियमन में भूल हुई है उस भूल को सुधार हेतु उपखण्ड अधिकारी व जिला कलक्टर को सम्पूर्ण स्थिति दर्शाते हुए विस्तृत रिपोर्ट मय रिकार्ड प्रस्ताव तैयार कर भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 से भूल सुधार का कार्य किया जा सकता है। इस संबंध में राजस्व विभाग (ग्रुप-1) द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 2.11.1987 के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है।
ज्यादातर ऐसे मामलों में तरमीमे शेष है ऐसे खसरा नम्बरों में मौके की वास्तविक स्थिति ज्ञात करने के लिए उन पूरे खसरा नम्बरों का विस्तृत सर्वे किया जाकर मौके का नक्शा तैयार किये जाने पर भी सही स्थिति सामने आ सकती है। उक्त सर्वे कार्य पटवारियों द्वारा किया जाना सम्भव नहीं है।	पटवारियों को भू-प्रबन्ध का सर्वेक्षण का सैद्धान्तिक व व्यावहारिक पूर्ण ज्ञान होता है एक बडे खसरा नम्बर का मौका अनुसार सर्वेक्षण पटवारी द्वारा किया जा सकता है। किसी विशेष जटिल प्रकरणों में तहसील में टीम गठित कर अथवा भू-प्रबंध विभाग से तकनीकी सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। तरमीम का कार्य पटवारी द्वारा किया जाना ही नियमानुकूल है।

Cont. 3

कई तहसीलों में शत प्रतिशत तरमीमें पूर्ण की गई है वहाँ पर या तो पुनः बन्दोबस्त हो गया है या पटवारियों द्वारा दबाव में आकर गलत तरमीमें की गई है। उन तरमीमों के आधार पर सीमाज्ञान करवाने पर आय दिन विवाद सामने आयेंगे। वर्तमान में जमाबन्दी में दर्ज खसरा नम्बरों एवं नक्शे में दर्ज नम्बरों की 1:1 मैपिंग नहीं होने तक सेग्रीगेटेड जमाबन्दियों में अंतिम प्रमाण पत्र नहीं लगाने एवं नामान्तरकरण अपडेशन कार्य नियमित रूप से जारी रखने के निर्देश दिये गये है। तरमीम पूर्ण होने के पश्चात् 1:1 की मैपिंग नहीं हाने तक यदि उन्हे प्रमाणित कर प्रयोग में नहीं लाया गया तो क्या पता कितने समय तक यह स्थिति बनी रहेगी और पटवारी चौसाला जमाबन्दियों एवं सेग्रीगेटेड जमाबन्दियों में नामान्तकरण अपडेट करता रहेगा।	लैण्ड रिकार्ड रूल्स 1957 में तरमीम करने हेतु पटवारी अधिकृत है। उसकी जॉच भू–अ भिलेख निरीक्षक द्वारा की जाती है। पटवारी द्वारा दबाव में आकर तरमीम करने का उल्लेख औचित्य पूर्ण नहीं है। पटवारी को नियमानुकूल तरमीम करनी चाहिए यदि तरमीम गलत प्रतीत हो तो रिपोर्ट कर सक्षम स्तर से आदेश प्राप्त कर सही तरमीम की कार्यवाही की जानी चाहिये। राजस्व रिकार्ड आदिनांकित करने का कार्य राजस्व एजेन्सी का है जब तक रिकार्ड आदिनांक नहीं होता है तब तक पटवारी, भू0अ0निरीक्षक व संबंधित राजस्व अधिकारी का कर्तव्य है कि जिसका निर्वहन उन्हें करना है।
जिन तहसीलों में सेग्रीगेशन कार्य पूर्ण हो गया है वहाँ पर सेग्रीगेट जमाबन्दी को प्रयोग में लाने की स्वीकृति प्रदान कराई जावे एवं तरमीम पूर्ण होने के बाद नक्शों को लिंक करवाया जावें ताकि पटवारियों को दो दो जमाबन्दियां संधारित करने से राहत मिल सके।	इस संबंध में लैण्ड रिकार्ड रूल्स 1957 के अध्याय 7 में राज्य सरकार द्वारा पूर्व में ही प्रावधान किया जा चुका है। जिसके अनुसार सेग्रिगेशन का कार्य पूर्ण होने पर तहसील की अधिसूचना जारी होगी एवं अधिसूचित तहसील में स्थायी जमाबन्दी लागू होगी।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

भवदीय

निबंधक,
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर
दिनांक 16-08-18

क्रमांक: सम/1587
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–
1. आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग एवं नोड़ल अधिकारी DILRMP, राजस्थान, जयपुर।

प्रभारी अधिकारी DILRMP,
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर

E-Mail
707
36

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांकःBR/ LR/ NLRMP/ प.–126 / 2018 /

दिनांकः–

वरिष्ठ तकनीकी निदेशक,
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राजस्थान, राज्य ईकाई,
कमरा नम्बर 318, उत्तर पश्चिम खण्ड, शासन सचिवालय,
राजस्थान, जयपुर

विषय :–DILRMP योजनान्तर्गत तकनीकी एजेन्सी होने के कारण तकनीकी समस्याओं का समाधान किए जाने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत DILRMP योजना जो एक केन्द्र प्रवर्तित योजना है, की गाइड लाइन्स के अनुसार राज्य की तकनीकी एजेन्सी एनआईसी है। सैन्ट्रल सेल, एनआईसी, जयपुर द्वारा गाइड लाइन्स के अनुसार योजना में तकनीकी सहयोग प्रदान किया गया है। वर्तमान में राज्य में तहसीलों को ऑनलाईन किए जाने का कार्य, खसरा नक्शों के डिजिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है। अपनाखाता सॉफ्टवेयर तथा ई-धरती सॉफ्टवेयर का संधारण, भू–नक्शा सॉफ्टवेयर को उपयोग हेतु प्रशिक्षण का कार्य सैन्ट्रल सेल, एनआईसी, जयपुर द्वारा ही किया जाता है।

DILRMP योजनान्तर्ग करवाए जा रहे कार्यो जब तक पूर्ण नहीं हो जाते है/ योजना समाप्त होने तक अथवा अग्रिम आदेशो तक मण्डल द्वारा करवाए जा रहे कार्यो की तकनीकी एजेन्सी, एनआईसी ही रहेगी।

ह0/–
निबन्धक,
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर
दिनांक 09-10-18

क्रमांकः सम/ 1984
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–
1. आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग, राजस्थान, जयपुर।

प्रभारी अधिकारी DILRMP,
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर

E-Mail
737
37

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांकःराम/भू.अ./NLRMP/ F-126/ ONLINE/2018/2064 दिनांकः– 15-11-18

वरिष्ठ तकनीकी निदेशक,
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राजस्थान,
राज्य ईकाई, कमरा नम्बर 318, उत्तर पश्चिम खण्ड,
शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर

विषय :– भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–ए के आदेशों के कम में ऑनलाईन नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु सॉफ्टवेयर में प्रावधान करवाए जाने बाबत्।

प्रसंग :– मण्डल का पत्रांक 1345 दिनांक 10.07.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत तहसील सागवाड़ा जिला डूंगरपुर के कम में अवगत कराया गया था कि तहसील सागवाड़ा में स्थानीय निकाय नगरपालिका सागवाड़ा है। अतः तहसील सागवाड़ा में 90क के आदेश द्वारा खातेदारी भूमि को संबंधित खातेदारान् से नगरपालिका सागवाड़ा के हक में नामान्तरकरण दर्ज किये जाने हेतु आदेश प्राप्त होते है जिसके कम में स्थानीय निकाय नगरपालिका सागवाड़ा के नाम नामान्तरकरण दर्ज किये जाते रहे है, परन्तु ऑनलाईन नामान्तरकरण दर्ज करने पर नामान्तरकरण के प्रकार में 90क का कोई विकल्प नहीं है चूंकि 90क के आदेश के द्वारा खातेदार का नाम बदला जाकर खातेदार के स्थान पर संबंधित स्थानीय निकाय नगरपालिका सागवाड़ा के नाम भूमि दर्ज की जानी होती है।

तहसील सागवाड़ा में स्थानीय निकाय नगरपालिका सागवाड़ा में 90क के आदेश द्वारा खातेदारी भूमि को संबंधित खातेदारान् से नगरपालिका सागवाड़ा के हक में नामान्तरकरण दर्ज किये जाने हेतु राजस्थान भू–राजस्व(भू–अभिलेख) नियम 1957 के नियम 164(ड) जिम्मन स्थानीय निकाय यथा विकास प्राधिकरण/नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका में समर्पित भूमि को हस्तान्तरण किए जाने हेतु सॉफ्टवेयर में प्रावधान करवाए जाने हेतु लिखा गया था, किन्तु उक्त प्रावधान आदिनांक नहीं करवाए गए है जिससे उपरोक्त नामान्तरकण दर्ज किए जाने में समस्या हो रही है।

इस संबंध में पुनः निर्देशित किया जाता है कि भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–ए के आदेशों के कम में सभी जिलों की सभी तहसीलों हेतु ऑनलाईन नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु सॉफ्टवेयर में शीघ्र प्रावधान करवाया जा कर अवगत करावें।

निबंधक,
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

क्रमांकः सम/ 2065–66 दिनांक 15-11-18

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग एवं नोड़ल अधिकारी DILRMP, राजस्थान, जयपुर।
2. जिला कलक्टर समस्त।

प्रभारी अधिकारी DILRMP,
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर

E-Mail
38

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांक:BR/ LR/ NLRMP/ F-126 / Online / 2018 / 251 दिनांक:– 07-02-19

श्री अरूण माथुर
तकनीकी निदेशक,
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राजस्थान,
राज्य ईकाई, कमरा नम्बर 318,
उत्तर पश्चिम खण्ड, शासन सचिवालय,
राजस्थान, जयपुर।

विषय :–ई–धरती सॉफ्टवेयर में ऑनलाईन म्यूटेशन में आ रही विभिन्न समस्याओं के समाधान बाबत्।

प्रसंग :–भू–प्रबंध आयुक्त राजस्थान जयपुर का पत्रांक 1003–04 दिनांक 02.02.19

उपरोक्त विषयान्तर्गत ई–धरती सॉफ्टवेयर के तहत म्यूटेशन खोलने व स्वीकृत करने में आ रहे व्यावहारिक व तकनीकी बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए नामान्तरकरण के सॉफ्टवेयर में प्रदत्त, बदलने के ऑप्शन में आगामी आदेश तक **"नामान्तरकरण की प्रकृति"** बदलने का ऑप्शन तत्काल प्रभाव से बंद करें। साथ ही राजस्व मण्डल द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 9458–90 दिनांक 26.05.2016 के परिपेक्ष्य में एक ही नामान्तरकरण संख्या से एक से अधिक नामान्तरकरण दर्ज करने का ऑप्शन तत्काल प्रभाव से बंद करें। (उदाहरण स्वरूप विनिमय एवं बंटवारे का ऑप्शन एक साथ दिया है)

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

निबन्धक,
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर
दिनांक 07-02-19

क्रमांक: सम/252 – 53
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–
1. आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. जिला कलक्टर समस्त।

प्रभारी अधिकारी DILRMP,
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर

E-Mail
39

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांकःBR/ LR/ NLRMP/ F-126 / / 2018 / 478 दिनांकः– 15-03-19

तकनीकी निदेशक,
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राजस्थान, राज्य ईकाई,
कमरा नम्बर 318, उत्तर पश्चिम खण्ड, शासन सचिवालय,
राजस्थान, जयपुर।

विषय :– ई–धरती सॉफ्टवेयर में प्रावधान के संबंध में।

महोदय,

ऑनलाईन तहसीलों में ऑनलाईन कार्य किए जाने में ई–धरती सॉफ्टवेयर में आ रही समस्याओं के निस्तारण के संबंध में दिनांक 08.03.2019 को मण्डल तथा एनआईसी द्वारा जयपुर स्थित कार्यालय में चर्चा की गई। चर्चा उपरान्त ई–धरती सॉफ्टवेयर में निम्नलिखित प्रावधान करवाए जाने का निर्णय लिया गया :–

1. ई–धरती सॉफ्टवेयर में लॉगिन किए जाने हेतु कलक्टर (भू0अ0)/ तहसीलदार/ना0तहसीलदार/ऑफिस कानूनगो/अतिरिक्त आफिस कानूनगो/तहसील व जिला रिसोर्स परसन/ अन्य की यूजर आई0डी0 को आधार कार्ड बेस किए जाने का प्रावधान किया जावे। ताकि संबंधित कार्मिक के द्वारा किये गये कार्यो के लिए जिम्मेदारी तय की जा सके।
2. एक तहसील में अधिकतम दो तहसील रिसोर्स परसन के लिए ई–धरती सॉफ्टवेयर में लॉगिन किए जाने का प्रावधान किया जावे।

   जो पटवारी अपने क्षेत्र का कार्य स्वयं किए जाने के प्रयोजन से लॉगिन आई0डी0 की मांग करते है उनके लिए भी तहसील रिसोर्स परसन की लॉगिन आई0डी0 से यूजर आई0डी0 जनरेट किए जाने का प्रावधान किया जावे। साथ ही ऐसी यूजर आई0डी0 से केवल "संबंधित पटवार क्षेत्र/भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र" का डेटा ही उपलब्ध हो, का प्रावधान भी सॉफ्टवयेर में किया जावें।
3. तहसील क्षेत्राधिकार के प्रथम रिसोर्स परसन की आई0डी0 के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार समस्त आई0डी0 को प्रथम तहसील रिसोर्स परसन द्वारा जनरेट किया जावे जिसे स्वीकार करने का दायित्व तहसीलदार को प्रदत्त किया जावें, उक्तानुसार आवश्यक प्रावधान सॉफ्टवेयर में किया जावे।
4. तहसीलदार की आई0डी0 जनरेट करने का कार्य जिला रिसोर्स परसन द्वारा किया जावे, जिसे स्वीकार करने का कार्य जिला कलक्टर (भू0अ0) द्वारा किया जाने का प्रावधान किया जावे।
5. खातों के जिम्मन में यदि नियमानुसार किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना है तो ऑफिस कानूनगों/अतिरिक्त आफिस कानूनगों की यूजर आई0डी0 से परिवर्तन/संशोधन का प्रावधान सॉफ्टवेयर में किया जावे।
6. किसी खाते में न्यायालय स्थगन, कुर्की, पैट्रोलियम पाईप लाईन, लीज, खनन प्रभावित क्षेत्र, अवाप्ताधीन भूमि, रेफरेंस आदि होने पर लगाए जाने वाले नोट में संबंधित तहसीलदार द्वारा दिए गए आदेश कमांक की अनिवार्यता का प्रावधान सॉफ्टवेयर में किया जावे।
7. प्रत्येक वर्ष 15 मई को खसरा इन्डेक्स व्यवस्थित रूप से जनरेट किए जाने का प्रावधान सॉफ्टवेयर में किया जावें। ताकि खसरा गिरदावरी का कार्य सुचारू रूप से संपादित कराया जा सके।
8. प्रत्यक वर्ष की 16 जून को समस्त ऑनलाईन तहसीलों के समस्त ग्रामों की जमाबन्दी जिम्मनवार हिन्दी वर्णमाला के वर्णानुकम में (रदीफवार अनुकम में) सुव्यवस्थित किए जाने हेतु सॉफ्टवेयर में प्रावधान किया जावें।

निबन्धक,
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर

CONT....

Jan 19 letter 114

E-Mail
40

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांकःBR/ LR/ NLRMP/ F-126 / / 2018 / 478 दिनांकः– 15-03-19

तकनीकी निदेशक,
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राजस्थान, राज्य ईकाई,
कमरा नम्बर 318, उत्तर पश्चिम खण्ड, शासन सचिवालय,
राजस्थान, जयपुर।

विषय :– ई–धरती सॉफ्टवेयर में प्रावधान के संबंध में।

महोदय,

ऑनलाईन तहसीलों में ऑनलाईन कार्य किए जाने में ई–धरती सॉफ्टवेयर में आ रही समस्याओं के निस्तारण के संबंध में दिनांक 08.03.2019 को मण्डल तथा एनआईसी द्वारा जयपुर स्थित कार्यालय में चर्चा की गई। चर्चा उपरान्त ई–धरती सॉफ्टवेयर में निम्नलिखित प्रावधान करवाए जाने का निर्णय लिया गया :–

1. ई–धरती सॉफ्टवेयर में लॉगिन किए जाने हेतु कलक्टर (भू0अ0)/ तहसीलदार/ना0तहसीलदार/ऑफिस कानूनगो/अतिरिक्त आफिस कानूनगो/तहसील व जिला रिसोर्स परसन/ अन्य की यूजर आई0डी0 को आधार कार्ड बेस किए जाने का प्रावधान किया जावे। ताकि संबंधित कार्मिक के द्वारा किये गये कार्यो के लिए जिम्मेदारी तय की जा सके।
2. एक तहसील में अधिकतम दो तहसील रिसोर्स परसन के लिए ई–धरती सॉफ्टवेयर में लॉगिन किए जाने का प्रावधान किया जावे।

   जो पटवारी अपने क्षेत्र का कार्य स्वयं किए जाने के प्रयोजन से लॉगिन आई0डी0 की मांग करते है उनके लिए भी तहसील रिसोर्स परसन की लॉगिन आई0डी0 से यूजर आई0डी0 जनरेट किए जाने का प्रावधान किया जावे। साथ ही ऐसी यूजर आई0डी0 से केवल "संबंधित पटवार क्षेत्र/भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र" का डेटा ही उपलब्ध हो, का प्रावधान भी सॉफ्टवयेर में किया जावें।
3. तहसील क्षेत्राधिकार के प्रथम रिसोर्स परसन की आई0डी0 के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार समस्त आई0डी0 को प्रथम तहसील रिसोर्स परसन द्वारा जनरेट किया जावे जिसे स्वीकार करने का दायित्व तहसीलदार को प्रदत्त किया जावें, उक्तानुसार आवश्यक प्रावधान सॉफ्टवेयर में किया जावे।
4. तहसीलदार की आई0डी0 जनरेट करने का कार्य जिला रिसोर्स परसन द्वारा किया जावे, जिसे स्वीकार करने का कार्य जिला कलक्टर (भू0अ0) द्वारा किया जाने का प्रावधान किया जावे।
5. खातों के जिम्मन में यदि नियमानुसार किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना है तो ऑफिस कानूनगों/अतिरिक्त आफिस कानूनगों की यूजर आई0डी0 से परिवर्तन/संशोधन का प्रावधान सॉफ्टवेयर में किया जावे।
6. किसी खाते में न्यायालय स्थगन, कुर्की, पैट्रोलियम पाईप लाईन, लीज, खनन प्रभावित क्षेत्र, अवाप्ताधीन भूमि, रेफरेंस आदि होने पर लगाए जाने वाले नोट में संबंधित तहसीलदार द्वारा दिए गए आदेश क्रमांक की अनिवार्यता का प्रावधान सॉफ्टवेयर में किया जावे।
7. [illegible] कराया जा सके।
8. प्रत्यक वर्ष की 16 जून को समस्त ऑनलाईन तहसीलों के समस्त ग्रामों की जमाबन्दी जिम्मनवार हिन्दी वर्णमाला के वर्णानुक्रम में (रदीफवार अनुक्रम में) सुव्यवस्थित किए जाने हेतु सॉफ्टवेयर में प्रावधान किया जावें।

निबन्धक,
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर

CONT...

D:\letter\\\

E-Mail
41

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांक:BR/ LR/ NLRMP/ प.--126/2018/535 दिनांक:– 28-03-19

वरिष्ठ तकनीकी निदेशक,
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राजस्थान, राज्य ईकाई,
कमरा नम्बर 318, उत्तर पश्चिम खण्ड, शासन सचिवालय,
राजस्थान, जयपुर

विषय :– अवाप्ति से पूर्व खाता रहन है तो रहन की स्थिति में अवाप्ति के होने पर ऑनलाइन नामान्तरकरण के संबंध में ई–धरती सॉफ्टवेयर में प्रावधान के संबंध में।

महोदय,

ऑनलाईन तहसीलों में ऑनलाईन कार्य किए जाने में ई–धरती सॉफ्टवेयर में आ रही समस्याओं के निस्तारण के संबंध में दिनांक 08.03.2019 को मण्डल तथा एनआईसी द्वारा जयपुर स्थित कार्यालय में चर्चा की गई। एनआईसी, जयपुर द्वारा अवाप्ति से पूर्व खाता रहन है तो रहन की स्थिति में अवाप्ति के होने पर ऑनलाइन नामान्तरकरण के संबंध में निर्देश चाहे गये। जिसके संबंध में निम्नानुसार प्रकार निर्देशित किया जाता है कि:–

ऐसी अवाप्ति/अन्तरण तब तक स्वीकार नहीं किए जावे जब तक रहन रखी गई भूमि को रहनमुक्त नहीं करवाया जावे। बैंक द्वारा भूमि रहनमुक्त का प्रमाण पत्र दिए जाने पर प्रथमतः रहनमुक्त का नामान्तकरण दर्ज किया जाएगा तत्पश्चात ही अवाप्ति/अन्तरण का नामान्तरकण दर्ज किया जाएगा। स्पष्टतः ऐसी स्थिति में दो प्रकार के नामान्तरकण अलग–अलग दर्ज किए जाने होंगे। मण्डल के पत्रांक राम/भू0अ0/जी–3/प–94/2016 9498–90 दिनांक 26.05.2016 द्वारा पूर्व प्रदत्त निर्देशानुसार एक नामान्तरकरण नम्बर से एक ही प्रकृति के नामान्तरकण दर्ज किए जाने हेतुः ई–धरती सॉफ्टवेयर में प्रावधान करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

भवदीय,

निबन्धक,
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर

क्रमांकः सम/536–38
दिनांक 28-03-19

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. आयुक्त, भू–प्रबंध विभाग राजस्थान, जयपुर।
3. जिला कलक्टर समस्त को प्रेषित कर निवेदन है कि अवाप्ति से पूर्व खाता रहन है तो रहन की स्थिति में अवाप्ति के होने पर उक्तानुसार नामान्तकरण दर्ज करवाए जाने हेतु समस्त तहसीलदारों को निर्देशित करावें।

प्रभारी अधिकारी DILRMP,
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर

E-Mail
42

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांक:BR/ LR/ NLRMP/ F-126 / Online / 2018 / 890 दिनांक:– 27-05-19

वरिष्ठ तकनीकी निदेशक,
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राजस्थान, राज्य ईकाई,
कमरा नम्बर 318, उत्तर पश्चिम खण्ड, शासन सचिवालय,
राजस्थान, जयपुर।

विषय :– ऑनलाईन अधिसूचित तहसील कुशलगढ़ में क्षेत्रफल की ईकाई में परिवर्तन करवाने के संबंध में।

प्रसंग :– कार्यालय जिला कलक्टर (भू.अ.) बांसवाड़ा का पत्रांक 3491–93 दिनांक 09.05.2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र से कलक्टर (भू.अ.) बांसवाड़ा द्वारा अवगत कराया गया है कि तहसीलदार कुशलगढ़ ने निवेदन किया है कि तहसील के समस्त ग्रामों की जमाबन्दियों में भू–प्रबंध के समय से ही ईकाई एकड़ में दर्ज है। कम्प्यूटर में फीडिंग के समय भी ईकाई एकड़ में थी। किन्तु अपना खाता 5.0 से उक्त जमाबंदियों में क्षेत्रफल की ईकाइ एकड के स्थान पर हैक्टेयर प्रिन्ट होता है। तहसील कुशलगढ़ के 169 (H) के तहत ऑनलाईन किये जाने के उपरान्त भी एकड के स्थान पर हैक्टेयर ही प्रिन्ट हो रहा है। अतः तहसील कुशलगढ़ की जमाबन्दियों के क्षेत्रफल की इकाई को एकड करवाने अथवा एकड़ को हेक्टेयर में बदल कर दोनों इकाईयों को एक साथ करवाने हेतु निवेदन किया गया है।

इस संबंध में मूल पत्र की प्रति संलग्न कर समस्या समाधान हेतु प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

निबन्धक,
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर

क्रमांक: सम / 891-92 दिनांक 27-05-19

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1 आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2 जिला कलक्टर(भू.अ.)बांसवाडा को प्रासंगिक पत्र के क्रम में सूचनार्थ ।

प्रभारी अधिकारी DILRMP,
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर

कार्यालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राजस्थान)

पता : कलेक्ट्रेट बांसवाड़ा (327001)
Ph. No. : (02962) 242963 & 240945 (Fax) 240002
E-mail ID : dm-ban-rj@nic.in (NIC)
distt.lr.bsw@gmail.com (Collectorate)

क्रमांक : भू.अ./प 3 (27) 2019/3131-93 दिनांक :– 09 मई, 2019

निदेशक महोदय,
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर।

विषय :–ऑनलाईन अधिसूचित तहसील कुशलगढ़ में क्षैत्रफल की ईकाई में परिवर्तन करवाने के संबंध में।

प्रसंग :–तहसीलदार कुशलगढ़ का पत्रांक / भू.अ./ LRC/ 2019/2314–16 दिनांक 0. 05–2019।

उपरोक्त विषय में प्रासंगिक पत्र द्वारा तहसीलदार कुशलगढ़ ने निवेदन किया है कि तहसील कुशलगढ़ के समस्त ग्रामों की जमाबन्दियों में भू–प्रबन्ध के समय से ही ईकाई एकड़ में दर्ज है। कम्प्यूटर में फीडिंग के समय भी ईकाई एकड़ [illegible] है। किन्तु अपना खाता 5.0 से उक्त जमाबन्दियों में क्षैत्रफल की ईकाई एकड़ के स्थान पर हैक्टेयर [illegible] होता है। तहसील कुशलगढ़ के [illegible] के तहत ऑनलाईन [illegible] उपरान्त भी एकड़ के स्थान पर [illegible] ही प्रिन्ट हो रहा [illegible]

चूंकि भू–प्रबन्ध के समय से [illegible] में क्षैत्रफल की ईकाई एकड़ में दर्ज है तथा कम्प्यूटर जमाबन्दी की डाटा भी एकड़ में ही [illegible] है। अतः तहसील कुशलगढ़ की जमाबन्दियों के क्षैत्रफल की ईकाई को एकड़ करवाने अथवा एकड़ को हेक्टेयर में बदल कर दोनो ईकाईयों को एक साथ रखवाने का [illegible]।

संलग्न :– प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति ।

(पूजा पार्थ)
कलक्टर (भू.अ.)
बांसवाड़ा

Put up in file
श्री उमेश
24/5/19

प्रतिलिपि :–

1. भू–प्रबन्ध आयुक्त महोदय, (नोडल अधिकारी DILRMP), जयपुर।
2. वरीष्ठ तकनीकी निदेशक एवं राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, राजस्थान, राज्य ईकाई, कमरा नम्बर 318, उत्तरी पश्चिमी खण्ड, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।

कलक्टर (भू.अ.)
बांसवाड़ा

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ) कुशलगढ़ जिला-बांसवाडा (राज.)

क्रमांक/भू.अ./LRC/2019/ [illegible] -16 दिनांक:- 01.05.2019

सेवा में,

श्रीमान् जिला कलक्टर(भू.अ.) महोदय,
जिला- बांसवाडा(राज.)

विषय- जमाबन्दी ईकाई परिवर्तन बाबत् ।

महोदयजी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि तहसील कुशलगढ़ के समस्त ग्रामों की जमाबन्दीयां ईकाई एकड में है । डिजीटलेक्ट से लेकर अपना खाता(5.0) पर भी ग्राम [illegible] की जमाबन्दीयां एकड ईकाई में ऑनलाइन (online) है । साथ ही भूलेख रिकॉर्ड में [illegible] में तरमीमें एकड [illegible] अनुसार है । [illegible] द्वारा ऑनलाइन [illegible] निकालने पर ईकाई हेक्टेयर में आ [illegible] जमाबन्दी डाटा एकड में है ।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि तहसील कुशलगढ़ [illegible] हो चुकी है लेकिन अब भी ईकाई हेक्टेयर में आ रहा है। अतः तहसील की समस्त जमाबन्दीयों में ईकाई हेक्टेयर के स्थान पर एकड ईकाई करवाने की कृपा करें ।

तहसीलदार
कुशलगढ़ जिला-बांसवाडा

प्रतिलिपि :-1.श्रीमान उपखण्ड अधिकारी कुशलगढ़ को सूचनार्थ ।

तहसीलदार
कुशलगढ़ जिला-बांसवाडा

जमाबन्दी

प्रपत्र पी-26(बी)

ग्राम का नाम :-	टोडी	पटवार हल्का	झीकनी	भू.अभि.नि.क्षेत्र	बड़वाम बड़ी	पृष्ठ संख्या : 1 of 12	
तहसील :-	कुशलगढ़	जिला :-	बांसवाड़ा	दिनांक :-	28-03-2019		

अंतिम चौमला आधार संवत 2074 - 2077 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी

क्षेत्रफल :- हैक्टेयर

खेवट(खतौनी) नया	खेवट(खतौनी) पुराना	भूमि धारक का नाम :-	काश्तकार का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि किस्म	सिंचाई के साधन	लगान दर	लगान रकम	नामान्तरण आदेश नं. तथा तारीख	भूमि व्यौरा विशिष्टियाँ जिसके पक्ष में भूमि अन्तरित हो	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		राज. सरकार	बिलानाम-काबिल काश्त	45/6	0.0200	बरडी 2	0.0200					
			कुल खसरा :1 कुल क्षेत्रफल : 0.0200 भूमि प्रकार के अनुसार क्षेत्रफल									
						बरडी 2	0.0200					
			पहाड़ी तथा पर्वत	18	0.3800	मगरी.	0.3800					
				22	0.2400	मगरी.	0.2400					
			कुल खसरा कुल क्षेत्रफल : 0.6200 भूमि प्रकार के अनुसार क्षेत्रफल									
						मगरी.	0.6200					
			बिलानाम काबिल काश्त	43/33	0.0200	भूरी 1 A	0.0200					
			कुल खसरा :1 कुल क्षेत्रफल : [illegible] भूमि प्रकार के अनुसार [illegible]									
						भूरी 1 A	[illegible]					
कुल :			कुल खसरा :4 कुल [illegible] 0.0800 भूमि प्रकार [illegible]									
						बरडी 2	0.0200					
						भूरी 1 A	0.0200					
						मगरी.	0.6200					
2		राज. सरकार	1. उदेसिंह पुत्र धनरूप हिस्सा-पूर्ण	5/3	0.1100	[illegible]	0.1100	3.95	0.43			
			जाति-[illegible] सा. देह खातेदार	[illegible]	0.020[illegible]	[illegible]	0.0200					
				17/1	0.[illegible]	[illegible]	0.1900	1.55	0.16			
कुल :			कुल खसरा :3 कुल क्षेत्रफल : 0.0[illegible] भूमि प्रकार के अनुसार क्षेत्र[illegible]						0.59			
						आ.1	0.0200					

* अपंजीकृत खाते

E-Mail 46

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांकःBR/ LR/ NLRMP/ F-126 / 2018 / 967

दिनांकः– 18-06-19

वरिष्ठ तकनीकी निदेशक,
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राजस्थान, राज्य ईकाई,
कमरा नम्बर 318, उत्तर पश्चिम खण्ड, शासन सचिवालय,
राजस्थान, जयपुर।

विषय :–अपना खाता पोर्टल में पटवार मंडलों संशोधन करने बाबत्।
प्रसंग :–कलक्टर (भू0अ0), हनुमानगढ़ का पत्रांक 2268 दिनांक 29.05.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत कलक्टर (भू0अ0), हनुमानगढ़ द्वारा प्रासंगिक पत्र से निवेदन किया गया है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत चलाये गये लघु– सीमान्त कृषक सेवा पोर्टल में तहसील हनुमानगढ़ एवं नोहर क्षेत्र के कुछ भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्तों में पटवार मंडल गलत दर्ज है। जबकि उक्त सॉफ्टवेयर यह डाटा "अपना खाता" पोर्टल से प्राप्त कर रहा है। अपना खाता पोर्टल पर भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्तों व पटवार मंडलों को संशोधित कर सही करवाये जाने बाबत् निवेदन किया गया है, ताकि लघु–सीमान्त कृषक सेवा पोर्टल पर आने वाली समस्याओं का निस्तारण करवाया जा सके।

इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि ऑनलाईन तहसीलों की तरह ही ऑफलाइन तहसीलों हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्तों व पटवार मंडलों को संशोधित किए जाने हेतु सॉफ्टवेयर में प्रावधान करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

निबन्धक,
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर
दिनांक 18-06-19

क्रमांकः सम/ 968-69
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–
1. आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. जिला कलक्टर(भू.अ.) समस्त ।

प्रभारी अधिकारी DILRMP,
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर

F-Mail,
47

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांकःBR/ LR/ NLRMP/ F-126 / 2018 / 1036 दिनांकः– 21-06-19

वरिष्ठ तकनीकी निदेशक,
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राजस्थान, राज्य ईकाई,
कमरा नम्बर 318, उत्तर पश्चिम खण्ड, शासन सचिवालय,
राजस्थान, जयपुर।

विषय :– तहसील सज्जनगढ़ में क्षेत्रफल की ईकाई में परिवर्तन करवाने के संबंध में।
प्रसंग :– कलक्टर (भू0अ0), बांसवाडा का पत्रांक 3787–89 दिनांक 28.05.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत कलक्टर (भू0अ0), बांसवाडा द्वारा प्रासंगिक पत्र से अवगत कराया गया है कि तहसील सज्जनगढ में कुल 192 ग्रामों में से 111 ग्रामों में क्षेत्रफल की ईकाई एकड में दर्ज है तथा अपना खाता व ई–धरती सॉफ्टवेयर में 81 ग्रामों का क्षेत्रफल हैक्टेयर में दिखा रहा है जबकि शेष गांवों का क्षेत्रफल एकड में है। अतः 111 ग्रामों का क्षेत्रफल एकड से हैक्टेयर में परिवर्तित करवाए जाने हेतु लिखा है जिससे तहसील को ऑनलाईन करवाया जा सके। इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि सज्जनगढ़ तहसील के समस्त ग्रामों को क्षेत्रफल हैक्टेयर में किए जाने का आवश्यक प्रावधान सॉफ्टवेयर में किया जाना सुनिश्चित करावें।

निर्देशित किया जाता है कि ऑनलाईन की जाने वाली सभी तहसीलों का क्षेत्रफल हैक्टेयर में परिवर्तित किए जाने हेतु सॉफ्टवेयर में आवश्यक प्रावधान करावें, तहसीलों का क्षेत्रफल हैक्टेयर में होने पर ही ऑनलाईन किया जाना सुनिश्चित करावें।

निबन्धक,
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर
दिनांक 21-06-19

क्रमांकः सम / 1037-38
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–
1. आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. जिला कलक्टर(भू.अ.) समस्त ।

प्रभारी अधिकारी DILRMP,
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर

E-mail
98

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांकःBR/ LR/ NLRMP/ F-126 / Online / 2018 / 1683 दिनांकः– 9-10-19

वरिष्ठ तकनीकी निदेशक,
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राजस्थान, राज्य ईकाई,
कमरा नम्बर 318, उत्तर पश्चिम खण्ड, शासन सचिवालय,
राजस्थान, जयपुर।

विषय :–ई–धरती ऑनलाईन सॉफ्टवेयर में आ रही समस्याओं के संबंध में।
प्रसंग :– दिनांक 25.09.2019 को राजस्व मण्डल कार्यालय में चर्चा अनुसार

उपरोक्त विषयान्तर्गत दिनांक 25.09.2019 को राजस्व मण्डल कार्यालय हुई चर्चानुसार ई–धरती सॉफ्टवेयर में आवश्यक प्रावधान करवाए जाने हेतु मार्गदर्शन बिन्दुवार निम्न प्रकार है :–

1–.लीज के साथ–साथ कुर्की, न्यायालय स्थगन, तेल पाईप लाईन आदि के संबंध में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 121 ज के प्रावधान के अनुसार जमाबन्दी में संबंधित खातेदार के खाते में टिप्पणियां कॉलम में विस्तृत इन्द्राज किया जाना चाहिए। इस संबंध में तहसीलदार के आदेश कमांक दिखाने को सुनिश्चित करने हेतु लिखा गया था। इस संबंध में पूर्व प्रदत्त निर्देशानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें।

2–खसरो को एक ग्राम से दुसरे ग्राम में विनिमय /स्थानान्तरण होने पर दोनों खसरों से संधित खातों नामान्तरकरण की कार्यवाही होगी एवं दोनों नामान्तकरण में संबंधित खसरें, खाते, नामान्तरकरण के विवरण का अंकन होगा। खसरों के विनिमय के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 48 से 52 के उपबंधों के अनुसार एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 52 (4) तथा 24 कक के प्रावधानों के अनुसार तहसील क्षेत्र में तहसीलदार और जिले की अलग अलग तहसीलों में जिला कलक्टर सक्षम अधिकारी है एवं सक्षम अधिकारी द्वारा आदेश जारी होने के प्रावधानों के अनुसार ही कार्यवाही की जाएगी।

3.–जिलों द्वारा प्रत्येक तहसील के 2 आरपीजी के अतिरिक्त कार्मिकों के लिए ई–धरती सॉफ्टवेयर पर कार्य किए जाने हेतु लॉगिन आई0डी0 जारी किए जाने हेतु लिखा जाता है। तहसील के 2 आरपीजी के अतिरिक्त अन्य कार्मिकों को किसी प्रकार का लॉगिन आई0डी0जारी करवाया जाना उचित नहीं होगा। ई–धरती सॉफ्टवेयर पर कार्य किए जाने हेतु प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है अतः प्रशिक्षण के अभाव में कार्य करवाए जाने पर समस्याएं उत्पन्न होगी एवं इसके साथ ही हार्डवेयर की भी पर्याप्त उपलब्धता नहीं होने से प्रत्येक तहसील के 2 आरपीजी के अतिरिक्त किसी अन्य कार्मिक को लॉगिन आई0डी0 जारी किया जाना उचित नहीं है। यदि किसी तहसील में 2 आरपीजी के अतिरिक्त लॉगिन आई0डी0 जारी करवाया जाना है तो पटवारियों के प्रशिक्षण के उपरान्त ही सम्भव होगा तथा केवल संबंधित कार्मिक के क्षेत्राधिकार में कार्य हेतु सुविधा उपलब्ध होगी। वर्तमान परिप्रक्ष्य में इसके लिए अतिरिक्त हार्डवेयर उपलब्ध नहीं करवाए जा सकते राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर ही सम्भव है, उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

4–ऑफलाईन तहसील के समय किसी खाते पर स्टे है और ऑनलाईन होने के बाद वह स्वीकृत किया जायगा के संबंध में वर्तमान पटवारी से आज के राजस्व रिकार्ड की टिप्पणी ली जावे तथा टिप्पणी प्राप्त करने के उपरान्त नामान्तरकरण को निर्णीत किया जावे। नामान्तरकरण दर्ज करने की रिकॉर्ड अनुसार तिथी ऑफलाइन दर्ज नामान्तकरण अनुसार रहगी, चूंकि ऑलाईन प्रकिया में वर्तमान तिथी से पूर्व की तिथी सॉफ्टवेयर द्वारा नहीं ली जा सकती है, अतः ऑनलाईन नामान्तरकरण प्रिन्ट में वर्तमान पटवारी द्वारा पूर्व दर्ज ऑफलाईन नामान्तरकण की तिथी का अंकन अपनी रिपोर्ट में कर दिया जावे।

उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

निबन्धक,
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर
दिनांक 9-10-19

क्रमांकः सम/ 1684 – 1717
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–
1 आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2 जिला कलक्टर, समस्त।

प्रभारी अधिकारी DILRMP,
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर

Jan 19 letter 577

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

कमांक:BR/ LR/ NLRMP/ F-75 / 04 / 932

दिनांक:– 06-03-20

वरिष्ठ तकनीकी निदेशक,
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राजस्थान, राज्य ईकाई,
कमरा नम्बर 318, उत्तर पश्चिम खण्ड, शासन सचिवालय,
राजस्थान, जयपुर।

विषय :– आगामी कृषि गणना 2020–21 हेतु पायलट अध्ययन के लिए एक तहसील के कम्प्यूटराईज्ड भू–अभिलेखों (जमाबन्दी) की सूचना बाबत्।

प्रसंग :– निदेशक, राजस्व (कृषि गणना) विभाग, योजना भवन , जयपुर का पत्रांक 352 दिनांक 03.03.2020

निदेशक, राजस्व (कृषि गणना) विभाग, योजना भवन ,जयपुर द्वके प्रासंगिक पत्र के अनुसार आगामी कृषि गणना 2020–21 का कार्य कमप्यूटराईज्ड भू–अभिलेखों से सूचना एक्सट्रेक्ट कर स्मार्टफोन/टेबलेट्स से करवाया जाना प्रस्तावित है। इस संबंध में पायलट अध्ययन हेतु राज्य की तहसील कोटखावदा जिला जयपुर के कम्प्यूटराईज्ड भू–अभिलेख से भारत सरकार से प्राप्त प्रपत्र में से कम्प्यूटराईज्ड भू–अभिलेखों में उपलब्ध सूचना एक्सट्रेक्ट कर उसकी सॉफ्ट कॉपी भारत सरकार के अधिकारियों को शीघ्र उपलब्ध करवाई जानी है। इस संबंध में वांछित सूचना उपलब्ध करवाए जाने हेतु एनआईसी, जयपुर निर्देशित किया जाने हेतु निवेदन किया है।

प्रासंगिक पत्र की प्रति संलग्न कर कृषि विभाग राजस्थान सरकार का विभाग होने के कारण राज कार्य हेतु वांछित डेटा निम्नलिखित शर्तो पर निशुल्क उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

निबन्धक,
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर
दिनांक 06-03-2020

कमांक: सम/ 933
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1 निदेशक, राजस्व (कृषि गणना) विभाग, योजना भवन , जयपुर को वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राजस्थान, राज्य ईकाई, कमरा नम्बर 318, उत्तर पश्चिम खण्ड, शासन सचिवालय, जयपुर से समन्वय कर निम्नलिखित शर्तो के अनुसार डाटा प्राप्त किए जाने हेतु प्रेषित है।

- राजस्व विभाग का डाटा केवल आपके विभाग द्वारा ही उपयोग किया जाएगा।
- आपके विभाग द्वारा एलआरसी डाटा का किसी भी प्रकार से दुरूपयोग नही किया जाएगा।
- आपके विभाग द्वारा अन्य किसी सरकारी अथवा निजी एजेन्सी/विभाग को बिना राजस्व मण्डल की स्वीकृति के एलआरसी डाटा नही दिया जाएगा।
- उपलब्ध करवाया गया गत एलआरसी डाटा एनआईसी के सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही एनआइसी अधिकारियों के निर्देशन में राज्य हित में ही उपयोग किया जाएगा।

प्रभारी अधिकारी DILRMP,
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर

50

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांकःBR/ LR/ NLRMP/ F-122 / 2018 / 943-76 दिनांकः- 12-03-2020

जिला कलक्टर,
समस्त (करौली)

विषय :- डिजिटाइजेशन ऑफ कैडस्ट्रल मैप के संबंध में मार्गदर्शन बाबत्।
प्रसंग :- आपका पत्रांक 908 दिनांक 14.02.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निबंधक के कार्यालय पत्र के द्वारा अवगत कराया है कि तहसील मण्डरायल का सन् 1956 में भू-प्रबन्ध का कार्य, भू-प्रबन्ध विभाग अलवर से हुआ था एवं मोमिया शीट के पैमाना 1इंच=40 गज दर्ज है। वर्तमान में जिला करौली भू-प्रबन्ध विभाग भरतपुर के क्षेत्राधिकार में है। जिला करौली की तहसील मण्डरायल में वर्तमान में शाहजहांनी जरीब प्रचलित है। मार्गदर्शन चाहा गया है कि वर्तमान कैडस्ट्रल मैप कार्य के तहत शीट पर भू-प्रबन्ध विभाग अलवर लिखा जावे या भरतपुर तथा पैमाना एक इंच = 40 गज दर्ज लिखा जावे या 1सेमी =40 मीटर लिखा जावे। उक्त के संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया है।

इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि डिजिटाइज्ड शीटों पर आरएफपी के अनुसार 1सेमी=40 मीटर लिखा जावे साथ ही निर्देशित किया जाता है कि मदर मैप पर जिस भू-प्रबन्ध कार्यालय का नाम अंकित है वही दर्ज किया जाना है। भू-राजस्व अधिनियम के अध्याय 7 में मूल राजस्व नक्शे तैयार करने का कार्य भू-प्रबन्ध विभाग का है, अतः निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

भवदीय,

निबन्धक,
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर
दिनांक 12-03-2020

क्रमांकः सम/ 977-1018
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2 आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग एवं नोडल अधिकारी DILRMP जयपुर।
3 जिला कलक्टर, समस्त।
4. Scanpoint Geomaties Ltd. 12, Abhishree Corporate Park, ISKON-Ambli Road, Ahmedabad, Gujarat-380058
5- WAPCOS Ltd. B-6, Gautam Marg, Shyam Nagar, Jaipur.
6- PAN INDIA CONSULTANTS PVT.LTD. 105,Phase-IV, Udyog Vihar, Gurgaon-122015 HARYANA
7- Avineon India Private Ltd. 1 st. Floor, Block "A", Cyber Gateway Madhapur, Hyderabad
8- Ceinsys Tech Ltd. Plot.No.10/5 IT Park, Opp. VNIT Campus, Nagpur- 440022.
9- IL&FS Environmental Infrastructure & Services Ltd. 2 Floor, M.M Tower, Plot No.8-9, Udyog Vihar, Phase-IV, Gurgaon.

प्रभारी अधिकारी DILRMP,
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांक:BR/ LR/ NLRMP/ F-122 / 2018 / 943-76 दिनांक:- 12-03-2020

जिला कलक्टर,
समस्त। (करौली)

विषय :- डिजिटाइजेशन ऑफ कैडस्ट्रल मैप के संबंध में मार्गदर्शन बाबत्।
प्रसंग :- आपका पत्रांक 908 दिनांक 14.02.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निबंधन के माननीयक पत्र के द्वारा अवगत कराया है कि तहसील मण्डरायल का सन् 1956 में भू-प्रबन्ध का कार्य, भू-प्रबन्ध विभाग अलवर से हुआ था एवं मोमिया शीट का पैमाना 1इंच=40 गट्ठा दर्ज है। वर्तमान में जिला करौली भू-प्रबन्ध विभाग भरतपुर के क्षेत्राधिकार में है। जिला करौली की तहसील मण्डरायल में वर्तमान में शाहजहांनी जरीब प्रचलित है। मार्गदर्शन चाहा गया है कि वर्तमान कैडस्ट्रल मेप कार्य के तहत शीट पर भू-प्रबन्ध विभाग अलवर लिखा जावे या भरतपुर तथा पैमाना एक इंच = 40 गट्ठा लिखा जावे या 1सेमी =40 मीटर लिखा जावे। उक्त के संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया है।

इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि डिजिटाइज्ड शीटों पर आरएफपी के अनुसार 1सेमी=40 मीटर लिखा जावे साथ ही निर्देशित किया जाता है कि मदर मैप पर जिस भू-प्रबन्ध कार्यालय का नाम अंकित है वही दर्ज किया जाना है। भू-राजस्व अधिनियम के अध्याय 7 में मूल राजस्व नक्शे तैयार करने का कार्य भू-प्रबन्ध विभाग का है, अतः निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

भवदीय,

निबन्धक,
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर
दिनांक 12-03-2020

क्रमांकः सम/ 977-1018
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2 आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग एवं नोडल अधिकारी DILRMP जयपुर।
3 जिला कलक्टर, समस्त।
4. Scanpoint Geomaties Ltd. 12, Abhishree Corporate Park, ISKON-Ambli Road, Ahmedabad, Gujarat-380058
5- WAPCOS Ltd. B-6, Gautam Marg, Shyam Nagar, Jaipur.
6- PAN INDIA CONSULTANTS PVT.LTD. 105,Phase-IV, Udyog Vihar, Gurgaon-122015 HARYANA
7- Avineon India Private Ltd. 1 st. Floor, Block "A", Cyber Gateway Madhapur, Hyderabad
8- Ceinsys Tech Ltd. Plot.No.10/5 IT Park, Opp. VNIT Campus, Nagpur- 440022.
9- IL&FS Environmental Infrastructure & Services Ltd. 2 Floor, M.M Tower, Plot No.8-9, Udyog Vihar, Phase-IV, Gurgaon.

प्रभारी अधिकारी DILRMP,
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर

E-Uday 52

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांक:BR/ LR/ NLRMP/ F-122 / 2020 / 1034 दिनांक:- 12-03-2020

जिला कलक्टर(भू.अ.),
समस्त।

विषय :- ऑनलाईन तहसीलों में फर्म द्वारा उपलब्ध करवाए गए फाइनल प्रिन्ट को आदिनांक किए जाने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि सभी जिलों में डिजिटाइजेशन ऑफ कैडस्ट्रल मैप का कार्य करवाया जा रहा है। कार्य पूर्ण हो कर तहसील ऑनलाईन होने पर फर्म द्वारा **100 Micron polyester matt sheet on 1:4000 Scale.** पर फाइनल प्रिन्ट 2 प्रतियों में उपलब्ध करवाया जा रहा है। उक्त प्रतियों को उपयोग लिये जाने के लिए मण्डल द्वारा पत्रांक 283–314 दिनांक 20.09.2020 से निर्देशित किया गया है जिसके अनुसार एक प्रति पडत पटवार के रूप में पटवारी को फील्ड कार्य हेतु तथा दूसरी प्रति पडत सरकार के रूप में उपयोग ली जाएगी।

इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि तहसील ऑनलाईन होने के पश्चात् जितने भी नवीन नामान्तरकण दर्ज किए जा रहे है जिसमें तरमीम कार्य अपेक्षित है, उन सभी तरमीम को फर्म द्वारा उपलब्ध करवाई गई प्रतियों में निरन्तर आदिंनाक किया जावे। सभी तरमीम कार्य आदिनांक करवाया जा कर संबंधित तहसील के नायब तहसीलदार प्रभारी (भू0अभिलेख) से मण्डल द्वारा जारी निर्देशो व राजस्थान भू–राजस्व (भू0अ0) नियम 1957 के प्रावधानो के अनुसार किसी प्रकार की तरमीम लम्बित नहीं होने का प्रमाण पत्र लिया जावे तथा तहसीलवार तरमीम लम्बित नहीं होने का प्रमाण पत्रों के संकलन तथा नक्शों के आदिनांक तक अद्यतन होने का पर्यवेक्षणीय कार्य जिला कार्यालय द्वारा निरन्तर किया जावें।

भवदीय,

निबन्धक,
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर
दिनांक 12-03-2020

क्रमांकः सम/ 1035-36
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-
1 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2 आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग एवं नोडल अधिकारी DILRMP जयपुर।

प्रभारी अधिकारी DILRMP,
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर

E-Mail 53

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांकःBR/ LR/ NLRMP/ F-126 / Online / 2018 / 1052 दिनांकः– 07-05-2020

वरिष्ठ तकनीकी निदेशक,
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राजस्थान, राज्य ईकाई,
कमरा नम्बर 318, उत्तर पश्चिम खण्ड, शासन सचिवालय,
राजस्थान, जयपुर।

विषय :– अनसर्वेड वन भूमि को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराने बाबत् ।
प्रसंग :– कलक्टर (भू0अ0), अजमेर का पत्रांक 1333 दिनांक 05.03.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत मण्डल के ध्यान में आया है कि ऑनलाईन तहसीलों में ई–धरती सॉफ्टवेयर में जिला स्तर पर सक्षम अधिकारी द्वारा गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदान किए जाने, सिवायचक तथा चरागाह भूमि अथवा विभिन्न भूमियों के आवण्टन, किस्म परिवर्तन तथा अनसर्वे क्षेत्र जोडने पर प्रशासनिक आदेश से नामान्तरकरण दर्ज किए जाने का प्रावधान नहीं है। वर्तमान में इस प्रकार के प्रकरण (नामान्तरकरण) न्यायालय आदेश के तहत दर्ज किए जा रहे है, जो कि उचित नहीं है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि सक्षम स्तर पर सक्षम अधिकारी/प्रशासनिक आदेश द्वारा गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदान किए जाने, सिवायचक के खाते में धारित भूमि तथा चरागाह भूमियों के आवण्टन, प्रशासनिक आदेशों के अनुरूप किस्म परिवर्तन तथा ई–धरती तथा भू–नक्शा सॉफ्टवेयर में अनसर्वे क्षेत्र को जोडने, तनाजा/ऑवर लैपिंग (चित्तौडढ जिले की भदेसर तहसील) के अनुरूप राज्य सराकर के निर्देशानुसार जिला कलक्टर (जिला भू–अभिलेख अधिकारी) को अधिकृत किए जाने पर नामान्तरकरण दर्ज किए जाने हेतु ई–धरती तथा भू–नक्शा सॉफ्टवेयर में पृथक से प्रावधान किया जावे।

साथ ही रिसोर्स परसन के वाट्स–एप ग्रुप तथा एनआईसी, जयपुर से ऑनलाईन कार्य के संबंध में आ रही समस्याओं के निस्तारण हेतु सॉफ्टवेयर में आवश्यक प्रावधान करवाए जाने हेतु की गई चर्चा के अनुसार निम्न समस्याओं का समाधान है/ सॉफ्टवेयर में प्रावधान करवाया जाना उचित होगा :–

1. ग्राम, तहसील, जिले में कुल भूमि, कुल खातेदार, कुल गैर खातेदार, कुल सिचायचक, काबिल काश्त, नाकाबिल काश्त, चरागाह, विभिन्न विभागीय भूमि का जोड प्राप्त किए जाने हेतु आवश्यक प्रावधान करवाया जाना उचित रहेगा।

2. प्रपत्र 21 में कुल किता कुल रकबा का स्वतः प्रिंट प्राप्त हो जावें :– वर्तमान में सॉफ्टवेयर से प्राप्त प्रपत्र पी–21 में अंकित खसरों तथा रकबे का योग नहीं आता है। अतः नामान्तरकरण प्रपत्र पी–21 में सॉफ्टवेयर से प्राप्त प्रिन्ट में खसरों तथा रकबे का योग का अंकन किए जाने हेतु सॉफ्टवेयर में उचित प्रावधान करवाया जाना उचित रहेगा।

3. खसरे में भूमि की किस्म परिवर्तित करने का ऑप्शन नहीं है– वर्तमान में खसरे की भूमि की किस्म परिवर्तित होने पर सॉफ्टवेयर में किस्म परिवर्तन किए जाने का प्रावधान नहीं है। अतः सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आदेश/पट्टा विलेख की प्रति सहित आवश्यक दस्तावेज अपलोड करवाते हुए आदेशानुसार सॉफ्टवेयर में किस्म परिवर्तन किए जाने का प्रावधान करवाया जाना उचित रहेगा।

4. खसरे का विवरण बदलने का ऑप्शन दिया जावे अथवा नही :– नामान्तरकरण दर्ज करते समय हुई लिपिकिय त्रुटि को सुधारने हेतु नामान्तरकरण सेव किए जाने के पश्चात् रिकार्ड के अनुसार खसरे के विवरण में परिवर्तन किए जाने हेतु प्रावधान करवाया जाना उचित रहेगा।

5. बैक टू बैक नामान्तरकण में खाता हटाने का ऑप्शन दिया जाना चाहिए :– बैक टू बैक नामान्तरकण की स्थिति में रिकार्ड में विसंगति न हो इसके लिए आवश्यकतानुसार खाता हटाने का ऑप्शन दिया जाना उचित होगा।

6. प्रपत्र–21 के प्रिन्ट से पूर्व आरपीजी स्तर पर संशोधन किए जाने हेतु प्रावधान करवाया जाना तथा प्रिन्ट के पश्चात् तहसीलदार स्तर से संशोधन किए जाने का सॉफ्टवेयर में प्रावधान किए जाने हेतु एनआईसी को लिखा जाना उचित होगा।

निबन्धक,
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर

क्रमांकः सम/ 1053-88 दिनांक 07-05-2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2 आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग एवं नोडल अधिकारी DILRMP जयपुर।
3 जिला कलक्टर, समस्त।

प्रभारी अधिकारी DILRMP,
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर

E-Mail 54

380 | Dec 2020

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांकःराम / भू.अ. / NLRMP/ F-126/2020/ 1334-63 दिनांकः– 27-05-2020

जिला कलक्टर,
समस्त।
(झुन्झुनू, सीकर ,चुरू व जयपुर को छोडकर)

विषय :– ऑनलाईन से शेष रही तहसीलों के प्रस्ताव गांवों को छोडने की जगह खसरों को छोडते हुए तैयार कर भिजवाए जाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राज्य में वर्तमान में 208 तहसीलें ऑनलाईन हो कर अधिसूचित हो चुकी है तथा 130 तहसीले ऑनलाईन से शेष है। कतिपय जिला कार्यालय द्वारा जिन गांवों में समस्या आ रही है उन गावों को छोडते हुए तहसील को ऑनलाईन करवाए जाने हेतु अनुमति चाही है।

इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि जिन गांवों में समस्या आ रही है उन पूरे गांव को छोडने की जगह जिन–जिन खसरों में समस्या है, उन खसरों को छोडते हुए तहसील ऑनलाईन करवाए जाने के प्रस्ताव तैयार कर आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग एवं नोडल अधिकारी DILRMP, को 15 दिवस में भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें तथा प्रति मण्डल को भिजवाए।

भवदीय,

निबन्धक,
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

प्रतिलिपि :क्रमांकः सम/ 1364-65 दिनांक 27-05-2020

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग एवं नोडल अधिकारी DILRMP, राजस्थान, जयपुर।

प्रभारी अधिकारी (DILRMP)
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांकःBR/ LR/ NLRMP/ F-126 / 2018 / 1795 दिनांकः– 26-06-2020

वरिष्ठ तकनीकी निदेशक,
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राजस्थान, राज्य ईकाई,
कमरा नम्बर 318, उत्तर पश्चिम खण्ड, शासन सचिवालय,
राजस्थान, जयपुर।

विषय :– नवसृजित तहसील सिद्धमुख में एलआरसी चालू करवाने बाबत्।
प्रसंग :– जिला कलक्टर चूरू का पत्रांक 2386 दिनांक 23.06.2020 एवं मण्डल का पत्रांक 2466 दिनांक 04.12.2019

महोदय,

उपरोक्त उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र से पुनर्गठित/कमोन्नत तहसीलों हेतु अधिसूचना के कम में निम्न कार्यवाही किए जाने हेतु निर्देशित किया गया था :–

1. अधिसूचित तहसीले जो ऑनलाईन की जा चुकी है, उन तहसीलों से नवसृजित एवं पुनर्गठित तहसीले जिनकी अधिसूचना जारी हुई है। अधिसूचना के अनुसार मूल तहसील को पुर्नगठित करते हुए मूल तहसील एवं नवसृजित तहसील का डेटा पृथक–पृथक करने की कार्यवाही की जावे तथा नवसृजित तहसील का ऑनलाईन डेटा पृथक से संधारित किया जावे। इस हेतु मूल तहसील एवं नवसृजित तहसील दोनों के डेंटा पृथक्करण के प्रस्ताव संबंधित कलक्टर (भू0अ0) से प्राप्त किया जा कर सॉफ्टवेयर पर अपलोड किए जावें।
2. ऐसी तहसीले जो ऑनलाईन नहीं हुई है एवं ऑनलाईन करवाए जाने की कार्यवाही प्रकियाधीन है उन तहसीलों से नवसृजित एवं पुनर्गठित तहसीले जिनकी अधिसूचना जारी हो चुकी है। अधिसूचना के अनुसार मूल तहसील को पुर्नगठित करते हुए मूल तहसील एवं नवसृजित तहसील का डेटा पृथक–पृथक करने की कार्यवाही की जावे तथा नवसृजित तहसील का डेटा पृथक से संधारित किया जावे। उन तहसीलों में अधिसूचना के अनुसार ऑनलईन किए जाने से पूर्व मूल तहसील एवं नवसृजित तहसील दोनों के पृथक पृथक प्रस्ताव संबंधित जिला कलक्टर (भू0अ0) से प्राप्त किया जा कर सॉफ्टवेयर पर अपलोड किए जावें।

अधिसूचना के अनुसार ही तहसीलों का डाटा पृथक्करण एवं तहसीलों को ऑनलाईन करवाए जाने हेतु सॉफ्टवेयर में वाछित प्रावधान करावें साथ ही बिन्दु संख्या 2 के संदर्भ में भविष्य में डेटा पृथक–पृथक किये जाने के उपरान्त ही तहसील को ऑनलाईन किया जाने हेतु निर्देशित किया गया था, किन्तु उक्त कार्यवाही आदिनांक अपेक्षित है। अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही कर मण्डल को अवगत करावे।

भवदीय,

निबन्धक,
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर

क्रमांकः सम/ 1796 - 1829 दिनांक 26-06-2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
2. आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. जिला कलक्टर समस्त को प्रेषित कर ऑनलाईन हो चुकी तहसीलों से नवसृजित एवं मूल तहसीलों का डेटा पृथक्करण करवाए जाने हेतु उपरोक्तानुसार वाछित प्रस्ताव तैयार कर एनआईसी को भिजवाए एवं जिन तहसीलों को ऑनलाईन करवाए जाने की कार्यवाही प्रकियाधीन है उनसे बनी नवीन तहसील एवं मूल तहसीलों के पृथक पृथक प्रस्ताव तैयार कर प्रस्ताव वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राजस्थान, राज्य ईकाई, कमरा नम्बर 18, उत्तर पश्चिम खण्ड, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित किए जाने हेतु संबंधित तहसील के तहसीलदार को निर्देशित करावें।

प्रभारी अधिकारी DILRMP,
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांकःराम/DILRMP./प–126/2020/ 2049 दिनांकः– 13-07-2020

श्री अरूण माथुर
वरिष्ठ तकनीकी निदेशक,
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राजस्थान, राज्य ईकाई,
कमरा नम्बर 318, उत्तर पश्चिम खण्ड,
शासन सचिवालय, राजस्थान,

विषय :– जनसूचना पोर्टल से डिजिटल हस्ताक्षरित प्रतिलिपि निशुल्क जारी होने से सरकार को राजस्व हानि के संबंध में स्पष्टीकरण देने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्व मण्डल के ध्यान में आया कि जनसूचना पोर्टल से डिजिटल हस्ताक्षरित प्रतिलिपि निशुल्क प्राप्त हो रही है। मण्डल स्तर पर दिनांक 25 जून 2020 को जनसूचना पोर्टल से जिला गंगानगर की तहसील विजनयनगर के कमा 16 एस0डी0 के खाता नम्बर 30 की प्रतिलिपि एवं जिला अजमेर के ग्राम अजयसर के खाता संख्या 302 की डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त प्रतिलिपि निशुल्क प्राप्त की गई जिस पर शुल्क राशि 30/– रू0 अंकित है।

राजस्थान भू–राजस्व (भू0अ0) नियम 1957 के नियमों में राजस्व अभिलेखों की प्रतिलिपि प्राप्त किए जाने हेतु शुल्क निर्धारित है। आपके द्वारा मण्डल की बिना अनुमति के डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त प्रतिलिपि जारी किए जाने हेतु किस आधार पर डेटा उपलब्ध करवाया गया। जनसूचना पोर्टल से अब तक कितनी निशुल्क डिजिटल हस्ताक्षरित प्रतिलिपि जारी हुई तथा राज्य सरकार की राजस्व को कितने रूपये की हानि हुई। राज्य सरकार को हुई इस हानि का उत्तरदायीत्व निर्धारण करते हुए इसका स्पष्टीकरण सात दिवस में मण्डल को भिवजाया जाना सुनिश्चित करावें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

निबंधक,
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर
दिनांक 13-07-2020

2050-51
प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. आयुक्त, भू–प्रबंध विभाग एवं नोडल अधिकारी DILRMP, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–1) विभाग, जयपुर।

प्रभारी अधिकारी (DILRMP)
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांकःराम / DILRMP. / प–126 / 2020/ 2262 दिनांकः– 21-07-2020

श्री अरूण माथुर
वरिष्ठ तकनीकी निदेशक,
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राजस्थान, राज्य ईकाई,
कमरा नम्बर 318, उत्तर पश्चिम खण्ड,
शासन सचिवालय, राजस्थान,

विषय :– ई–धरती(ऑनलाईन) सॉफ्टवेयर में नवीन राजस्व ग्राम बनवाने के क्रम में।

प्रसंग :– कार्यालय जिला कलक्टर(भू.अ.) धौलपुर का पत्रांक 1757 दिनांक 29.05.2020

महोदय,

उपरोक्त प्रासंगिक पत्र से कार्यालय जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा अवगत करवाया गया कि जिले में डीआईएलआरएमपी अन्तर्गत सात में से 6 तहसील ऑनलाईन हो चुकी हैं। जिनमें नामान्तरकरण दर्ज करने की कार्यवाही ऑनलाईन ही संपादित की जा रही है। इसके साथ ही ऑनलाईन तहसीलों में नवीन सृजित राजस्व ग्रामों का रिकॉर्ड भी पृथक किया जाना हैं, परन्तु अभी तक नवीन राजस्व ग्राम का रिकार्ड ई–धरती पोर्टल में पृथक करने का विकल्प प्राप्त नही हुआ हैं। जिससे जिलें में नवीन सृजित तीन राजस्व ग्रामों का रिकार्ड ऑनलाईन पृथक नही हो पाया हैं।

इस संबंध में मण्डल द्वारा पूर्व में भी सॉफ्टवेयर से नवीन राजस्व ग्राम बनाये जाने हेतु निर्देशित किया गया हैं। अतः जिला कलक्टर धौलपुर के पत्र की प्रति सलंग्न कर ई–धरती सॉफ्टवेयर में नवीन राजस्व ग्राम बनाये जाने संबंधी प्रावधान उपलब्ध करा मण्डल को अवगत करावे जिससे सम्पूर्ण राज्य में कार्यवाही प्रारम्भ की जा सके।

भवदीय,

निबंधक
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

प्रतिलिपि :क्रमांकः सम/ 2263-2299 दिनांक 21-07-2020

1. आयुक्त, भू–प्रबंध विभाग एवं नोडल अधिकारी DILRMP, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–1) विभाग, जयपुर
3. कार्यालय जिला कलक्टर धौलपुर, एनआईसी, जयपुर से समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही कर मण्डल को अवगत करावें।
4. जिला कलक्टर, समस्त।

प्रभारी अधिकारी (DILRMP)
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांकःराम / DILRMP. / प–126 / 2020/ 2216 दिनांकः– 21-07-2020

श्री अरूण माथुर
वरिष्ठ तकनीकी निदेशक,
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राजस्थान, राज्य ईकाई,
कमरा नम्बर 318, उत्तर पश्चिम खण्ड,
शासन सचिवालय, राजस्थान,

विषय :– तहसील गढ़ी के ई–धरती पोर्टल, भू–नक्शा पोर्टल एवं नामान्तरकरण लॉक करने संबंधी ग्रामों में आ रही समस्याओं का समाधान करने बाबत्।

प्रसंग :– कार्यालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा का पत्रांक 2465–68 दिनांक 06.07.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र से कार्यालय जिला कलक्टर बांसवाड़ा द्वारा अवगत करवाया गया कि तहसील गढ़ी ऑनलाईन होकर अधिसूचित हो चुकी हैं जिनमें ई–धरती पोर्टल एवं भू–नक्शा पोर्टल पर दर्ज ग्रामों में नई अधिसूचना जारी होने से पटवार मण्डल/भू. अभिलेख निरीक्षक वृत के नामों में संशोधन किया जाना हैं तहसील गढ़ी में ग्राम अखेपानजी का गढ़ा जिसका पटवार मण्डल राठडियापडा व भू. अ.नि. भीमपुर हैं परन्तु वर्तमान में ई–धरती एवं भू–नक्शा पोर्टल पर ग्राम अखेपानजी का गढ़ा का पटवार मण्डल भीमपुर भू.अ.नि. भीमपुर दर्ज हैं। इसी प्रकार ग्राम आमजा व रातडिया का पटवार मण्डल आमजा तथा भू.अ.नि. गोपीनाथ का गढ़ा होना था परन्तु ई–धरती एवं भू–नक्शा पोर्टल पर ग्राम आमजा व रातडिया का पटवार मण्डल आमजा व भू.अ.नि. रैयाना दर्ज हैं, जिसके समाधान हेतु लिखा हैं।

इस संबंध में जिला कलक्टर बांसवाड़ा के पत्र की प्रति सलंग्न कर ई–धरती पोर्टल व ऑनलाईन भू–नक्शा सॉफ्टवेयर में नवीन राजस्व ईकाई (पटवार मण्डल/भू.अ.नि. वृत/तहसील) सृजित होने पर नवीन अधिसूचना अनुसार नवीन राजस्व ईकाई से संबद्धता बाबत नाम संशोधित कराने का प्रावधान कराते हुए सम्पूर्ण राज्य हेतु उपलब्ध कराते हुए मण्डल को अवगत करावें।

निबंधक
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर
दिनांक 21-07-2020

प्रतिलिपि :क्रमांकः सम/2217-53

1. आयुक्त, भू–प्रबंध विभाग एवं नोडल अधिकारी DILRMP, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–1) विभाग, जयपुर
3. कार्यालय जिला कलक्टर बांसवाड़ा, एनआईसी, जयपुर से समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही कर मण्डल को अवगत करावें।
4. जिला कलक्टर, समस्त को समान प्रकृति के प्रकरण में उक्तानुसार कार्यवाही कराये जाने हेतु प्रेषित हैं।

प्रभारी अधिकारी (DILRMP)
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांकःराम / भू.अ. / LRC/ F-88/2020/ 2589-2622 दिनांकः- 07-08-2020

जिला कलक्टर (भू.अ.)
समस्त।

विषयः- साइबर कैफे धारको को लाइसेन्स जारी करने के संबंध में।
प्रसंगः- कलक्टर (भू.अ.) हनुमानगढ़ के अनुज्ञा पत्र 4532 दिनांक 08.07.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र से जिला कलक्टर (भू.अ.) हनुमानगढ़ द्वारा अनुज्ञा पत्र 4532 दिनांक 08.07.2020 तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ़ में ई-मित्र/सीएससी को लाईसेन्स जारी किया गया हैं। इस संबंध में मण्डल के परिपत्र दिनांक 11.10.2012 जिसके अनुसार जिन तहसीलों में डिजीटल हस्ताक्षर युक्त जमाबन्दी जारी की जाएगी उन तहसीलों मे साइबर कैफे धारको को लाइसेन्स जारी नही किए जाएगें व लाइसेन्स नवीनीकरण भी नही किए जाएंगे।

अतः जिले की जो तहसील राजस्थान भू-राजस्व (भू0अ0) नियम 1957 के अध्याय 7 के नियम 169 एच के तहत ऑनलाईन अधिसूचित हैं, तथा जिन तहसीलों में डिजिटलयुक्त हस्ताक्षर की प्रतिलिपि जारी हो रही हैं, उन तहसीलों मे साइबर कैफे धारको को लाइसेन्स जारी नही किए जाएगें व लाइसेन्स नवीनीकरण भी नही किए जाएंगे। मण्डल द्वारा प्रदत्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावें।

भवदीय

निबन्धक,
राजस्व मण्डल राजस्थान
दिनांक 07-08-2020

अजमेर प्रतिलिपि :क्रमांकः सम/2623-24
1- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान जयपुर।
2- आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग एवं नोडल अधिकारी DILRMP जयपुर ।

प्रभारी अधिकारी (DILRMP)
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

E. Mail 60

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

कमांकःBR/ LR/ NLRMP/ F-126 / Online / 2018 / 2630

दिनांकः– 07-08-2020

वरिष्ठ तकनीकी निदेशक,
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राजस्थान, राज्य ईकाई,
कमरा नम्बर 318, उत्तर पश्चिम खण्ड, शासन सचिवालय,
राजस्थान, जयपुर।

विषय :– खातेदारी मन्दिर की भूमि को एल.आर.सी. में जमाबंदी से पूजारी रजिस्टर को ऑनलाईन लिंक करवाने हेतु।

प्रसंग :– rdhorawat.doit@RAJASTHAN.GOV.IN से प्राप्त ई–मेल दिनांक 27.07.2020 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र जिसके द्वारा ग्राम भम्भौरिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर में हाल खसरा 592, 593, 600 व 1102 खातेदारी मन्दिर श्री बटूक भैरूंजी आमेर की भूमि को एल.आर.सी. में जमाबंदी से पूजारी रजिस्टर को ऑनलाईन लिंक करवाने हेतु पेश किया जाने का प्रावधान राजस्थान सरकार, राजस्थान ग्रुप–6 विभाग का परिपत्र 12.09.2018 के निर्देश क्रमांक 03 में दिया गया हैं परन्तु तहसीलदार सांगानेर ने वर्तमान में ई–धरती सॉफ्टवेयर में माफी मन्दिर का रजिस्टर ऑनलाईन लिंक करने का प्रावधान नहीं होने का कथन किया हैं, अवगत कसया हैं।

उक्त के क्रम में मण्डल के पत्रांक 662 दिनांक 20.02.2020 द्वारा आपको राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र कमांक 3(2) राज–6/ 2007/पार्ट/15 दिनांक 12.09.2018 में समस्याओं के निराकरण हेतु निर्देश के बिन्दु संख्या 3 के अनुसार पंजिका–मंदिर देव मूर्ति खातेदार कृषि भूमि का पुजारी के नाम से कम्प्यूटराइज्ड संधारित किए जाने हेतु ई–धरती सॉफ्टवेयर में प्रावधान करवाये जामे हेतु लिखा जा चुका हैं जिसके संबंध में कार्यवाही आदिनांक अपेक्षित हैं।

इस संबंध में राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र प.2 (4) राज./4/90/37 दिनांक 13.12.1991 की प्रति संलग्न कर निर्धारित प्रपत्र में पंजिका–मंदिर देव मूर्ति खातेदार कृषि भूमि का पुजारी के नाम से कम्प्युटराइज्ड संधारित किए जाने हेतु ई–धरती सॉफ्टवेयर में प्रावधान किया जाना सुनिश्चित करावे।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार परिपत्र की प्रति

निबन्धक,
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर

कमांकः सम/ 2631–2667

दिनांक 07-08-2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2 आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग एवं नोडल अधिकारी DILRMP जयपुर।
3 जिला कलक्टर जयपुर को प्रासंगिक पत्र के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि संबंधित को वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी, जयपुर से संपर्क कर आवश्यक कार्यवाही करवाए जाने हेतु पाबन्द करवाए जाने हेतु प्रेषित है।
4. जिला कलक्टर समस्त।

प्रभारी अधिकारी DILRMP,
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर

E. Mail
61

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांकःराम / DILRMP. / प–126 / 2020/ 2844

दिनांकः– 27-08-2020

श्री अरूण माथुर
वरिष्ठ तकनीकी निदेशक,
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राजस्थान, राज्य ईकाई,
कमरा नम्बर 318, उत्तर पश्चिम खण्ड,
शासन सचिवालय, राजस्थान,

विषयः– ई–धरती साईट एवं ऑनलाईन रहन पोर्टल पर आ रही समस्या के क्रम में।
प्रसंगः– कलक्टर झुन्झुनु के पत्रांक 1582 दिनांक 17.07.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र से जिला कलक्टर झुन्झुनु द्वारा भू–प्रबन्ध आयुक्त एवं नोडल अधिकारी DILRMP, भू–प्रबन्ध कार्यालय को पत्र लिखा गया जिसकी प्रति मण्डल को भिजवाई गई जिसके द्वारा अवगत करवाया गया कि जिले में DILRMP योजनान्तर्गत ऑनलाईन तहसीलों में नामान्तरकरण तस्दीक करने का कार्य सर्किल के अनुसार तहसीलदार व नायब तहसीलदार द्वारा किये जाते है जबकि रहन पोर्टल पर सारे नामान्तरकरण तहसीलदार की आई. डी. पर आ रहे हैं। जिससे नायब तहसीलदार के क्षेत्राधिकार के नामान्तरकरण भी तहसीलदार के द्वारा किये जाते हैं जो नियमानुसार नायब तहसीलदार की आई.डी. पर होने चाहिए। अतः रहन के नामान्तरकरणों हेतु तहसीलदार व नायब तहसीलदार के क्षेत्राधिकार के अनुरूप आई.डी. मैंपिंग करवाने हेतु निवेदन किया हैं।

उक्त के संबंध में राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम 1957 के नियम 345 के अनुसार प्रभारी अधिकारी भू–अभिलेख के स्तर से तहसीलदार व नायब तहसीलदार के कार्य विभाजन के अनुरूप नामान्तरकरण लॉक करने के लिये आई.डी. मैंपिंग करवाने हेतु सॉफ्टवेयर में उचित प्रावधान किया जाना सुनिश्चित करावें।

निबंधक,
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर
दिनांक 27-08-2020

प्रतिलिपि :क्रमांकः सम/ 2845-47
1- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान जयपुर।
2- आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग एवं नोडल अधिकारी DILRMP जयपुर।
3- जिला कलक्टर, झुन्झुनु।

प्रभारी अधिकारी (DILRMP)
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांकःराम/भू.अ./NLRMP/ F-126/2020/ 2841 दिनांकः– 27-08-2020

जिला कलक्टर
झालावाड ।

विषयः– अपवादित खातों के निस्तारण बाबत् मार्गदर्शन चाहने के क्रम में।
प्रसंगः– आपके पत्रांक 3346 दिनांक 28.07.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र से आपके द्वारा अवगत करवाया गया कि तहसील अकलेरा को ऑनलाईन कराने में जमाबंदी सेग्रीगेशन जांच के दौरान पाये गये निम्न अपवादित खातों का निस्तारण नहीं होने के कारण मार्गदर्शन चाहा गया हैः–

1. ग्राम नीमखेड़ा प.म. घाटोली की चालू जमाबंदी संवत 2071–74 के खाता न. 20 अपवादित खाते में खातेदार सहकृषक हि.1/2 व संस्था झालावाड़ सहकारी भूमि विकास बैंक लि. शाखा अकलेरा की भूमि शामलाती खाते में हि. 1/2 से दर्ज हैं। जिसका सेग्रिगेशन ई–धरती के प्रावधानों के कारण खाता अपवादित की श्रेणी में हैं।

2. ग्राम गादिया प.म. लक्ष्मीपुरा की चालू जमाबंदी संवत 2076–79 के खाता नं. 10 में काश्तकार के नाम में कन्हीराम कंवरलाल नारायण पि. औंकार जाति भील व मन्दिर श्री रामचन्द्र जी महाराज स्थान लक्ष्मीपुरा ख.न. 213 रकबा 0.2 गै.मु. चाह शामलाती खाते से दर्ज हैं। जो कि अपवादित खाते की श्रेणी में हैं।

उक्त के संबंध में निर्देशित किया जाता हैं कि बिन्दु सं0 1 के कम में खातेदार कृषक तथा संस्था सह खातेदार होने से भू–राजस्व (भू0अ0) नियम 1957 तथा भू–राजस्व अधिनियमों में विभाजन की कार्यवाही की जा सकती है। अतः नियमानुसार विभाजन करवाया जा कर खाता अपवादित श्रेणी से अनअपवादित श्रेणी में लाया जा सकता है। बिन्दु सं0 2 के कम में गै0 मु0 चाह के संबंध बैठक दिनांक 11.08.2015 के बिन्दु सं03 के क्रम में चाह का रकबा बहुत ही कम होने से सेग्रिगेशन नहीं किया जा सकता है अतः तकनीकी राय के अनुसार अपवादित खाते के अन्तर्गत ही रहेगा इस संबंध में मण्डल के पत्रांक 10164–96 दिनांक 26.09.2017 से पूर्व में ही निर्देशित किया जा चुका हैं। जब भी काश्तकार को उक्त खाते में नामान्तरकरण की आवश्यकता होगी उस समय खाते को अपावादित से अनअपवादित श्रेणी में करवाया जा सकता है। निर्देशानुसार कार्यवाही करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

भवदीय

निबन्धक,
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर
दिनांक

प्रतिलिपि :क्रमांकः सम/
1- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान जयपुर।
2- आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग एवं नोडल अधिकारी DILRMP जयपुर ।

प्रभारी अधिकारी (DILRMP)
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

723 ! Dec 2020

स्मरण–पत्र

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांकःBR/ LR/ NLRMP/ F-126 / Online / 2018 / 2941 दिनांकः–27-08-2020

वरिष्ठ तकनीकी निदेशक,
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राजस्थान, राज्य ईकाई,
कमरा नम्बर 318, उत्तर पश्चिम खण्ड, शासन सचिवालय,
राजस्थान, जयपुर।

विषय :– अनसर्वेड वन भूमि को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराने बाबत् ।
प्रसंग :– मण्डल का पत्रांक 1052 दिनांक 07.05..2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र से निर्देशित किया गया था कि ऑनलाईन तहसीलों में ई–धरती सॉफ्टवेयर में जिला स्तर पर सक्षम अधिकारी द्वारा गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदान किए जाने, सिवायचक तथा चरागाह भूमि अथवा विभिन्न भूमियों के आवण्टन, किस्म परिवर्तन तथा अनसर्वे क्षेत्र जोडने पर प्रशासनिक आदेश से नामान्तरकरण दर्ज किए जाने का प्रावधान नहीं है। वर्तमान में इस प्रकार के प्रकरण (नामान्तरकरण) न्यायालय आदेश के तहत दर्ज किए जा रहे है, जो कि उचित नहीं है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि सक्षम स्तर पर सक्षम अधिकारी/प्रशासनिक आदेश द्वारा गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदान किए जाने, सिवायचक के खाते में धारित भूमि तथा चरागाह भूमियों के आवण्टन, प्रशासनिक आदेशों के अनुरूप किस्म परिवर्तन तथा ई–धरती तथा भू–नक्शा सॉफ्टवेयर में अनसर्वे क्षेत्र को जोडने, तनाजा/ऑवर लैपिंग (चित्तौडढ जिले की भदेसर तहसील) के अनुरूप राज्य सराकर के निर्देशानुसार जिला कलक्टर (जिला भू–अभिलेख अधिकारी) को अधिकृत किए जाने पर नामान्तरकरण दर्ज किए जाने हेतु ई–धरती तथा भू–नक्शा सॉफ्टवेयर में पृथक से प्रावधान किया जावे।

साथ ही रिसोर्स परसन के वाट्स–एप ग्रुप तथा एनआईसी, जयपुर से ऑनलाईन कार्य के संबंध में आ रही समस्याओं के निस्तारण हेतु सॉफ्टवेयर में आवश्यक प्रावधान करवाए जाने हेतु की गई चर्चा के अनुसार निम्न समस्याओं का समाधान है/ सॉफ्टवेयर में प्रावधान करवाया जाना उचित होगा :–

1. ग्राम, तहसील, जिले में कुल भूमि, कुल खातेदार, कुल गैर खातेदार, कुल सिचायचक, काबिल काश्त, नाकाबिल काश्त, चरागाह, विभिन्न विभागीय भूमि का जोड प्राप्त किए जाने हेतु आवश्यक प्रावधान करवाया जाना उचित रहेगा।
2. प्रपत्र 21 में कुल किता कुल रकबा का स्वतः प्रिंट प्राप्त हो जावें :– वर्तमान में सॉफ्टवेयर से प्राप्त प्रपत्र पी–21 में अंकित खसरों तथा रकबे का योग नहीं आता है। अतः नामान्तरकरण प्रपत्र पी–21 में सॉफ्टवेयर से प्राप्त प्रिन्ट में खसरों तथा रकबे का योग का अंकन किए जाने हेतु सॉफ्टवेयर में उचित प्रावधान करवाया जाना उचित रहेगा।
3. खसरे में भूमि की किस्म परिवर्तित करने का ऑप्शन नहीं है– वर्तमान में खसरे की भूमि की किस्म परिवर्तित होने पर सॉफ्टवेयर में किस्म परिवर्तन किए जाने का प्रावधान नहीं है। अतः सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आदेश/पट्टा विलेख की प्रति सहित आवश्यक दस्तावेज अपलोड करवाते हुए आदेशानुसार सॉफ्टवेयर में किस्म परिवर्तन किए जाने का प्रावधान करवाया जाना उचित रहेगा।
4. खसरे का विवरण बदलने का ऑप्शन दिया जावे अथवा नही :– नामान्तरकरण दर्ज करते समय हुई लिपिकिय त्रुटि को सुधारने हेतु नामान्तरकरण सेव किए जाने के पश्चात् रिकार्ड के अनुसार खसरे के विवरण में परिवर्तन किए जाने हेतु प्रावधान करवाया जाना उचित रहेगा।
5. बैक टू बैक नामान्तरकण में खाता हटाने का ऑप्शन दिया जाना चाहिए :– बैक टू बैक नामान्तरकण की स्थिति में रिकार्ड में विसंगति न हो इसके लिए आवश्यकतानुसार खाता हटाने का ऑप्शन दिया जाना उचित होगा।
6. प्रपत्र–21 के प्रिन्ट से पूर्व आरपीजी स्तर पर संशोधन किए जाने हेतु प्रावधान करवाया जाना तथा प्रिन्ट के पश्चात् तहसीलदार स्तर से संशोधन किए जाने का सॉफ्टवेयर में प्रावधान किए जाने हेतु एनआईसी को लिखा जाना उचित होगा।

अतः उक्त के संबंध में सॉफ्टवेयर में किये गये वांछित प्रावधान से मण्डल को शीघ्र अवगत करावें।

निबन्धक,
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर

क्रमांकः सम/2942–44 दिनांक 27-08-2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2 आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग एवं नोडल अधिकारी DILRMP जयपुर।
3 जिला कलक्टर, अजमेर।

प्रभारी अधिकारी DILRMP,
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांकःराम/DILRMP./प–126/2020/ 2945 दिनांकः– 27-08-2020

श्री अरूण माथुर
वरिष्ठ तकनीकी निदेशक,
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राजस्थान, राज्य ईकाई,
कमरा नम्बर 318, उत्तर पश्चिम खण्ड,
शासन सचिवालय, राजस्थान,

विषयः– नक्शा शीटों की फाईनल शेप फाईलों को भू–नक्शा सर्वर पर पुनः अपलोड करने एवं तरमीम नामान्तरकरण खोलने का ऑप्शन प्रदान करवानें बाबत्।
प्रसंगः– कलक्टर जालोर के पत्रांक 2481 दिनांक 05.08.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र से जिला कलक्टर जालोर द्वारा भू–प्रबन्ध आयुक्त, जयपुर को पत्र लिखा गया जिसकी एक प्रति मण्डल को भिजवाई गई जिसके द्वारा अवगत करवाया गया कि जिलें की तहसील सांचोर दिनांक 01.11.2019 को ऑनलाईन नोटिफाईड हो गई थी। फर्म द्वारा तहसील के कुल 133 ग्रामों की नक्शा शीटों का फाईनल प्रिन्ट दिया गया था। इस प्रिन्ट में संबंधित पटवारी, भू.अ. निरीक्षक व तहसीलदार के हस्ताक्षर कर फाईनल नक्शा शीटें प्राप्त की गई। नक्शा शीटों के आधार पर फाईनल शेप फाईले तैयार की गई उन फाईनल शेप फाईलों को प्राप्त कर भू–नक्शा सर्वर पर अपलोड किया गया। इस प्रकार तहसील की नोटिफिकेशन प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी थी। जब पटवारी द्वारा भू–नक्शा पर उन शेप फाईलों की जांच की गई तो शेप फाईलें नक्शा शीटों के प्रिन्ट के अनुरूप नहीं पाई गई। बाद में फर्म ने शेष चल रही तहसील का कार्य पूर्ण करने के पश्चात सांचोर तहसील की शेप फाईले दी जो उनके दिये हुए प्रिन्ट आउट से मेल खाती हैं। इस दरम्यान दिनांक 01.11.2019 से आदिनांक तक तहसील सांचोर में किसी भी प्रकार का तरमीम का नामान्तरकरण दर्ज नहीं किया गया हैं तथा पुनः वन–टू–वन मैपिंग की जांच कर ली गई हैं।उक्त के संबंध में तहसील सांचोर में फाईनल शेप फाईलों को भू–नक्शा सर्वर पर पुनः अपलोड करने का ऑप्शन प्रदान कराने हेतु निवेदन किया हैं।

उक्त के संबंध में निर्देशित किया जाता हैं कि तहसील सांचोर में शेप फाईल अपलोड करने हेतु भू–नक्शा सॉफ्टवेयर में प्रावधान करवाते हुए 1:1 मैपिंग हेतु 33 कॉलम की रिपोर्ट जनरेट करवाये जाने का प्रावधान करावें।

निबंधक,
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर
दिनांक 27-08-2020

प्रतिलिपि :क्रमांकः सम/2946-47

1. आयुक्त, भू–प्रबंध विभाग एवं नोडल अधिकारी DILRMP, राजस्थान, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, जालोर।

प्रभारी अधिकारी (DILRMP)
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

65

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांकःराम/DILRMP./प–126/2020/ 2849 दिनांकः– 27-08-2020

श्री अरूण माथुर
वरिष्ठ तकनीकी निदेशक,
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राजस्थान, राज्य ईकाई,
कमरा नम्बर 318, उत्तर पश्चिम खण्ड,
शासन सचिवालय, राजस्थान,

विषयः– राजस्व ईकाईयों के नाम परिवर्तन का सॉफ्टवेयर में प्रावधान किये जाने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के द्वारा समय–समय पर राजस्व ईकाईयों के नाम परिवर्तन की अधिसूचना जारी की जाती हैं। जिसके क्रम में राजस्व(ग्रुप–1)विभाग की अधिसूचना 07.08.2019 संलग्न हैं, जिसके अन्तर्गत अजमेर जिले की तहसील किशनगढ़ के राजस्व ग्राम का नाम परिवर्तित कर श्रीनिम्बार्क तीर्थ किया गया हैं। अधिसूचना के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में नाम परिवर्तन करवाया जाना हैं।

उक्त के क्रम में ई–धरती सॉफ्टवेयर में राजस्व ईकाईयों(राजस्व ग्राम/पटवार हल्का/भू.अ. निरीक्षक वृत/उपतहसील/तहसील) के नामों में परिवर्तन/संशोधन कलेक्टर भू–अभिलेख के स्तर से करने हेतु प्रावधान किया जाना सुनिश्चित करावें।

निबंधक,
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

प्रतिलिपि :क्रमांकः सम/ 2850-85 दिनांक 27-08-2020

1- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान जयपुर।
2- आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग एवं नोडल अधिकारी DILRMP जयपुर ।
3- जिला कलक्टर, समस्त।

प्रभारी अधिकारी (DILRMP)
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

66

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांकःराम/DILRMP./प–126/2020/ 2849 दिनांकः– 27-08-2020

श्री अरूण माथुर
वरिष्ठ तकनीकी निदेशक,
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राजस्थान, राज्य ईकाई,
कमरा नम्बर 318, उत्तर पश्चिम खण्ड,
शासन सचिवालय, राजस्थान,

विषयः– राजस्व ईकाईयों के नाम परिवर्तन का सॉफ्टवेयर में प्रावधान किये जाने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के द्वारा समय–समय पर राजस्व ईकाईयों के नाम परिवर्तन की अधिसूचना जारी की जाती हैं। जिसके क्रम में राजस्व(ग्रुप–1)विभाग की अधिसूचना 07.08.2019 संलग्न हैं, जिसके अन्तर्गत अजमेर जिले की तहसील किशनगढ़ के राजस्व ग्राम का नाम परिवर्तित कर श्रीनिम्बार्क तीर्थ किया गया हैं। अधिसूचना के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में नाम परिवर्तन करवाया जाना हैं।

उक्त के क्रम में ई–धरती सॉफ्टवेयर में राजस्व ईकाईयों(राजस्व ग्राम/पटवार हल्का/भू.अ. निरीक्षक वृत/उपतहसील/तहसील) के नामों में परिवर्तन/संशोधन कलेक्टर भू–अभिलेख के स्तर से करने हेतु प्रावधान किया जाना सुनिश्चित करावें।

निबंधक,
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

प्रतिलिपि :क्रमांकः सम/ 2850-85 दिनांक 27-08-2020

1- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान जयपुर।
2- आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग एवं नोडल अधिकारी DILRMP जयपुर ।
3- जिला कलक्टर, समस्त।

प्रभारी अधिकारी (DILRMP)
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

E-1

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांकःBR/ LR/ NLRMP/ F-126 / 2020 / 3183 दिनांकः– 23-09-2020

वरिष्ठ तकनीकी निदेशक,
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राजस्थान, राज्य ईकाई,
कमरा नम्बर 318, उत्तर पश्चिम खण्ड, शासन सचिवालय,
राजस्थान, जयपुर।

विषयः– प्रपत्र पी–21 में हुए परिवर्तन के अनुमोदन के क्रम
प्रसंगः– आपका पत्रांक 5904 दिनांक 27.08 2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत मण्डल के पत्रांक 2558 दिनांक 30.07.2020 से प्रपत्र पी–21 के संबंध मे कुल किता, कुल रकबा, खाता अनुसार दिए जाने के साथ साथ काश्तकारों की संख्या का योग भी पुरानी प्रविष्टियों के कॉलम व नयी प्रविष्टियों के कॉलम में दिखाए जाने बाबत् मण्डल स्तर से अनुमोदन पूर्व एनआईसी में पदस्थापित पटवारी व आईएलआर की टिप्पणी भिजवाने हेतु लिखा गया ।

प्रासंगिक पत्र से एनआईसी में पदस्थापित पटवारी व आईएलआर की टिप्पणी/अनुशंसा भिजवाई गई जिसके द्वारा अवगत करवाया गया कि पोर्टल पर आ रही समस्याओं के अनुसार अधिकांश समस्याऐं खसरे व काश्तकार हटने के संबंध में आ रही हैं जो कि अधिकांशतः 1 नं. खाता व संस्थागत खाते जैसे नगरपालिका/जेडीए व चारागाह खाते से संबंधित होती हैं उनमें म्यूटेशन लॉक करने के बाद खसरे व काश्तकार हट जाने की समस्या बार बार आ रही हैं। समस्याओं की जांच के दौरान ऐसा देखा गया कि आरपीजी/पटवारी द्वारा समस्त खसरों/काश्तकारों की जांच नही कर पाते हैं क्योंकि खसरों की व काश्तकारों की संख्या अधिक होती हैं। कार्य के अधिकता के कारण आरपीजी द्वारा जांच संभव नही हो पाती व प्रिन्ट दे दिया जाकर लॉक कर दिया जाता हैं। प्रशिक्षण के दौरान आरपीजी/पटवारियों द्वारा इस तरह की समस्या के समाधान बाबत नामान्तरकरण में प्रत्येक खाते के नीचे उस खाते का गोश्वारा– कुल खसरा–कुल रकबा– काश्तकारों की संख्या ऑनलाईन पी–21 में दर्शायी जाने बाबत निवेदन किया था। समस्या की जांच के दौरान प्रतीत हुआ कि यदि ऑनलाईन पी–21 में यह विकल्प दिया जाता हैं तो अधिकतर खसरें /काश्तकार हटने की समस्या का निराकरण हो सकता हैं, अर्थात आरपीजी/पटवारी यह जांच कर सकेंगें कि 1–6 कॉलम में कितने खसरे/काश्तकार हैं व 7–12 कॉलम में नवीन स्थिति क्या हैं।

अतः उक्त के संबंध में प्रपत्र पी–21 के संबंध मे कुल किता,कुल रकबा, खाता अनुसार दिए जाने के साथ साथ काश्तकारों की संख्या का योग भी पुरानी प्रविष्टियों के कॉलम व नयी प्रविष्टियों के कॉलम में दिखाए जाने हेतु आपके द्वारा भिजवाया गया प्रपत्र पी–21 अनुमोदन कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

निबन्धक,
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर
दिनांक 23-09-2020

क्रमांकः सम/ 3184-85
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–
1 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2 आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग एवं नोडल अधिकारी DILRMP जयपुर।

प्रभारी अधिकारी DILRMP,
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर

राजस्थान सरकार

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांकःराम / DILRMP. / प–126 / 2020/ 3200 दिनांकः– 23-09-2020

श्री अरूण माथुर
वरिष्ठ तकनीकी निदेशक,
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राजस्थान, राज्य ईकाई,
कमरा नम्बर 318, उत्तर पश्चिम खण्ड,
शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।

विषय :– संस्थागत खाते में से किए गए उप–तहसील बाबत दान के नामान्तरकरण में खाता संख्या 1 को ई–धरती सॉफ्टवेयर में दर्शाने के संबंध में मार्गदर्शन चाहने बाबत् संबंध में।

प्रसंग :– तकनीकी निदेशक, एनआईसी, जयपुर का पत्रांक 6044 दिनांक 17.09.2020

प्रासंगिक पत्र से आपके द्वारा अवगत कराया है कि कठूमर तहसील, जिला अलवर की ई–धरती पोर्टल पर समस्या कमांक 26450 दिनांक 02.09.2020 के समाधान स्तर पर प्रक्रियाधीन है। इस संबंध में तहसील स्तर पर समस्या के माध्यम से अवगत कराया गया है कि मैसर्स नवकार प्राईम डवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड, संस्था के लिए खाता ग्राम सौंखर में है। उक्त खाते में से ख0न0 740 रकबा 0.37 में से रकबा 0.15 हैक्ट0 का दानपत्र फर्म मैसर्स नवकार प्राईम डवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा उप–तहसील कार्यालय खेरली मण्डी के हक में दान किया गया है परन्तु ई–धरती सॉफ्टवेयर में संस्थागत खाते में से दान बाबत् नामान्तरकरण में खाते नं0 1 को प्रदर्शित वर्तमान में नहीं किया गया है। इस संबंध में खाता नं01 में प्रदर्शित बाबत् मार्गदर्शन चाहा गया है।

इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि यदि किसी खातेदार/संस्था द्वारा राज्य हित में यदि नियमानुसार दान किया गया है तो दान की गई भूमि संबंधित खाते से कम हो कर खाता नम्बर 1 में प्रदर्शित होनी चाहिए अतः उक्तानुसार नामान्तरकरण दर्ज किए जाने हेतु सॉफ्टवेयर में वांछित प्रावधान करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

निबंधक,
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

प्रतिलिपि :क्रमांकः सम/ 3201-03 दिनांक 23-09-2020

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग एवं नोडल अधिकारी DILRMP जयपुर ।
3. जिला कलक्टर (भू0अ0),अलवर।

प्रभारी अधिकारी (DILRMP)
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

राजस्थान सरकार

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांकःराम / DILRMP. / प–126 / 2020/ 3200 दिनांकः– 23-09-2020

श्री अरूण माथुर
वरिष्ठ तकनीकी निदेशक,
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राजस्थान, राज्य ईकाई,
कमरा नम्बर 318, उत्तर पश्चिम खण्ड,
शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।

विषय :– संस्थागत खाते में से किए गए उप–तहसील बाबत दान के नामान्तरकरण में खाता संख्या 1 को ई–धरती सॉफ्टवेयर में दर्शाने के संबंध में मार्गदर्शन चाहने बाबत् संबंध में।

प्रसंग :– तकनीकी निदेशक, एनआईसी, जयपुर का पत्रांक 6044 दिनांक 17.09.2020

प्रासंगिक पत्र से आपके द्वारा अवगत कराया है कि कठूमर तहसील, जिला अलवर की ई–धरती पोर्टल पर समस्या कमांक 26450 दिनांक 02.09.2020 के समाधान स्तर पर प्रकियाधीन है। इस संबंध में तहसील स्तर पर समस्या के माध्यम से अवगत कराया गया है कि मैसर्स नवकार प्राईम डवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड, संस्था के लिए खाता ग्राम सौंखर में है। उक्त खाते में से ख0न0 740 रकबा 0.37 में से रकबा 0.15 हैक्ट0 का दानपत्र फर्म मैसर्स नवकार प्राईम डवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा उप–तहसील कार्यालय खेरली मण्डी के हक में दान किया गया है परन्तु ई–धरती सॉफ्टवेयर में संस्थागत खाते में से दान बाबत् नामान्तरकरण में खाते नं0 1 को प्रदर्शित वर्तमान में नहीं किया गया है। इस संबंध में खाता नं01 में प्रदर्शित बाबत् मार्गदर्शन चाहा गया है।

इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि यदि किसी खातेदार/संस्था द्वारा राज्य हित में यदि नियमानुसार दान किया गया है तो दान की गई भूमि संबंधित खाते से कम हो कर खाता नम्बर 1 में प्रदर्शित होनी चाहिए अतः उक्तानुसार नामान्तरकरण दर्ज किए जाने हेतु सॉफ्टवेयर में वांछित प्रावधान करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

निबंधक,
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

प्रतिलिपि :क्रमांकः सम/ 3201-03 दिनांक 23-09-2020

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग एवं नोडल अधिकारी DILRMP जयपुर ।
3. जिला कलक्टर (भू0अ0),अलवर।

प्रभारी अधिकारी (DILRMP)
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांकःराम / DILRMP. / प–126 / 2020/ 3257 दिनांकः– 25-09-2020

श्री अरूण माथुर
वरिष्ठ तकनीकी निदेशक,
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राजस्थान, राज्य ईकाई,
कमरा नम्बर 318, उत्तर पश्चिम खण्ड,
शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।

विषयः– न्यायालय के स्थगन आदेश से प्रभावित संयुक्त खातों में आ रही समस्या का समाधान करवाने बाबत्।
प्रसंगः– जिला कलक्टर (भू.अ.) हनुमानगढ़ के पत्रांक 5460 दिनांक 26.08.2020 आपका ई–मेल दिनांक 04.09.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत जिला कलक्टर (भू.अ.) हनुमानगढ़ के प्रासंगिक पत्र से अवगत करवाया गया कि संयुक्त खातों में न्यायालय के ऐसे स्थगन आदेश, जिनमें किसी एक हिस्सेदार का हिस्सा ही प्रभावित होता हैं, को प्रभावी करते समय ऐसे संयुक्त खाते के समस्त खसरा/किला का चयन किया जाकर स्थगन आदेश का अमल किया जाता हैं। ऐसे संयुक्त खाते में किसी अन्य खातेदार, जिसका हिस्सा स्थगन आदेश से प्रभावित नही हैं, के हिस्सा में किसी प्रकार का परिवर्तन करने हेतु नामान्तरकरण दर्ज करने पर उक्त स्थगनादेश के कारण "स्थगन आदेश" की एरर आती हैं। ऐसे संयुक्त खातों में किसी एक खातेदार का हिस्सा स्थगन से प्रभावित होने पर अन्य खातेदारों का हिस्सा भी अनावश्यक रूप से प्रभावित होता हैं और काश्तकारों को अनावश्यक परेशानी होती हैं। अतः उक्त समस्या के समाधान हेतु निवेदन किया हैं ताकि काश्तकारन को अनावश्यक परेशानी का सामना नही करना पडे। साथ ही प्रासंगिक ई–मेल द्वारा ई–धरती सॉफ्टवेयर में खाते में जिनमें एक से अधिक खातेदार है काश्तकार, खसरा या खाता ब्लॉक कर दिया जाता है परन्तु किसी एक खातेदार के हिस्से पर स्थगन होने या न होने पर हिस्सानुसार नोट लगाने की सॉफ्टवेयर में व्यवस्था करने बाबत् मार्गदर्शन चाहा गया है।

इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि माननीय न्यायालय के निर्णय के अनुसार ही स्थगन की पालना किए जाने हेतु सॉफ्टवेयर में प्रावधान करवाया जाना उचित होगा। एक खाता जिसमें एक से अधिक खातेदार व खसरे है उनमें 1. हिस्सों के अनुसार स्थगन 2. खसरों के अनुसार स्थगन सम्भव है। हिस्सों के अनुसार i. किसी एक काश्तकार के हिस्से पर स्थगन ii.. एक से अधिक काश्तकार के हिस्से पर स्थगन iii समस्त काश्तकार के हिस्से पर स्थगन

2. खसरों के अनुसार स्थगन में i. किसी एक काश्तकार के एक ही खसरे पर स्थगन ii किसी एक काश्तकार के सम्पूर्ण खसरों पर स्थगन iii.. एक से अधिक काश्तकार के एक ही खसरे पर स्थगन iv. एक से अधिक काश्तकार के सम्पूर्ण खसरों पर स्थगन v. समस्त काश्तकार के एक ही खसरे पर स्थगन vi. समस्त काश्तकार के समस्त खसरों पर स्थगन सम्भव हो सकता है। उपरोक्त परिस्थिति के अतिरिक्त भी अन्य परिस्थिति जो न्यायालय निर्णय के अनुसार हो सकती है, सॉफ्टवेयर में प्रावधान करवाया जाना सुनिश्चित करावें। साथ ही स्थगन के नोट को विशेष विवरण वाले कॉलम में भी उक्तानुसार प्रदर्शित होने का सॉफ्टवेयर में प्रावधान करवाया जाना सुनिश्चित करावे।

निबंधक,
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

प्रतिलिपि :क्रमांकः सम/ 3258–93 दिनांक 25-09-2020

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग एवं नोडल अधिकारी DILRMP जयपुर ।
3. जिला कलक्टर, समस्त।

प्रभारी अधिकारी (DILRMP)
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांकःराम/DILRMP./प–126/2020/4059 दिनांकः– 06/11/2020

श्री अरूण माथुर
वरिष्ठ तकनीकी निदेशक,
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राजस्थान, राज्य ईकाई,
कमरा नम्बर 318, उत्तर पश्चिम खण्ड,
शासन सचिवालय, राजस्थान,

विषय :– नक्शा शीटों की फाईनल शेप फाईलों को भू–नक्शा सर्वर पर पुनः अपलोड करने एवं तरमीम नामान्तरकरण खोलने का ऑप्शन प्रदान करवाने बाबत्।

प्रसंग :– कार्यालय जिला कलक्टर (भू.अ.) जालोर के पत्रांक 3385–3386 दिनांक 20.10.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र से जिला कलक्टर जालोर, द्वारा अवगत करवाया गया कि तहसील आहोर दिनांक 13.03.2020 को ऑनलाईन अधिसूचित हो चुकी थी, तत्पश्चात् तहसील के कुल 140 ग्रामों की फाईनल शेप फाईलों को भू–नक्शा सर्वर पर अपलोड किये जाने के उपरान्त पटवारी द्वारा वक्त जांच पाया गया कि तहसील के 15 ग्रामों की शेप फाईले नक्शा शीटों के अनुरूप नहीं पाई गई। जब इन 15 ग्रामों की करेक्शन कर शेप फाईलों को पुनः चढाई जा रही थी तो इनमें से 5 ग्रामों (वेदाना, वेडिया, अगवरी, मादडी व चुण्डा) में चूकि अधिसूचित के पश्चात् तरमीम हो चुकी थी, जबकि नई शेप फाईल वन टू वन होने पर तरमीम स्वतः हट गई। तत्पश्चात उक्त 5 ग्रामों में फर्म द्वारा नई तरमीम शुदा शेप फाईले तथा अन्य 10 ग्रामों (भैंसवाडा, भाद्राजुन, हरजी, थांवला, हरियाली, कोराना, निम्बला,देबावास,पलासियाखुर्द व रायथल) में त्रुटिया सही कर शेप फाईले पुनः तैयार करवाई गई। अतः तहसील के 15 ग्रामों के मैप की फाईनल शेप फाईलों को पुनः भू–नक्शा सर्वर पर अपलोड करवाने तथा ऑनलाईन तरमीम के नामान्तरकरण भरने का ऑप्शन प्रारम्भ करवाये जाने हेतु निवेदन किया हैं।

उपरोक्त के क्रम में प्रासंगिक पत्र की प्रति संलग्न कर तहसील आहोर के 15 ग्रामों के मैप की फाईनल शेप फाईलों को पुनः भू–नक्शा सर्वर पर अपलोड क्ररने व ऑनलाईन तरमीम के नामान्तरकरण भरने के ऑप्शन प्रारम्भ करवाने हेतु प्रेषित हैं।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

निबंधक,
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर
दिनांक 06/11/2020

प्रतिलिपि :क्रमांकः सम/4060-62

1- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान जयपुर।
2- आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग एवं नोडल अधिकारी DILRMP जयपुर ।
3- जिला कलक्टर, जालोर।

प्रभारी अधिकारी (DILRMP)
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांकःराम / DILRMP. / प–126 / 2020/ 3979 दिनांकः– 09-11-2020

श्री अरूण माथुर
वरिष्ठ तकनीकी निदेशक,
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राजस्थान, राज्य ईकाई,
कमरा नम्बर 318, उत्तर पश्चिम खण्ड,
शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।

विषय :– ई–धरती सॉफ्टवेयर में स्टे के खाते में शेष स्टे रहित खसरो पर नामान्तरकरण नही खुलने के संबंध में।

प्रसंग :– मण्डल का पत्रांक 3257 दिनांक 25.09.2020 तथा कलक्टर (भू0अ0) जयपुर का पत्रांक 11856 दिनांक 06.11.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र से जिला कलक्टर द्वारा अवगत करवाया गया कि ई–धरती सॉफ्टवेयर में खाते में एकल काश्तकार होने की स्थिति में स्टे लगे हुए खाते में शेष खसरा नम्बर जो स्टे रहित होते हैं उनमें नामान्तरकरण भरते समय ई–धरती सॉफ्टवेयर में शेष खसरों को सलेक्ट करने पर उसके बाद काश्तकार को सलेक्ट करने पर ''इस काश्तकार पर स्टे लगा हुआ हैं'' का एरर शो हो रहा हैं, जिससे नामान्तकरण की प्रक्रिया पूर्ण नही हो पाती हैं। इस प्रकार की नामान्तरकरण एप्लीकेशन का निस्तारण नही हो पाता है। अतः ई–धरती सॉफ्टवेयर में उक्त समस्या का समाधान करवाने हेतु निवेदन किया हैं।

उक्त के क्रम में मण्डल के पत्रांक 3257 दिनांक 25.09.2020 से आपको माननीय न्यायालय के निर्णय के अनुसार ही स्थगन की पालना किए जाने हेतु सॉफ्टवेयर में प्रावधान करवाये जाने हेतु लिखा जा चुका हैं। जिसके अनुसार एक से अधिक खातेदार व खसरे है उनमें 1. हिस्सों के अनुसार स्थगन 2. खसरों के अनुसार स्थगन सम्भव है। हिस्सों के अनुसार i. किसी एक काश्तकार के हिस्से पर स्थगन ii.. एक से अधिक काश्तकार के हिस्से पर स्थगन iii समस्त काश्तकार के हिस्से पर स्थगन

2. खसरों के अनुसार स्थगन में i. किसी एक काश्तकार के एक ही खसरे पर स्थगन ii किसी एक काश्तकार के सम्पूर्ण खसरों पर स्थगन iii.. एक से अधिक काश्तकार के एक ही खसरे पर स्थगन iv. एक से अधिक काश्तकार के सम्पूर्ण खसरों पर स्थगन v. समस्त काश्तकार के एक ही खसरे पर स्थगन vi. समस्त काश्तकार के समस्त खसरों पर स्थगन सम्भव हो सकता है। उपरोक्त परिस्थिति के अतिरिक्त भी अन्य परिस्थिति जो न्यायालय निर्णय के अनुसार हो सकती है, सॉफ्टवेयर में प्रावधान करवाए जाने हेतु लिखा हैं।

उपरोक्तानुसार आपके द्वारा वर्तमान में सॉफ्टवेयर में प्रावधान नहीं करवाए गए है। अतः निर्देशानुसार सॉफ्टवेयर में वांछित प्रावधान करवा कर मण्डल को अवगत करावें।

निबंधक,
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

प्रतिलिपि :क्रमांकः सम/ 3980-82 दिनांक 09-11-2020

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग एवं नोडल अधिकारी DILRMP जयपुर ।
3. जिला कलक्टर, जयपुर को प्रासंगिक क्रम में एनआईसी, जयपुर से समन्वय कर वांछित प्रावधान करवाए जाने हेतु पाबन्द करवाए जाने बाबत् प्रेषित हैं।

प्रभारी अधिकारी (DILRMP)
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

E-Mail
73

1067 | Dec 2020

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांकःराम/DILRMP./प–126/2020/ 6145-78 दिनांकः– 07-12-2020

जिला कलक्टर,
समस्त।

विषय :– ऑनलाईन/ऑफलाईन तहसीलों में नामान्तरकरण इत्यादि कार्य समय पर निस्तारित करवाए जाने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत मण्डल के संज्ञान में लाया गया है कि तहसीले ऑनलाईन अधिसूचित होने के उपरान्त भी व्यवहारिक रूप से ऑनलाईन कार्य नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि तहसीलों के ऑनलाईन होने पर शीघ्र ही नामान्तरकरण इत्यादि का कार्य ऑनलाईन प्रारम्भ करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

ऐसी तहसीले जो ऑनलाईन हो चुकी है तथा जिनमें फाइनल प्रिन्ट उपलब्ध नहीं करवाए गए है, में तरमीम संबंधित नामान्तरकरण कार्य किए जाने से पूर्व फाइनल प्रिन्ट लिया जाना है। यदि फर्म द्वारा ऐसी किसी तहसील में फाइलन प्रिन्ट नहीं दिया गया है तो मण्डल को अवगत करावे।

इसके साथ ही राजस्व (ग्रुप–1) विभाग द्वारा पत्रांक प.13 (01)राज–प/2020 दिनांक 23.09.2020 से सभी जिला कलक्टर को निर्देशित किया गया है कि ऑफलाईन तहसीले जिनको ऑनलाईन किया जाना प्रकियाधीन है, इस प्रकिया में तरमीम संबंधित नामान्तरकरण 30 दिवस तक रोकने संबंधि निर्देश दिए गए है। उक्त निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए तहसील को शीघ्र ऑनलाईन करवाया जाना सुनिश्चित करावे।

निबंधक,
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

प्रतिलिपि :क्रमांकः सम/ 6179-86 दिनांक 07-12-2020

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग एवं नोडल अधिकारी DILRMP जयपुर ।
3. Scanpoint Geomaties Ltd. 12,Abhishree Corporate Park, ISKON-Ambli Road, Ahmedabad, Gujaratinfo@scanpointgeomatics.com, girish@scanpointgeomatics.com, M. 9825072890.
4. WAPCOS Ltd. B-6, Gautam Marg, Shyam Nagar, Jaipur, Email- rmwapcos@gmail.com
5. Avineon India Private Ltd. 1 st. Floor, Block "A", Cyber Gateway Madhapur, Hyderabad.
6. PAN INDIA CONSULTANTS PVT.LTD. 105,Phase-IV, Udyog Vihar, Gurgaon- 122015
7. Ceinsys Tech Ltd. Plot.No.10/5 IT Park, Opp. VNIT Campus, Nagpur- 440022
8. IL&FS Environmental Infrastructure & Services Ltd. 2 Floor, .M Tower, Plot No.8-9, Udyog Vihar, Phase-IV, Gurgaon, Email-Aditya.Sirohi@ilfsindia.com

प्रभारी अधिकारी (DILRMP)
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

E-Mail 74

15

1055 | Dec 2020

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

दिनांकः– 07-12-2020

क्रमांकःराम / DILRMP. / प–126 / 2020/ 6187

श्री अरूण माथुर
वरिष्ठ तकनीकी निदेशक,
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राजस्थान, राज्य ईकाई,
कमरा नम्बर 318, उत्तर पश्चिम खण्ड,
शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।

विषय :– लीज के नामान्तरणों में खातेदार के साथ साथ लीजधारक व अवधि खाते में सॉफ्टवेयर में विकल्प देने बाबत्।

प्रसंग :– आपका पत्रांक 6304 दिनांक 27.11.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र से अवगत करवाया गया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 44 व 45 की पालनार्थ लीज के नामान्तकरणों में खातेदार द्वारा लीज पर दिए जाने पर खातेदार के साथ–साथ लीजधारक का नाम व अवधि खाते में प्रदर्शित करने व खसरे पर किसी प्रकार के नामान्तरण पर रोक बाबत् ई–धरती सॉफ्टवेयर में प्रावधान कर नामान्तरण पी–21 प्रपत्र का अवलोकन कर अनुशंषा भिजवाने हेतु निवेदन किया हैं।

इस संबंध में जिला जैसलमेर की पोकरण तहसील जिनमें इस तरह के नामान्तरकरण दर्ज व्यवहारिक रूप से दर्ज किए जाने है, के संबंध में जिला रिसोर्स परसन तथा तहसील पोकरण के रिसोर्स परसन से दूरभाष पर जानकारी ली गई। तहसील पोकरण के रिसोर्स परसन ने अवगत कराया कि नामान्तरकरण दर्ज करने पर खातेदार का नाम हट रहा है, जबकि खातेदार का नाम यथावत रहना चाहिए इसके साथ ही यदि नामान्तरकरण लॉक किए जाने से पूर्व परिवर्तित स्थिति जो कि नामान्तरकरण दर्ज किए जाने के बाद खाते की होगी, के लिए यदि प्रिन्ट प्रि–व्यू का ऑप्शन उपलब्ध करवा दिया जावे तो उचित रहेगा। इसके साथ ही सॉफ्टवेयर में लीज डीड के अनुसार लीज अवधि दर्ज किए जाने का ऑप्शन उपलब्ध करावें। वर्तमान में आपके द्वारा लीज अवधि पूर्ण वर्षो में दी गई ह जबकि व्यवहारिक रूप से वर्ष माह एवं दिवस में अवधि अंकित किए जाने का प्रावधान करावें। रिसोर्स परसन से प्राप्त फीडबैक के अनुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

निबंधक,
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर
दिनांक 07-12-2020

प्रतिलिपि :क्रमांकः सम/ 6188-90

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग एवं नोडल अधिकारी DILRMP जयपुर ।
3. कलक्टर (भू0अ0) जैसलमेर को उक्त प्रकार के नामान्तरकरण दर्ज कर आवश्यक फीडबैक भिवजाए जाने हेतु प्रेषित है।

प्रभारी अधिकारी (DILRMP)
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांकःराम / DILRMP. / प–126 / 2020/ 6270 दिनांकः– 10/12/2020

श्री अरूण माथुर
वरिष्ठ तकनीकी निदेशक,
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राजस्थान, राज्य ईकाई,
कमरा नम्बर 318, उत्तर पश्चिम खण्ड,
शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।

विषय :– तहसील टोंक के ग्रामों की ई–धरती जमाबंदी चैकलिस्टों में स्थगन एवं भूमिगत पैट्रोलियम लाइनों के नोट अंकन करने में आ रही समस्याओं के समाधान के क्रम में।

प्रसंग :– कलक्टर (भू.अ.) टोंक के पत्रांक 5952–55 दिनांक 19.11.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र से जिला कलक्टर (भू.अ.) द्वारा अवगत करवाया गया कि ई–धरती सॉफ्टवेयर में सिर्फ न्यायालय स्थगन के नोट अंकित करने का ही ऑप्शन हैं, अन्य नोट लगाने का ऑप्शन नहीं हैं तथा न्यायालय स्थगन के नोट में भी शब्दों की लिमिट कम होने से स्थगन का पूर्ण विवरण के साथ अंकन किया जाना संभव नही हो पा रहा हैं। कई ग्रामों की जमाबंदियों के खातों में पूर्व में खोले गये नामान्तरकरणों पर न्यायालय स्थगन होने के कारण उनका अमल दरामद नहीं हो पाने के कारण नामान्तरकरण का नोट संबंधित जमाबंदी खातों में यथावत लगाया जाना हैं तथा भूमिगत पैट्रोलियम लाइनों के नोट भी अंकित किये जाने हैं। परन्तु शब्द सीमा कम निर्धारित होने के कारण नोट अंकित नहीं हो पा रहा हैं। अतः ई–धरती सॉफ्टवेयर में नोट अंकित करने हेतु शब्द सीमा बढाए जाने हेतु लिखा हैं।

इस संबध में पत्र की प्रति सलग्न कर सॉफ्टवेयर में वांछित प्रावधान करवाए जाने हेतु प्रेषित है।

निबंधक,
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

प्रतिलिपि :क्रमांकः सम/ 6271-73 दिनांक 10/12/2020

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग एवं नोडल अधिकारी DILRMP जयपुर ।
3. कलक्टर (भू0अ0) टोंक को प्रासंगिक पत्र के कम में प्रेषित है।

प्रभारी अधिकारी (DILRMP)
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांकःराम/DILRMP./प–126/2020/ 6216

दिनांकः– 10/12/2020

श्री अरूण माथुर
वरिष्ठ तकनीकी निदेशक,
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राजस्थान, राज्य ईकाई,
कमरा नम्बर 318, उत्तर पश्चिम खण्ड,
शासन सचिवालय, राजस्थान,

विषय :– नामान्तरकरण के प्रकार के संबंध में।
प्रसंगः– आपका पत्रांक 5905 दिनांक 16.09.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र से आपके द्वारा वर्तमान में ऑनलाईन तहसीलों में नामान्तरकरण ऑनलाईन दर्ज हो रहे है जिसकी सूची संलग्न कर भिजवाई है। जिसमें 22 प्रकार के नामान्तरकरण बताए गए है कम संख्या 15 पर जमीन आरक्षण तथा कम संख्या 21 पर गोदनामा है।

इस संबंध में जमीन आरक्षण तथा गोदनामें के संबंध में नामान्तरकरण दर्ज किए जाने हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, भू–राजस्व अधिनियम 1956 तथा भू0राजस्व (भू0अ0) नियम 1957 में कोई प्रावधान नहीं है। अतः जमीन आरक्षण तथा गोदनामा का यदि नामान्तरकरण दर्ज किया जा कर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाता है तो नियमों के विरूद्ध अविधिक रूप से right to Title दिया जाता है। जबकि जमीन आरक्षण के पश्चात यदि आवण्टन की कार्यवाही होती है तो आवण्टन के बाद भूमि आवण्टन पत्र के आधार पर नामान्तरकरण की कार्यवाही होनी चाहिए जिससे उसका अधिकार अभिलेख में अंकन किया जा कर right to Title दिया सके। जमीन आरक्षण किए जाने पर विवरण वाले कॉलम में नामान्तरकरण का नोट लगाया जाना ही उचित होगा। इसी प्रकार गोदनामा में नामान्तरकरण दर्ज किए जाने का कोई औचित्य नहीं है क्यों की पिता/माता की मृत्यु पश्चात जरिए रजिस्टर्ड गोदनामा विरासत के नामान्तरकरण से दत्तक पुत्र/पुत्री का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किया जा कर right to Title दिया जाता है। जमीन आरक्षण होने का यदि नामान्तरकरण दर्ज नहीं किया जाता हैं तो संबंधित अभिलेख में जमीन आरक्षण का नोट लगाया जाना उचित होगा। उक्तानुसार कार्यवाही करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

निबंधक
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर
दिनांक 10/12/2020

प्रतिलिपि क्रमांकः सम/6217–52.

1- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान जयपुर।
2- आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग एवं नोडल अधिकारी DILRMP जयपुर ।
3- संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4- जिला कलक्टर,समस्त।

प्रभारी अधिकारी (DILRMP)
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

E-Mail 77

राजस्थान सरकार

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांकःराम / DILRMP. / प–126 / 2020/ 6323 दिनांकः– 14-12-2020

श्री अरूण माथुर
वरिष्ठ तकनीकी निदेशक,
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राजस्थान, राज्य ईकाई,
कमरा नम्बर 318, उत्तर पश्चिम खण्ड,
शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।

विषय :– ई–धरती सॉफ्टवेयर में नवीन राजस्व ग्राम सृजन का विकल्प जोडने के क्रम में।

प्रसंग :– कलक्टर बून्दी(भू.अ.) के पत्रांक 4078 दिनांक 13.11.2020 तथा मण्डल का पत्रांक 3471 दिनांक 01.10.22020

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र से जिला कलक्टर द्वारा अवगत करवाया गया कि राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 25.02.2020 से जिले की तहसील इन्द्रगढ में राजस्व ग्राम बलवन से नवीन राजस्व ग्राम फदकपुरा सृजित हुआ हैं, जिसका रिकार्ड मूल राजस्व ग्राम से पृथक किया जाना हैं। डीआईएलआरएमपी अन्तर्गत तहसील इन्द्रगढ ऑनलाईन हो चुकी हैं, यहां का समस्त कार्य ई–धरती सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाईन ही संपादित किया जा रहा हैं। परन्तु ई–धरती सॉफ्टवेयर में नवीन ग्राम सृजन का विकल्प नहीं होने से ग्राम फदकपुरा का राजस्व रिकार्ड आदिनांक मूल राजस्व ग्राम से पृथक नही हो पाया हैं। अतः ई–धरती पर नवीन राजस्व ग्राम सृजन का विकल्प उपलब्ध करवाने हेतु लिखा हैं।

उक्त के क्रम में मण्डल का पत्रांक 3471 दिनांक 01.10.22020 से आपको ई–धरती (सॉफ्टवेयर) में नवीन राजस्व ग्राम बनाये जाने हेतु पूर्व में भी निर्देशित किया जा चुका हैं। अतः जिला कलक्टर बून्दी के पत्र की प्रति सलंग्न कर ई–धरती सॉफ्टवेयर में नवीन राजस्व ग्राम बनाये जाने संबंधी प्रावधान उपलब्ध करा मण्डल को अवगत करावे जिससे सम्पूर्ण राज्य में कार्यवाही प्रारम्भ की जा सके।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

निबंधक,
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर
दिनांक 14-12-2020

प्रतिलिपि :क्रमांकः सम/ 6224-25

1. आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग एवं नोडल अधिकारी DILRMP जयपुर ।
2. कार्यालय जिला कलक्टर (भू0अ0) बून्दी, एनआईसी, जयपुर से समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही कर मण्डल को अवगत करावें।

प्रभारी अधिकारी (DILRMP)
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांकःराम / BoR/LR. / जी–3 / प–120 / 2017/ 237 – 69 दिनांकः– 07/01/2021

जिला कलक्टर,
समस्त।

विषयः– DILRMP के तहत तहसीलों को ऑनलाईन करवाए जाने के कम में एक ही ग्राम की दो जमाबन्दियों के संबंध में।

प्रसंगः– कलक्टर (भू.अ.) टोंक का पत्रांक 5766 दिनांक 26.10.2020 तथा 6600 दिनांक 28.12.2020, कलक्टर बांसवाडा का पत्रांक 4270–273 दिनांक 12.10.2020, अजमेर का पत्रांक 18–20 दिनांक 13.07.2020

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों से ऐसे राजस्व ग्राम जिनमें दो जमाबन्दियां/पटवार हलके/पटवारी है, को ऑनलाईन करवाए जाने के सबंध में मार्गदर्शन चाहा गया है। इस संबंध में निर्देशित किया जाता है किः–

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 113 के अनुसार – " पटवारी प्रत्येक गांव या उसमें सम्मिलित गांव के भाग के लिए अधिकार अभिलेख तैयार करेगा। "

राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम 1957 के नियम 64 (8) के अनुसार :– " संयुक्त ग्राम में दो या दो से अधिक ग्राम होते है, जिनकी भूमि ऐसे मिली हुई होती है कि जिससे समस्त क्षेत्र को एक ही हदबस्त में शामिल करना होता है, फिर भी प्रत्येक ग्राम की भूमियां अलग ग्राम की रचना करती है। ऐसे ग्रामों के लिए एक से अधिक पटवारी होना संभव है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक पटवारी के पास समस्त हदबस्त क्षेत्र की एक नकल रहनी चाहिए, परन्तु उसे चाहिए कि वह केवल उसके ग्राम के खेतों के बारे में ही खसरा तैयार करे। खेवट खसरा इत्यादि उस एक ग्राम की भूमियों तक ही सीमित रहना चाहिए। "

राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम 1957 के नियम के अध्याय –3 " कलक्टर के कर्तव्य " के नियम 429 के अनुसार :– प्रशासनिक कारणों के आधार पर पटवारियों की संख्या तथा पटवार मण्डल की सीमाओं में परिवर्तन प्रस्तावित किया जा सकता है।"

उपरोक्तानुसार भू–राजस्व अधिनियम 1956 तथा राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम 1957 के प्रावधानों के अनुसरण में तथा वर्तमान में व्यवहारिक रूप से किए जा रहे कार्य को दृष्टिगत रखते हुए एक राजस्व ग्राम के जिनमें दो पटवार मण्डल है उनमें अलग–अलग जमाबन्दियां (Aतथा B के रूप में) संधारित किया जाना उचित रहेगा जिनमें पटवार मण्डल पृथक –पृथक होगें। पटवारी अपने–अपने अधिकार क्षेत्रानुसार कार्य करेगा।

अतः उक्तानुसार वर्तमान में प्रचलित जमाबन्दियों के अनुसार ही वन–टू–वन का कार्य करवाया जा कर ऑनलाईन करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

भवदीय

निबंधक,
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

क्रमांकः सम/ 270-72 दिनांक 07/01/2021

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महोदय राजस्व विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. आयुक्त महोदय, भू–प्रबंध विभाग एवं नोडल अधिकारी DILRMP , राजस्थान, जयपुर।
3. श्री अरूण माथुर, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र,राजस्थान राज्य ईकाई, कमरा नं0 318,उत्तर पश्चिम खण्ड,शासन सचिवालय, जयपुर।

उप–निबन्धक(भू0अ0)
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

E-Mail
79

राजस्थान सरकार

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांकःराम / DILRMP. / प–126 / 2020/ 6051 दिनांकः– 01-12-2020

जिला कलक्टर ,
भरतपुर।

विषय :– डीआईएलआरएमपी योजनान्तर्गत जिले की तहसील कामां को ऑनलाईन किये जाने हेतु तीन गांवों के नक्शों के संदर्भ में मार्गदर्शन बाबत्।

प्रसंग :– आपका पत्रांक 7180 दिनांक 29.10.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र से आपके द्वारा अवगत कराया है कि तीन गांव का सेग्रीगेशन व मेप डिजिटाईजेशन का कार्य गत रिकार्ड के अनुसार पूर्ण किया गया हैं। नवीन नक्शें मैट्रिक प्रणाली व पैमाना 1 से0मी0 बराबर 40 मीटर हैं। तीन गांव के गत नक्शे का पैमाना 1 ईंच बराबर 40 गटठा हैं। इस प्रकार तहसील के समस्त गांव के पैमाना की ईकाई में एकरूपता नही हैं। तहसील को ऑनलाईन किये जाने से पूर्व तीन गांवों के नक्शों को ऑनलाईन किये जाने हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई जानी हैं, के संबंध में मार्गदर्शन चाहा हैं।

इस संबंध में तीन ग्रामों गढी झीलपट्टी, बासौली व खोहरा के गत नक्शे जिनका पैमाना 1 ईंच बराबर 40 गटठा हैं, डिजिटाइजेशन किए जाने हेतु तथा डिजिटाइजेशन के पश्चात् नक्शों का पैमाना मैट्रिक प्रणाली 1 से0मी0 बराबर 40 मीटर में करवाया जा कर ऑनलाईन करवाया जाना सुनिश्चित करावें। डिजिटाइजेशन ऑफ कैडस्ट्रल मैप कार्य में आरएफपी के अनुसार सभी ग्रामों का फाइनल आउटपुट 1:4000 (मैट्रिक प्रणाली) में दिए जाने का प्रावधान है।

संलग्नः– आरएफपी का पृष्ठ संख्या 42

भवदीय,

निबंधक,
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

प्रतिलिपि :क्रमांकः सम/ 6052-53 दिनांक 01-12-2020

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग एवं नोडल अधिकारी DILRMP जयपुर।

प्रभारी अधिकारी (DILRMP)
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

19. Tenancy Type
20. Legend,

12. Note:

(a)
- **i.** First printout of scanned map on 90 GSM for checking of source map Scale with matadata report of raster image.
- **ii.** The final scanned map printout is to be approved by the revenue officers/staff and thereafter service provider shall provide final scanned map printouts on 100 Micron polyester matt films. Print of overlay of colour vector data *on* raster image is to be submitted for QC-II.
- **iii.** If any error/mismatch is found in first printout another printouts shall be provided after correction.
- **iv.** Service Provider shall provide '...n' number of printouts till final corrections

(b) Digitized maps (Mother-maps) of every village along with symbol library on point/ Line/ Polygon layer on CD/DVD media as .tiff ,.tfw, .gif, .shp, .prj, .xyz file and .pdf file. However, additional file formats (i.g..dwg,.dgn .dxf etc) may be mentioned in the design document.

(c) Digitized maps (Mother-maps updated to current stage) features (point,line,area) on CD/DVD media as three mandatory Esri format (.shp,.shx, .dbf, .prj file for III of soft data for builtup topology.

(d) Feature geometry store in Data base of digitized maps as .dbf database file.

(e) The printouts to be given in the required manner on appropriat scale in the following manner:

i. Final digital map for signed approved print on scale 1:4000 in WGS 84 datum over layed by grid difference in 100 meter. Grid coordinate label display in print media.
ii. One copy of hard copy in saved .pdf format and Digital map copy of spatial and texual data in .XYZ format will be saved.

- First printout of final scanned map on **100 Micron polyester matt film**. Second printout of draft digitized map (Service Provider may have to provide more printouts till final corrections), Third printout of final digitized map in Four copies on 100 **Micron polyester matt film.**

Note:

i. Service provider shall provide copy of the digitized check print on 90 GSM Paper alongwith final scan map printout on 100 Micron polyester matt film.

ii. In case of more than 10 errors in digitized check printouts, service provider shall providemore number of prints till final corrections are made.

iii. The check printout map has to be approved by the revenue officers/staff. and the

494 ई-मेल 81

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांकःराम/भू.अ./G-3/प-120/2017/9989 दिनांकः– 01/12/2020

ए.सी.पी.(उपनिदेशक),
RajComp Info Services Ltd.
जयपुर।

विषय :– ऑनलाईन जारी की जाने वाली डिजिटल हस्ताक्षरित प्रतिलिपि (खसरा गिरदावरी) की फीस के संबंध में।

प्रसंग :– आपका पत्र क्रमांक F4.9(255)/RISL/TECH/MISC/2015/20290006 दिनांक 16.10.2020 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रसांगिक पत्र के क्रम में लेख है कि DILRMP योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार के निर्देशानुसार भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा खसरा गिरदावरी ऑनलाईन करवाई जाकर डिजिटल रूप में संधारित की जा रही है। खसरा गिरदावरी के प्रपत्र पी–13 की डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाणित प्रतिलिपि जारी किये जाने हेतु भू–राजस्व (भू.अ.) नियमों में निर्धारित फीस राजस्व मद 0029–00–800–12–00 अन्य मद प्रतिलिपि शुल्क जमा कराये जाने बाबत् सूचना प्रोद्योगिकी विभाग को मण्डल के पत्र क्रमांक 8553 दिनाक 09.10.2020 से लिखा गया था। जिसके क्रम में आप द्वारा अवगत कराया है कि उक्त सेवा के बदले प्राप्त राजस्व राशि का हस्तान्तरण जिलेवार किया जाना है जिसके के क्रम में निवेदन किया गया है कि वर्तमान में राजस्व विभाग की डिजिटल साईन जमाबन्दी की सेवा भी प्रदान की जारी है जिसमें प्राप्त राजस्व राशि के एक ही ऑफिस में भेजी जा रही है। इसी प्रकार उक्त सेवा खसरा गिरदावरी के प्रपत्र पी–13 की डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाणित प्रतिलिपि की प्राप्त राजस्व राशि को भी एक ही ऑफिस में भेजा जाना संभव होगा। इस संबंध में आप द्वारा बजट हेड (0029–00–800–12–00 अन्य मद) से संबंधित किसी एक ऑफिस का वितरण उपलब्ध कराये जाने हेतु मण्डल को लिखा गया था।

इस संबंध में निवेदन है कि उक्त प्रकरण के क्रम में सम्पूर्ण राज्य की ऑनलाईन जारी जमाबन्दी की राशि प्रतिमाह मद (0029–00–800–12–00 अन्य मद) से तथा कार्यालय (कार्यालय–956–Board of Revenue for Rajasthan, ajmer) में आप द्वारा (राजकाम्प ईन्फो. सर्विस लि.) राशि जमा कराई जा रही है। अतः खसरा गिरदावरी की प्राप्त राशि भी उक्त मद (0029–00–800–12–00 अन्य मद) तथा प्रतिलिपि शुल्क (कार्यालय–956–Board of Revenue for Rajasthan, ajmer) में जमा करवाये जाने की व्यवस्था करावें।

संलग्नः–संदर्भ हेतु माह नम्बर 20 में जमा
राशि का चालान की प्रति संलग्न है।

निबंधक,
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर

:क्रमांकः राम/सम/9990 – 91 दिनांक 01/12/2020

प्रतिलिपिः–

ई-मेल

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग एवं नोड़ल अधिकारी DILRMP, राजस्थान, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।,

उप निबन्धक(भू.अ.)
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर

82

80	44392296	4541144	04/11/2020	17274-Ajmer Tehsildar Bhinai	Adv Raju Lal Jat	20.00
81	44392346	4541171	04/11/2020	31081-Ajmer Tehsildar Arain	Gujbkiyi	10.00
82	44392668	4541359	04/11/2020	17274-Ajmer Tehsildar Bhinai	Adv Raju Lal Jat	20.00
83	44392800	4541435	04/11/2020	17274-Ajmer Tehsildar Bhinai	Re	20.00
84	44393201	4541650	04/11/2020	31081-Ajmer Tehsildar Arain	Siyaram	10.00
85	44394105	4542104	04/11/2020	31081-Ajmer Tehsildar Arain	Gujbkiyi	10.00
86	44401396	4545990	04/11/2020	13283-Ajmer Tehsildar Nasirabad	Ramdev Gurjar	20.00
	04/11/2020				Date Wise Total :	5,383.00
87	44243954	4578782	05/11/2020	31081-Ajmer Tehsildar Arain	vishram jat patwari	2,090.00
88	44244152	4578783	05/11/2020	31081-Ajmer Tehsildar Arain	vishram jat patwari	1,365.00
89	44399514	4580311	05/11/2020	4157-Ajmer Tehsildar Pisangan	RAMNIWAS BAJYA PATWARI	8,350.00
90	44402576	4561041	05/11/2020	13283-Ajmer Tehsildar Nasirabad	Raju	10.00
91	44402800	4561134	05/11/2020	13283-Ajmer Tehsildar Nasirabad	Gabru Kumar	10.00
92	44404366	4561878	05/11/2020	17274-Ajmer Tehsildar Bhinai	Basanti Lal Sharma	10.00
93	44404424	4561902	05/11/2020	17274-Ajmer Tehsildar Bhinai	Basanti Lal Sharma	10.00
94	44409265	4559620	05/11/2020	4157-Ajmer Tehsildar Pisangan	Dinu	10.00
95	44413081	4565788	05/11/2020	31081-Ajmer Tehsildar Arain	Shrawan	20.00
96	44415117	4566815	05/11/2020	31081-Ajmer Tehsildar Arain	Gujbkiyi	20.00
97	44415531	4567014	05/11/2020	31081-Ajmer Tehsildar Arain	Gujbkiyi	20.00
98	44425848	4560404	05/11/2020	28156-Ajmer Tehsildar Rupangarh Ajmer	Asfdzsf	20.00
99	44426894	4572821	05/11/2020	31081-Ajmer Tehsildar Arain	A	20.00
100	44429973	4574424	[redacted]	[redacted]	RajOnline RISL	[redacted]
101	44430033	4574459	[redacted]	[redacted]	RajOnline RISL	[redacted]
102	44430538	4574713	05/11/2020	15251-Ajmer Tehsildar Kekri	Dg	20.00
103	44437882	4577521	05/11/2020	28155-Ajmer Tehsildar Pushkar Ajmer	Fff	10.00
104	44438002	4577578	05/11/2020	28155-Ajmer Tehsildar Pushkar Ajmer	Fff	10.00
	05/11/2020				Date Wise Total :	989,200.00
105	44423685	4608816	06/11/2020	28156-Ajmer Tehsildar Rupangarh Ajmer	Rajesh Bajiya	1,150.00
106	44451776	4596011	06/11/2020	15251-Ajmer Tehsildar Kekri	Modu	10.00
107	44453267	4596736	06/11/2020	28156-Ajmer Tehsildar Rupangarh Ajmer	Sdfs	30.00
108	44457400	4598780	06/11/2020	28155-Ajmer Tehsildar Pushkar Ajmer	Gyani	20.00
109	44461550	4600781	06/11/2020	31081-Ajmer Tehsildar Arain	Gordhan	10.00
	06/11/2020				Date Wise Total :	1,220.00
					Grand Total :	1,017,813.00

Cash Amount
1,017,813.00
1,017,813.00

Summary	
Treasury :	E-Treasury
Month :	November 2020
No Of Challan :	109
Cash Amount:	1,017,813.00

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांकःराम / DILRMP. / प–126 / 2020/ 5072 दिनांकः– 20-11-2020

कलक्टर (भू0अ0)
अलवर।

विषय :– ऑनलाईन तहसील अलवर में नामा. दर्ज करते समय कस्टोडियन गैर खातेंदारी खाते नही खुलने के क्रम में।

प्रसंग :– कार्यालय जिला कलक्टर (भू.अ.) अलवर का पत्रांक 13682 दिनांक 05.11.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके द्वारा प्रासंगिक पत्र से अवगत करवाया गया कि जिले की समस्त ऑनलाईन तहसीलों में कस्टोडियन गैर खातेदारी से खातेदारी दिये जाने संबंधित प्रकरण हैं। ऑनलाईन तहसील में कस्टोडियन गैर खातेदार से खातेदारी प्रकरणों में एक ही खाते में हिस्सा अनुसार खातेदार एवं गैर खातेदार दर्ज होने से ऐसे खातों में कोई भी ऑनलाईन नामान्तरकरण दर्ज नही हो पाता हैं। इस कारण खातेदार दर्ज रिकार्ड काश्तकार अपनी भूमि का लाभ नही उठा पा रहा हैं। ऑनलाईन तहसीलों में इस प्रकार की समस्याओं का समाधान हेतु मार्गदर्शन चाहा गया हैं।

राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम 1957 के नियम 164 के प्रावधानों के अनुसार जमाबन्दी में जोतो का कम उल्लेखित है जिसके अनुसार खातेदार तथा गैर खातेदार पृथक–पृथक होने चाहिए। इसके साथ ही मण्डल द्वारा कस्टोडियन भूमियों के संबंध में पत्रांक 977 दिनांक 18.05.2018 से पूर्व में ही निर्देश प्रदत्त है अतः राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम 1957 के नियम 164 के प्रावधानों के अनुसार तथा मण्डल द्वारा पूर्व प्रदत्त निर्देशानुसार कार्यवाही की जा कर खातेदार एवं गैर खातेदार का नियमानुसार जिम्मन संधारित किया जाना सुनिश्चित करावें।

निबंधक
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर
दिनांक 20-11-2020

प्रतिलिपिः क्रमांकः सम/ 5073-74

1. भू–प्रबन्ध आयुक्त एवं नोडल अधिकारी DILRMP, भू–प्रबन्ध विभाग, जयपुर।
2. श्री अरूण माथुर, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राजस्थान, राज्य ईकाई, कमरा नम्बर 318, उत्तर पश्चिम खण्ड, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर को सॉफ्टवेयर में वांछित प्रावधान करवाए जाने हेतु प्रेषित है।

प्रभारी अधिकारी (DILRMP)
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

की खतौनी एकत्रित काश्तकारों व
नाई जानी चाहिए;

नी की इन्द्राज का मिलान जमाबन्दी
ा चाहिए;

वरी के आखिरी और रबी गिरदावरी
ा के लिए रेवेन्यू अफसर को अपने
जो कि तहसील में रखी गयी है व
तेयों की सूची में और उन परिवर्तनों
र्टि में बताया जाना चाहिए कि कौनसी
व्यक्तिगत जाँच-पड़ताल द्वारा सत्यापन
अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित रिपोर्ट की
ो संलग्न की जानी चाहिए। कोई भी
ी दोनों नकलों में किये जाने चाहिए
ो चाहिए, जिसके आदेशों के अन्तर्गत
रेवेन्यू अफसर को, आखिरी सत्यापन
चाहिए और प्रत्येक जमाबन्दी के साथ

द्वारा जाँच—उपखण्ड अधिकारी को,
ट करना चाहिए, जो कि अन्ततः जिसे
ाविधि हस्ताक्षरित करके जमाबन्दी की
न्तर्गत जमाबन्दी की दोनों नकलों पर
ऐसे अधिकारी द्वारा किये गये जमाबन्दी
किया जायेगा न कि उसके द्वारा परीक्षित

जून के पश्चात् अपील, नजरसानी या
ारा एक लाल स्याही में टिप्पणी लिखी
ऑफिस कानूनगो द्वारा यदि जमाबन्दियाँ
वारी की नामान्तरण नकल पर लिखेगा।
ुरी रूप से दिये गये आदेश के अनुसार
रण करने की आज्ञा दी जानी चाहिए व
नयी जमाबन्दी तैयार की जाये। इस हेतु

—सभी जमाबन्दियाँ कलक्टर के कार्यालय
श्चात् रबी में गिरदावरी समाप्त होती है,
क सभी निर्देशों का पालन किया गया है।
लौटा देना चाहिए।

011 द्वारा प्रतिस्थापित एवं जोड़ा गया। राज. राजपत्र
012 द्वारा विलोपित।

नियम 162. तथा 163. [विलोपित] दिनांक 12-2-1980

नियम 164. जोतों का क्रम स्थापन—जमाबन्दी में जोतों का क्रम स्थापन निम्नांकित होगा—

(क) सरकारी भूमि—

(1) काश्त के लिए उपलब्ध भूमि—

(क) चालू परती या एक साल से परती;

(ख) 2 से 5 साल की परती;

(ग) छः साल या अधिक की परती;

(घ) उपवन और फलोद्यान;

(2) भूमि जो काश्त के लिए उपलब्ध न हो—

(क) केवल चराई के प्रयोजनों के योग्य भूमि—

(1) झाड़ी वाले वन;

(2) खादर (पहाड़ी खड्डे);

(3) पहाड़ियाँ एवं पर्वत;

(4) नदियाँ एवं नाले;

(5) जलमग्न;

(ख) चाराई के प्रयोजनों के अयोग्य भूमि—

(1) निवास या बस्तियाँ;

(2) श्मशान घाट;

(3) कब्रिस्तान;

(4) परेड मैदान;

(5) पगडंडियाँ और रास्ते;

(ख) खातेदार काश्तकार—

(1) पूर्ण या रियायती दरों पर लगान देने वाले काश्तकार;

(2) स्थायी रूप से निश्चित लगान देने वाले काश्तकार;

(3) काश्तकार, जो रियायती दरों पर लगान देते हैं;

(4) देवताओं से सम्बन्धित जोत;

(ग) गैर-खातेदार काश्तकार;

(घ) चारागाह या अन्य सामान्य उद्देश्यों के लिए ग्राम समुदाय धारित शामलात भूमि या अकाश्त भूमि;

(ङ) सरकारी विभागों या लोक संस्थाओं द्वारा धारित भूमियाँ—

(1) सरकारी वन;

(2) कृषि विभाग के अधीन फार्म;

(3) सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन सरकारी उद्यान;

(4) सड़कें;

(5) अन्य सरकारी विभागों या लोक संस्थाओं द्वारा धारित भूमियाँ;

(6) रेल विभाग के अधीन भूमियाँ।

434/DILRMP

E-Mail
85

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांकःराम/भू.अ./NLRMP/ F-126/2017/977 दिनांकः- 18-05-18

जिला कलक्टर,
अजमेर

विषय :- ई-धरती सॉफ्टवेयर के न्यू जिम्मन की समस्या के संबंध में।
प्रसंगः- कलक्टर (भू0अ0), अजमेर का पत्रांक 4018 दिनांक 10.05.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र से आपके द्वारा तहसील ब्यावर के संबंध में अवगत कराया गया है कि ब्यावर तहसील की जमाबन्दियों में निम्नांकित जिम्मन दर्ज है, लेकिन ई-धरती सॉफ्टवेयर में उक्त जिम्मन दर्ज करने का प्रावधान नहीं होने से जिम्मन कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है। अतः ई-धरती सॉफ्टवेयर में निम्नांकित जिम्मन का प्रावधान कराने हेतु लिखा गया है, इस संबंध में सॉफ्टवेयर में पूर्व प्रावधित जिम्मन में निम्नानुसार कार्यवाही करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

क्र. सं.	किस्म विवरण	जिम्मन का प्रकार	सॉफ्टवेयर में पूर्व प्रावधित जिम्मन
1	आरक्षित भूमियां	आरक्षित भूमियां	सॉफ्टवेयर में सरकारी भूमियों के जिम्मन में उक्त प्रकार की भूमियों को दर्ज करते हुए विशेष विवरण के कॉलम में जिस प्रयोजन से भूमि आरक्षित की गई है दर्ज किया जावे।
2	कस्टोडियन भूमियां	कस्टोडियन भूमियां	सॉफ्टवेयर में सरकारी भूमियों के जिम्मन में उक्त प्रकार की भूमियों को दर्ज करते हुए विशेष विवरण के कॉलम में कस्टोडियन भूमि दर्ज किया जावे।
3	शाश्वत गैर खातेदार	शाश्वत गैर खातेदार	सॉफ्टवेयर में गैर खातेदार के जिम्मन दर्ज करते हुए विशेष विवरण के कॉलम में शाश्वत गैर खातेदार दर्ज किया जावे।

निबंधक,
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

कमांकः सम/ 978-79 दिनांक 18-05-18

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग एवं नोड़ल अधिकारी DILRMP, राजस्थान, जयपुर।
2. कलक्टर (भू0अ0,) समस्त।

प्रभारी अधिकारी DILRMP,
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांकःराम / DILRMP. / प–126 / 2020/ 3979 दिनांकः– 09-11-2020

श्री अरूण माथुर
वरिष्ठ तकनीकी निदेशक,
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राजस्थान, राज्य ईकाई,
कमरा नम्बर 318, उत्तर पश्चिम खण्ड,
शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।

विषय :– ई–धरती सॉफ्टवेयर में स्टे के खाते में शेष स्टे रहित खसरो पर नामान्तरकरण नही खुलने के संबंध में।

प्रसंग :– मण्डल का पत्रांक 3257 दिनांक 25.09.2020 तथा कलक्टर (भू0अ0) जयपुर का पत्रांक 11856 दिनांक 06.11.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र से जिला कलक्टर द्वारा अवगत करवाया गया कि ई–धरती सॉफ्टवेयर में खाते में एकल काश्तकार होने की स्थिति में स्टे लगे हुए खाते में शेष खसरा नम्बर जो स्टे रहित होते हैं उनमें नामान्तरकरण भरते समय ई–धरती सॉफ्टवेयर में शेष खसरों को सलेक्ट करने पर उसके बाद काश्तकार को सलेक्ट करने पर "इस काश्तकार पर स्टे लगा हुआ हैं" का एरर शो हो रहा हैं, जिससे नामान्तकरण की प्रक्रिया पूर्ण नही हो पाती हैं। इस प्रकार की नामान्तरकरण एप्लीकेशन का निस्तारण नही हो पाता है। अतः ई–धरती सॉफ्टवेयर में उक्त समस्या का समाधान करवाने हेतु निवेदन किया हैं।

उक्त के क्रम में मण्डल के पत्रांक 3257 दिनांक 25.09.2020 से आपको माननीय न्यायालय के निर्णय के अनुसार ही स्थगन की पालना किए जाने हेतु सॉफ्टवेयर में प्रावधान करवाये जाने हेतु लिखा जा चुका हैं। जिसके अनुसार एक से अधिक खातेदार व खसरे है उनमें 1. हिस्सों के अनुसार स्थगन 2. खसरों के अनुसार स्थगन सम्भव है। हिस्सों के अनुसार i. किसी एक काश्तकार के हिस्से पर स्थगन ii.. एक से अधिक काश्तकार के हिस्से पर स्थगन iii समस्त काश्तकार के हिस्से पर स्थगन

2. खसरों के अनुसार स्थगन में i. किसी एक काश्तकार के एक ही खसरे पर स्थगन ii किसी एक काश्तकार के सम्पूर्ण खसरों पर स्थगन iii.. एक से अधिक काश्तकार के एक ही खसरे पर स्थगन iv. एक से अधिक काश्तकार के सम्पूर्ण खसरों पर स्थगन v. समस्त काश्तकार के एक ही खसरे पर स्थगन vi. समस्त काश्तकार के समस्त खसरों पर स्थगन सम्भव हो सकता है। उपरोक्त परिस्थिति के अतिरिक्त भी अन्य परिस्थिति जो न्यायालय निर्णय के अनुसार हो सकती है, सॉफ्टवेयर में प्रावधान करवाए जाने हेतु लिखा हैं।

उपरोक्तानुसार आपके द्वारा वर्तमान में सॉफ्टवेयर में प्रावधान नहीं करवाए गए है। अतः निर्देशानुसार सॉफ्टवेयर में वांछित प्रावधान करवा कर मण्डल को अवगत करावें।

निबंधक,
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

प्रतिलिपि :क्रमांकः सम/ 3980-82 दिनांक 09-11-2020

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग एवं नोडल अधिकारी DILRMP जयपुर ।
3. जिला कलक्टर, जयपुर को प्रासंगिक कम में एनआईसी, जयपुर से समन्वय कर वांछित प्रावधान करवाए जाने हेतु पाबन्द करवाए जाने बाबत् प्रेषित है।

प्रभारी अधिकारी (DILRMP)
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांकःराम/DILRMP./प–126/2020/ 4027 दिनांकः–27-10-2020

श्री अरूण माथुर
वरिष्ठ तकनीकी निदेशक,
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राजस्थान, राज्य ईकाई,
कमरा नम्बर 318, उत्तर पश्चिम खण्ड,
शासन सचिवालय, राजस्थान,

विषय :–राजस्थान संरकार की अधिसूचना क्रमांक प.9(3) राज–1/2005 दिनांक 16.06.2016 की अनुपालना बाबत्।
प्रसंगः– सरपंच ग्राम पंचायत, श्यामगढ़ पं.स. मसूदा(अजमेर) के पत्र दिनांक 28.09.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र से अवगत करवाया गया कि अजमेर जिले की तहसील मसूदा के ग्राम हिम्मतारूपारेल के स्थान पर परिवर्तित नाम श्यामगढ़ कलां किया जाने की अधिसूचना राजस्व (ग्रुप–1) विभाग के क्रमांक प.9(3) राज–1/2005 दिनांक 16.06.2016 से जारी की गई। उक्त अधिसूचना की अनुपालना कर अभी तक राजस्व ग्राम के नाम परिवर्तन से प्रभावित अभिलेखों के संधारण/नक्शे/अभिलेखों के परिशोधन का कार्य निष्पादित नही किया गया हैं। उक्त अधिसूचना की अनुपालना कराने हेतु राजस्व अभिलेखों में परिवर्तित नाम श्यामगढ़ कलां दर्ज करवाने हेतु निवेदन किया हैं।

उक्त के क्रम में मण्डल के पत्रांक 2849 दिनांक 27.08.2020 से आपको ई–धरती सॉफ्टवेयर में राजस्व ईकाईयों(राजस्व ग्राम/पटवार हल्का/भू.अ. निरीक्षक वृत/उपतहसील/तहसील) के नामों में परिवर्तन/संशोधन कलेक्टर भू–अभिलेख के स्तर से करने हेतु प्रावधान करवाये जाने हेतु निर्देशित किया जा चुका हैं। अतः पत्र की प्रति संलग्न कर ई–धरती सॉफ्टवेयर में राजस्व ईकाईयों नामों में परिवर्तन/संशोधन हेतु प्रावधान करवाये जाने हेतु प्रेषित हैं। साथ ही पालना रिपोर्ट से मण्डल को अवगत करावें।
संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

निबंधक,
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर
दिनांक 27-10-2020

प्रतिलिपि :क्रमांकः सम/ 4028-30
1- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान जयपुर।
2- आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग एवं नोडल अधिकारी DILRMP जयपुर ।
3- सरपंच, ग्राम पंचायत श्यामगढ़, पं. स. मसूदा, अजमेर।

प्रभारी अधिकारी (DILRMP)

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांकःराम/DILRMP./प–126/2020/ 2849 दिनांकः– 27-08-2020

श्री अरूण माथुर
वरिष्ठ तकनीकी निदेशक,
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राजस्थान, राज्य ईकाई,
कमरा नम्बर 318, उत्तर पश्चिम खण्ड,
शासन सचिवालय, राजस्थान,

विषयः– राजस्व ईकाईयों के नाम परिवर्तन का सॉफ्टवेयर में प्रावधान किये जाने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के द्वारा समय–समय पर राजस्व ईकाईयों के नाम परिवर्तन की अधिसूचना जारी की जाती हैं। जिसके क्रम में राजस्व(ग्रुप–1)विभाग की अधिसूचना 07.08.2019 संलग्न हैं, जिसके अन्तर्गत अजमेर जिले की तहसील किशनगढ़ के राजस्व ग्राम का नाम परिवर्तित कर श्रीनिम्बार्क तीर्थ किया गया हैं। अधिसूचना के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में नाम परिवर्तन करवाया जाना हैं।

उक्त के क्रम में ई–धरती सॉफ्टवेयर में राजस्व ईकाईयों(राजस्व ग्राम/पटवार हल्का/भू.अ. निरीक्षक वृत/उपतहसील/तहसील), के नामों में परिवर्तन/संशोधन कलेक्टर भू–अभिलेख के स्तर से करने हेतु प्रावधान किया जाना सुनिश्चित करावें।

निबंधक,
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

प्रतिलिपि :क्रमांकः सम/ 2850-85 दिनांक 27-08-2020

1- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान जयपुर।
2- आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग एवं नोडल अधिकारी DILRMP जयपुर ।
3- जिला कलक्टर, समस्त।

प्रभारी अधिकारी (DILRMP)
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांकःराम / DILRMP. / प–126 / 2020/ 3257 दिनांकः– 25-09-2020

श्री अरूण माथुर
वरिष्ठ तकनीकी निदेशक,
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राजस्थान, राज्य ईकाई,
कमरा नम्बर 318, उत्तर पश्चिम खण्ड,
शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।

विषयः– न्यायालय के स्थगन आदेश से प्रभावित संयुक्त खातों में आ रही समस्या का समाधान करवाने बाबत्।
प्रसंगः– जिला कलक्टर (भू.अ.) हनुमानगढ़ के पत्रांक 5460 दिनांक 26.08.2020 आपका ई–मेल दिनांक 04.09.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत जिला कलक्टर (भू.अ.) हनुमानगढ़ के प्रासंगिक पत्र से अवगत करवाया गया कि संयुक्त खातों में न्यायालय के ऐसे स्थगन आदेश, जिनमें किसी एक हिस्सेदार का हिस्सा ही प्रभावित होता हैं, को प्रभावी करते समय ऐसे संयुक्त खाते के समस्त खसरा / किला का चयन किया जाकर स्थगन आदेश का अमल किया जाता हैं। ऐसे संयुक्त खाते में किसी अन्य खातेदार, जिसका हिस्सा स्थगन आदेश से प्रभावित नही हैं, के हिस्सा में किसी प्रकार का परिवर्तन करने हेतु नामान्तरकरण दर्ज करने पर उक्त स्थगनादेश के कारण "स्थगन आदेश" की एरर आती हैं। ऐसे संयुक्त खातों में किसी एक खातेदार का हिस्सा स्थगन से प्रभावित होने पर अन्य खातेदारों का हिस्सा भी अनावश्यक रूप से प्रभावित होता हैं और काश्तकारों को अनावश्यक परेशानी होती हैं। अतः उक्त समस्या के समाधान हेतु निवेदन किया हैं ताकि काश्तकारन को अनावश्यक परेशानी का सामना नही करना पडे। साथ ही प्रासंगिक ई–मेल द्वारा ई–धरती सॉफ्टवेयर में खाते में जिनमें एक से अधिक खातेदार है काश्तकार, खसरा या खाता ब्लॉक कर दिया जाता है परन्तु किसी एक खातेदार के हिस्से पर स्थगन होने या न होने पर हिस्सानुसार नोट लगाने की सॉफ्टवेयर में व्यवस्था करने बाबत् मार्गदर्शन चाहा गया है।

इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि माननीय न्यायालय के निर्णय के अनुसार ही स्थगन की पालना किए जाने हेतु सॉफ्टवेयर में प्रावधान करवाया जाना उचित होगा। एक खाता जिसमें एक से अधिक खातेदार व खसरे है उनमें 1. हिस्सों के अनुसार स्थगन 2. खसरों के अनुसार स्थगन सम्भव है। हिस्सों के अनुसार i. किसी एक काश्तकार के हिस्से पर स्थगन ii.. एक से अधिक काश्तकार के हिस्से पर स्थगन iii समस्त काश्तकार के हिस्से पर स्थगन

2. खसरों के अनुसार स्थगन में i. किसी एक काश्तकार के एक ही खसरे पर स्थगन ii किसी एक काश्तकार के सम्पूर्ण खसरों पर स्थगन iii.. एक से अधिक काश्तकार के एक ही खसरे पर स्थगन iv. एक से अधिक काश्तकार के सम्पूर्ण खसरों पर स्थगन v. समस्त काश्तकार के एक ही खसरे पर स्थगन vi. समस्त काश्तकार के समस्त खसरों पर स्थगन सम्भव हो सकता है। उपरोक्त परिस्थिति के अतिरिक्त भी अन्य परिस्थिति जो न्यायालय निर्णय के अनुसार हो सकती है, सॉफ्टवेयर में प्रावधान करवाया जाना सुनिश्चित करावें। साथ ही स्थगन के नोट को विशेष विवरण वाले कॉलम में भी उक्तानुसार प्रदर्शित होने का सॉफ्टवेयर में प्रावधान करवाया जाना सुनिश्चित करावे।

निबंधक,
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

प्रतिलिपि :क्रमांकः सम/ 3258–93 दिनांक 25-09-2020

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग एवं नोडल अधिकारी DILRMP जयपुर ।
3. जिला कलक्टर, समस्त।

प्रभारी अधिकारी (DILRMP)
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

90

राजस्थान सरकार

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांकःराम / DILRMP. / प–126 / 2020/ 3685 दिनांकः– 06-10-2020

श्री अरूण माथुर
वरिष्ठ तकनीकी निदेशक,
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राजस्थान, राज्य ईकाई,
कमरा नम्बर 318, उत्तर पश्चिम खण्ड, शासन सचिवालय, राजस्थान,

विषय :– ई–धरती सॉफ्टवेयर में लीज के नामान्तरकरण भरने में आ रही कठिनाई के संबंध में।
प्रसंग :– कार्यालय जिला कलक्टर (भू.अ.) जैसलमेर, के पत्रांक 1772 दिनांक 18.09.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत कार्यालय जिला कलक्टर (भू.अ.) जैसलमेर द्वारा प्रासंगिक पत्र से अवगत करवाया गया कि फतेहगढ़ तहसील के कई ग्रामों में सोलर पावर एनर्जी प्रोजेक्ट की स्थापना हेतु कई कम्पनियों के द्वारा खातेदारों से खातेदारो की भूमि लीज पर ली गई हैं। खातेदारों व कम्पनी के मध्य लीज का पंजीयन करवाया जा रहा हैं। नियमानुसार उक्त लीज का जमाबन्दी में इन्द्राज जरिये नामान्तरकरण से ही होना हैं। नामान्तरकरण प्रक्रिया के तहत लीज के पंजीबद्ध दस्तावेज का नामान्तरकरण में इन्द्राज करते समय खातेदार के नाम को यथावत रखते हुए खातेदार के नाम के नीचे लीज की अवधि व लीज करवाने वाली कम्पनी का इन्द्राज किया जाना हैं। चूंकि फतेहगढ़ तहसील ऑनलाईन हो चुकी हैं। ई–धरती सॉफ्टवेयर में लीज का नामान्तरकरण भरते ही मूल खातेदार के नाम के स्थान पर लीजधारी कम्पनी का नाम दर्ज हो जाता हैं और मूल खातेदार का नाम हट जाता हैं जोकि नियमानुसार सही नहीं हैं।

अतः ई–धरती सॉफ्टवेयर में नामान्तरकरण भरते समय खातेदार का नाम यथावत रखते हुए खातेदार के नाम के नीचे लीजधारी का नाम व लीज का विवरण अंकित करने हेतु ई–धरती सॉफ्टवेयर में सुविधा प्रदान करवाने हेतु निवेदन किया हैं। उदाहरणार्थ बैंक में भूमि रहन दर्ज होने पर नामान्तरकरण भरते समय खातेदार की प्रविष्टि में ही खातेदार के नाम के नीचे बैंक के रहन का विवरण अंकित किया जाता हैं। ऑनलाईन होने से पूर्व इस प्रकार के लीज के नामान्तरकरण उपरोक्त तरीके से ही दर्ज किए गए हैं, जिसमें खातेदार का नाम यथावत रखते हुए खातेदार के नाम के नीचे लीजधारी का नाम व लीज का विवरण अंकित हैं। ई–धरती सॉफ्टवेयर में आवश्यक सुधार करवाने के संबंध में तकनीकी निर्देशन प्रदान करवाने हेतु लिखा हैं।

आपके द्वारा पत्रांक 6094 दिनांक 29.09.2020 से सिवायचक, खातेदारी व गैरखातेदारी से संबंधित लीज के नामान्तरकरण बाबत् लीजहोल्डर्स के नाम, लीज अवधि आदि लीजदेयता के साथ किस प्रकार प्रदर्शित करने हैं, इस संबंध में मार्गदर्शन चाहा है।

उपरोक्त के कम में निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के कम में निवेदन है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 44 के अनुसार खातेदार अभिधारी अपनी जोत उप–पट्टे पर दे सकेगा। धारा 45 के अनुसार खातेदार अभिधारी उप–पट्टे पर अपनी जोत को एक बार में धारा में उल्लेखित समयावधि के अनुसार उप–पटटे पर दे सकेगा। गैर खातेदार अभिधारी अपनी जोत को उप–पट्टे पर नहीं दे सकेगा। इस संबंध में धारा 42 का उल्लघंन नहीं होना चाहिए तथा खातेदार अभिधारी द्वारा एक नियत अवधि तक ही भूमि को कृषि प्रयोजनार्थ लीज पर दिया जा सकता है। इसमें विधवा, पागल, अव्यस्क एवं सैनिक को विशेष छूट प्रदत्त है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 261 के अन्तर्गत बने नियमों में राज्य सरकार द्वारा कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ (सोलर फार्म व पवन चक्की फार्म, खनन गतिविधियां) अनुमति प्रदत्त की गई है।

लीज के नामान्तरकरण में व्यक्तिगत रहन/रहनमुक्ति के नामान्तरकरण की भांति सोफ्टवेयर में प्रावधान करवाया जाने जिससे खातेदार के साथ–साथ लीजधारक के नाम का उल्लेख हो तथा विवरण वाले कॉलम में लीज धारक के नाम के साथ लीजडीड के अनुसार समयावधि तथा अन्य जानकारी दर्ज की जा सके साथ ही लीज डीड तथा अन्य संबंधित दस्तावेज अपलोड करवाए जाने का प्रावधान करवाया जाना सुनिश्चित करावें। साथ ही सिवायचक में लीज के नामान्तरकरण के स्थान पर संबंधित खसरे के विशेष विवरण वाले कॉलम में लीजधारक का नाम, लीजडीड के अनुसार समयावधि तथा अन्य विवरण दर्ज किए जाने हेतु प्रावधान करवाया जाना सुनिश्चित करावें। सिवायचक भूमि को लीज पर दिए जाने से संबंधित नामान्तरकरण के संबंध में राज्य सरकार से मार्गदर्शन लिया जाना अपेक्षित है। मार्गदर्शन प्राप्ति के उपरान्त ही नामान्तरकरण दर्ज किए जाने की प्रकिया का अन्तिम निर्धारण सम्भव है।

निबंधक,
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

क्रमांकः सम/ 3686–3720 दिनांक 06-10-020

1. आयुक्त, भू–प्रबंध विभाग एवं नोडल अधिकारी DILRMP , राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–1) विभाग, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, समस्त को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि लीज से संबंधित नामान्तरकरणों के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 44 व 45 तथा अन्य प्रावधानों में उल्लेखित (उप–पट्टे हेतु निर्धारित अवधि) समयावधि के अनुसार ही दर्ज करवाए जाने एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के प्रावधानों का उल्लघंन नहीं हो, सुनिश्चित करावें।

प्रभारी अधिकारी (DILRMP)
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

राजस्थान सरकार

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

कमांक:BR/ LR/ NLRMP/ F-126 / Online / 2018 / 3662 दिनांक:– 05-10-2020

वरिष्ठ तकनीकी निदेशक,
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राजस्थान, राज्य ईकाई,
कमरा नम्बर 318, उत्तर पश्चिम खण्ड, शासन सचिवालय,
राजस्थान, जयपुर।

विषयः– रिक्त नामान्तरकरणों को शून्य घोषित करवाने बाबत्।
प्रसंगः– जिला कलक्टर (भू.अ.) अजमेर का पत्रांक 3481 दिनांक 13.08.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत जिला कलक्टर (भू.अ.) अजमेर के प्रासंगिक पत्र से उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के द्वारा संलग्न सूची अनुसार तहसील पीसांगन में 48 लम्बित नामान्तरकरणों में किसी प्रकार की प्रविष्टि दर्ज नहीं होना अवगत कराया गया हैं, अर्थात इनमें मात्र नामान्तरकरण संख्या ही दर्ज हैं। उक्त नामान्तकरणों को शून्य घोषित करवाने हेतु अनुशंसा भिजवाई गई हैं।

उक्त के क्रम में मण्डल के पत्रांक 1886–1919 दिनांक 18.09.2018 के बिन्दू सं. 3 से पूर्व में ही निर्देशित किया जा चुका हैं जिसके क्रम में संबंधित उपखण्ड अधिकारी(भू.अ.) से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार करेक्शन संबंधित तहसील के तहसीलदार के लॉगिन आई.डी. के माध्यम से किए जाने हेतु सॉफ्टवेयर में प्रावधान करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।
सूची – 03

निबन्धक,
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर

कमांकः सम/ 3663-64 दिनांक 05-10-2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2 आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग एवं नोडल अधिकारी DILRMP जयपुर।

प्रभारी अधिकारी DILRMP,
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांकःBR/ LR/ NLRMP/ प्र.–126 / 2018 / 1886-1919 दिनांकः-- 15/9/2018

1. जिला कलक्टर,
समस्त
2. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक,
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राजस्थान, राज्य ईकाई,
कमरा नम्बर 318, उत्तर पश्चिम खण्ड, शासन सचिवालय,
राजस्थान, जयपुर

विषय :– तहसील स्तर पर सेग्रीगेशन से संबंधित समस्याओं के संबंध में।
प्रसंगः– आपका ई–मेल दिनांक 12.06.2018

प्रासंगिक ई–मेल से आपके द्वारा तहसील स्तर पर सेग्रीगेशन कर तहसीलों का ऑनलाइन करवाए जाने से संबंधित जिला स्तर से प्राप्त विभिन्न समस्याओं से अवगत करवाते हुए मार्गदर्शन चाहा है। अतः आपके द्वारा अवगत करावई गई समस्याओं के समाधान हेतु निम्न कार्यवाही करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

क0सं0	NIC जयपुर द्वारा अवगत कराई गई समस्या	मण्डल के निर्देश
1	RPG was entering mutation of "Sale" and he filled wrong registration Number. Through which registration note was not remove because of wrong reg/istration number. Mutation is locked. Now how he will correct this ?	दस्तावेजों के अनुसार पंजीयन कमांक एवं दिनांक में संशोधन हेतु संबंधित तहसील के तहसीलदार के लॉगिन आई0डी0 के माध्यम से किए जाने हेतु सॉफ्टवेयर में प्रावधान करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
2	ऑफलाईन नामान्तरकरण दर्ज करते समय आरपीजी/पटवारी द्वारा रजि0दस्तावेज की कम संख्या/दिनांक यदि गलत दर्ज हो जाती है तब उत्पन्न स्थिति को स्पष्ट करते हुए निर्देशित करने हेतु लिखा है :– A.नामान्तरकरण लॉक होने के पश्चात B.करेक्शन किस सक्षम अधिकारी के लॉगिन से होगा।)	नामान्तरकण लॉक होने के पश्चात् दस्तावेजों के अनुसार पंजीयन कमांक एवं दिनांक में संशोधन हेतु संबंधित तहसील के तहसीलदार के लॉगिन आई0डी0 के माध्यम से किए जाने हेतु सॉफ्टवेयर में करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

Contd...2

	At time of segregation,they have left with some mutation and left with updation also in some mutation so now how they will enter in this system. They don't want shudhipatra because there is hug no. of this type. Now how can they update this ?	जमाबन्दी सेग्रिगेशन का कार्य तहसीलों को ऑनलाइन किए जाने से पूर्व किया गया था जिसमें तहसील की कट ऑफ डेट निर्धारित की जा कर उस दिनांक तक के समस्त नामान्तरकरणों को राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (लैण्ड, रिकार्डस) रूल्स 1957 के 121 (2) के प्रावधानों के अनुसार अमल किया जाना था, किन्तु यदि नामान्तकरण अमल किए जाने से रह गए है तो राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम 1957 के नियम 155,159 व 156 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा कर सक्षम स्तर से आवश्यक संशोधन किए जाने हेतु जिला स्तर पर प्रस्ताव तैयार कर वरिष्ठ तकनीकी निदेशक एनआईसी को अनुशंसा सहित भिजवाए जावे। तकनीकी निदेशक एनआइसी, जयपुर को निर्देशित किया जाना है कि उक्तानुसार संबंधित उपखण्ड अधिकारी (भू0अ0अधिकारी) से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार करेक्शन हेतु संबंधित तहसील के तहसीलदार के लॉगिन आई0डी0 के माध्यम से किए जाने हेतु सॉफ्टवेयर में करवाया जाना सुनिश्चित करावें। चूंकि उक्त प्रावधान चौसाला जमाबन्दी के परिप्रेक्ष्य में लागू है अतः वर्तमान में नवीन अध्याय 7 के अनुसार ऑनलाईन स्थायी जमाबन्दी लागू है ऐसी स्थिति में जमाबन्दी में छूटे गए नामान्तरकरण (अमल से शेष रहे नामान्तरकरण) के संबंध में राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम 1957 के नियम 155,156 व 159 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही करवाए जाने हेतु एवं ऐसे नामान्तरकरण जो दर्ज किए जाने से छूटे गए है (जैसे नामान्तरकरण संख्या 150 के बाद सीधे ही 152 दर्ज कर दिया है तो नामा0 संख्या 151 को शून्य घोषित करवाया जाने हेतु) को सक्षम स्तर (संबंधित राजस्व अधिकारी) से शून्य घोषित करवाया जा कर संबंधित उपखण्ड अधिकारी (भू–अभिलेख अधिकारी) के माध्यम से एनआईसी को शून्य घोषित नामान्तरकरण संख्या को सॉफ्टवेयर में फीज किए जाने हेतु जाने जिला स्तर से एनआईसी, जयपुर को अवगत करवाया जावें। एनआईसी द्वारा उक्तानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें। नामान्तरकरण के संबंध में उक्तानुसार कार्यवाही करते हुए दी गई प्रत्येक आज्ञा के लिए तहसील स्तर पर ग्रामवार एवं जिला स्तर पर निम्न प्रपत्र में रजिस्टर संधारित किया जावे। प्रपत्र क्र0सं0 | तहसील का नाम | गांव का नाम | शून्य घोषित करवाए गए नामा0 का नम्बर | शून्य घोषित करवाए गए कुल नामा0 की संख्या | तहसीलदार का पत्र कमांक एवं दिनांक जो कलक्टर (भू0अ0) को भिजवाया गया | संबंधित उपखण्ड अधिकारी का पत्रांक एवं दिनांक जो एनआईसी को भिजवाया गया

Cont. 3

	तहसील उनियारा में सेग्रीग्रेशन के बाद जब तहसील ऑनलाईन की गई थी तब बडी संख्या में खातों पर रहन हट गये थे उसका कारण यह था कि सेग्रीगेशन में कई काश्तकारों में बैंक रहन जोडा गया था लेकिन रहन का हिस्सा/खसरा जोडने से रह गया था व कई खातों में बैंक जुडने से रह गया था अतः इसे सही करने की प्रकिया निर्देशित करते हुए सक्षम अधिकारी का लॉगिन प्रयोग करने के संबंध में मार्गदर्शन चाहा है।	सेग्रिगेशन कार्य करते समय यदि इस प्रकार की गलती हुई है तो त्रुटियों को सही किए जाने हेतु लैण्ड रिकार्ड रूल्स 1957 के नियम 166 जरिए फर्द बदर शुद्ध किया जाना सुनिश्चित करावे।
4	When RPG locked jamabandi in segregation, some how he entered wrong last mutation no. After that he started entry in system and locked some mutation. Now he realized this wrong mutation no. On what behalf he will update actual last mutation ?	इस प्रकार के प्रकरण में जो नामान्तरकरण प्रकियात्मक रूप से सही दर्ज है उनके आगे के गलत दर्ज नामान्तकरण नम्बर के संशोधित (नवीन) नामान्तरकरण नम्बर दर्ज किए जाने हेतु कलक्टर (भू0अ0) के माध्यम से प्रस्ताव तैयार तकनीकी निदेशक, एनआईसी, जयपुर को प्रेषित किए जाऐंगें। जिसके अनुसार तकनीकी निदेशक, एनआईसी, जयपुर द्वारा उक्त संशोधन हेतु संबंधित तहसील के तहसीलदार के लॉगिन आई0डी0 के माध्यम से किए जाने हेतु सॉफ्टवेयर में प्रावधान किया जाएगा। जिसमें पूर्व में किए गए निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपलोड किए जाने का प्रावधान होगा। इस प्रकार का संशोधन एक ही बार किया जा सकेगा। तकनीकी निदेशक, एनआईसी, जयपुर द्वारा सॉफ्टवेयर में वांछित प्रावधान करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
5	By clerical mistake by RPG, at time of locking they upload wrong documents. How they will correct this ?	तकनीकी निदेशक, एनआईसी, जयपुर द्वारा इस प्रकार के प्रकरणों में लॉक किए गए नामान्तरकरण से संबंधित पूर्व में अपलोड किए गए दस्तावेजों को यथावत रखते हुए संबंधित तहसीलदार के लॉगिन आई0डी0 से अन्य शेष रहे दस्तावेज अपलोड (जो दस्तावेज सही है) किए जाने का प्रावधान सॉफ्टवेयर में करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
6	By mistaken by RPG, he wants to lock a mutation and mistakenly canceled it or vice versa. Now how they correct it ?	बिन्दू संख्या 5 के अनुसार ऑफलाईन नामान्तरकरण में लिए निर्णय के अनुसार परिवर्तन किए जाने है। तकनीकी निदेशक, एनआईसी, जयपुर द्वारा उक्त परिवर्तन तहसीलदार के लॉगिन आई0डी0 के माध्यम से किए जाने हेतु सॉफ्टवेयर में प्रावधान किया जाना सुनिश्चित करावें।

भवदीय,

निबन्धक,
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर
दिनांक 18/9/2018

क्रमांक: राम/ 10862/RLD - 21

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
2. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग, राजस्थान, जयपुर।

प्रभारी अधिकारी-DILRMP
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

राजस्थान सरकार

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

कमांकःBR/ LR/ NLRMP/ F-126 / Online / 2018 / 3662 दिनांकः– 05-10-2020

वरिष्ठ तकनीकी निदेशक,
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राजस्थान, राज्य ईकाई,
कमरा नम्बर 318, उत्तर पश्चिम खण्ड, शासन सचिवालय,
राजस्थान, जयपुर।

विषयः– रिक्त नामान्तरकरणों को शून्य घोषित करवाने बाबत्।
प्रसंगः– जिला कलक्टर (भू.अ.) अजमेर का पत्रांक 3481 दिनांक 13.08.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत जिला कलक्टर (भू.अ.) अजमेर के प्रासंगिक पत्र से उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के द्वारा संलग्न सूची अनुसार तहसील पीसांगन में 48 लम्बित नामान्तरकरणों में किसी प्रकार की प्रविष्टि दर्ज नहीं होना अवगत कराया गया हैं, अर्थात इनमें मात्र नामान्तरकरण संख्या ही दर्ज हैं। उक्त नामान्तकरणों को शून्य घोषित करवाने हेतु अनुशंसा भिजवाई गई हैं।

उक्त के क्रम में मण्डल के पत्रांक 1886–1919 दिनांक 18.09.2018 के बिन्दू सं. 3 से पूर्व में ही निर्देशित किया जा चुका हैं जिसके क्रम में संबंधित उपखण्ड अधिकारी(भू.अ.) से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार करेक्शन संबंधित तहसील के तहसीलदार के लॉगिन आई.डी. के माध्यम से किए जाने हेतु सॉफ्टवेयर में प्रावधान करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

निबन्धक,
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर

कमांकः सम/3663-64 दिनांक 05-10-2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2 आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग एवं नोडल अधिकारी DILRMP जयपुर।

प्रभारी अधिकारी DILRMP,
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर

राजस्थान सरकार

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

कमांकःBR/ LR/ NLRMP/ F-126 / Online / 2018 / 3662 दिनांकः– 05-10-2020

वरिष्ठ तकनीकी निदेशक,
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राजस्थान, राज्य ईकाई,
कमरा नम्बर 318, उत्तर पश्चिम खण्ड, शासन सचिवालय,
राजस्थान, जयपुर।

विषयः– रिक्त नामान्तरकरणों को शून्य घोषित करवाने बाबत्।
प्रसंगः– जिला कलक्टर (भू.अ.) अजमेर का पत्रांक 3481 दिनांक 13.08.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत जिला कलक्टर (भू.अ.) अजमेर के प्रासंगिक पत्र से उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के द्वारा संलग्न सूची अनुसार तहसील पीसांगन में 48 लम्बित नामान्तरकरणों में किसी प्रकार की प्रविष्टि दर्ज नहीं होना अवगत कराया गया हैं, अर्थात इनमें मात्र नामान्तरकरण संख्या ही दर्ज हैं। उक्त नामान्तकरणों को शून्य घोषित करवाने हेतु अनुशंसा भिजवाई गई हैं।

उक्त के क्रम में मण्डल के पत्रांक 1886–1919 दिनांक 18.09.2018 के बिन्दू सं. 3 से पूर्व में ही निर्देशित किया जा चुका हैं जिसके क्रम में संबंधित उपखण्ड अधिकारी(भू.अ.) से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार करेक्शन संबंधित तहसील के तहसीलदार के लॉगिन आई.डी. के माध्यम से किए जाने हेतु सॉफ्टवेयर में प्रावधान करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

निबन्धक,
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर

कमांकः सम/ 3663-64 दिनांक 05-10-2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2 आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग एवं नोडल अधिकारी DILRMP जयपुर।

प्रभारी अधिकारी DILRMP,
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर

98

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांकःराम/भू.अ./NLRMP/ F-126/2020/ 3659 दिनांकः– 05-10-2020

जिला कलक्टर
अजमेर ।

विषयः– रिक्त नामान्तरकरणों को शून्य घोषित करवाने बाबत्।
प्रसंगः– आपका पत्रांक 3481 दिनांक 13.08.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र से आपके द्वारा अवगत करवाया गया कि उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के द्वारा संलग्न सूची अनुसार तहसील पीसांगन में 48 लम्बित नामान्तरकरणों में किसी प्रकार की प्रविष्टि दर्ज नहीं होना अवगत कराया गया हैं, अर्थात इनमें मात्र नामान्तरकरण संख्या ही दर्ज हैं। उक्त नामान्तकरणों को शून्य घोषित करवाने हेतु अनुशंसा भिजवाई गई हैं।

उक्त के क्रम में निवेदन है कि इस संबंध में मण्डल के पत्रांक 1886–1919 दिनांक 18.09.2018 के बिन्दु सं. 3 से पूर्व में ही निर्देशित किया जा चुका हैं जिसके क्रम में ऐसे नामान्तरकरण जिनको शून्य घोषित करवाया जाना हैं, को सक्षम स्तर (उपखण्ड अधिकारी) से शून्य घोषित करवाया जा कर, शून्य घोषित नामान्तरकरण संख्या को सॉफ्टवेयर में फ्रीज किए जाने हेतु जिला स्तर से एनआईसी, जयपुर को अवगत करवाया जावें। पूर्वप्रदत्त निर्देशानुसार कार्यवाही करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

भवदीय

निबन्धक,
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर
दिनांक 05-10-20

प्रतिलिपि :क्रमांकः सम/ 3660-61
1- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान जयपुर।
2- आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग एवं नोडल अधिकारी DILRMP जयपुर ।

प्रभारी अधिकारी DILRMP,
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांकःBR/ LR/ NLRMP/ प.–126 / 2018 / 1886-1919 दिनांकः– 18/9/2018

1. जिला कलक्टर,
समस्त
2. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक,
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राजस्थान, राज्य ईकाई,
कमरा नम्बर 318, उत्तर पश्चिम खण्ड, शासन सचिवालय,
राजस्थान, जयपुर

विषय :– तहसील स्तर पर सेग्रीगेशन से संबंधित समस्याओं के संबंध में।
प्रसंगः– आपका ई–मेल दिनांक 12.06.2018

प्रासंगिक ई–मेल से आपके द्वारा तहसील स्तर पर सेग्रीगेशन कर तहसीलों का ऑनलाइन करवाए जाने से संबंधित जिला स्तर से प्राप्त विभिन्न समस्याओं से अवगत करवाते हुए मार्गदर्शन चाहा है। अतः आपके द्वारा अवगत करावई गई समस्याओं के समाधान हेतु निम्न कार्यवाही करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

क0सं0	NIC जयपुर द्वारा अवगत कराई गई समस्या	मण्डल के निर्देश
1	RPG was entering mutation of "Sale" and he filled wrong registration Number. Through which registration note was not remove because of wrong reg/istration number. Mutation is locked. Now how he will correct this ?	दस्तावेजों के अनुसार पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक में संशोधन हेतु संबंधित तहसील के तहसीलदार के लॉगिन आई0डी0 के माध्यम से किए जाने हेतु सॉफ्टवयर मे प्रावधान करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
2	ऑफलाईन नामान्तरकरण दर्ज करते समय आरपीजी/पटवारी द्वारा रजि0दस्तावेज की क्रम संख्या/दिनांक यदि गलत दर्ज हो जाती है तब उत्पन्न स्थिति को स्पष्ट करते हुए निर्देशित करने हेतु लिखा है :– A.नामान्तरकरण लॉक होने के पश्चात B.करेक्शन किस सक्षम अधिकारी के लॉगिन से होगा।)	नामान्तरकण लॉक होने के पश्चात् दस्तावेजों के अनुसार पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक में संशोधन हेतु संबंधित तहसील के तहसीलदार के लॉगिन आई0डी0 के माध्यम से किए जाने हेतु सॉफ्टवेयर में करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

Cont...2

	At time of segregation,they have left with some mutation and left with updation also in some mutation so now how they will enter in this system. They don't want shudhipatra because there is hug no. of this type. Now how can they update this ?	जमाबन्दी सेग्रिगेशन का कार्य तहसीलों को ऑनलाइन किए जाने से पूर्व किया गया था जिसमें तहसील की कट ऑफ डेट निर्धारित की जा कर उस दिनांक तक के समस्त नामान्तरकरणों को राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (लैण्ड, रिकार्डस) रूल्स 1957 के 121 (2) के प्रावधानों के अनुसार अमल किया जाना था, किन्तु यदि नामान्तकरण अमल किए जाने से रह गए है तो राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम 1957 के नियम 155,159 व 156 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा कर सक्षम स्तर से आवश्यक संशोधन किए जाने हेतु जिला स्तर पर प्रस्ताव तैयार कर वरिष्ठ तकनीकी निदेशक एनआईसी को अनुशंसा सहित भिजवाए जावे। तकनीकी निदेशक एनआइसी, जयपुर को निर्देशित किया जाना है कि उक्तानुसार संबंधित उपखण्ड अधिकारी (भू0अ0अधिकारी) से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार करेक्शन हेतु संबंधित तहसील के तहसीलदार के लॉगिन आई0डी0 के माध्यम से किए जाने हेतु सॉफ्टवेयर में करवाया जाना सुनिश्चित करावें। चूंकि उक्त प्रावधान चौसाला जमाबन्दी के परिप्रक्ष्य में लागू है अतः वर्तमान में नवीन अध्याय 7 के अनुसार ऑनलाईन स्थायी जमाबन्दी लागू है ऐसी स्थिति में जमाबन्दी में छूटे गए नामान्तरकरण (अमल से शेष रहे नामान्तरकरण) के संबंध में राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम 1957 के नियम 155,156 व 159 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही करवाए जाने हेतु एवं ऐसे नामान्तरकरण जो दर्ज किए जाने से छूटे गए हैं (जैसे नामान्तरकरण संख्या 150 के बाद सीधे ही 152 दर्ज कर दिया है तो नामा0 संख्या 151 को शून्य घोषित करवाया जाने हेतु) को सक्षम स्तर (संबंधित राजस्व अधिकारी) से शून्य घोषित करवाया जा कर संबंधित उपखण्ड अधिकारी (भू–अभिलेख अधिकारी) के माध्यम से एनआईसी को शून्य घोषित नामान्तरकरण संख्या को सॉफ्टवेयर में फ्रीज किए जाने हेतु जाने जिला स्तर से एनआईसी, जयपुर को अवगत करवाया जावें। एनआईसी द्वारा उक्तानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें। नामान्तरकरण के संबंध में उक्तानुसार कार्यवाही करते हुए दी गई प्रत्येक आज्ञा के लिए तहसील स्तर पर ग्रामवार एवं जिला स्तर पर निम्न प्रपत्र में रजिस्टर संधारित किया जावे। प्रपत्र क्र0सं0 | तहसील का नाम | गांव का नाम | शून्य घोषित करवाए गए नामा0 का नम्बर | शून्य घोषित करवाए गए कुल नामा0 की संख्या | तहसीलदार का पत्र कमांक एवं दिनांक जो कलक्टर (भू0अ0) को भिजवाया गया | संबंधित उपखण्ड अधिकारी का पत्रांक एवं दिनांक जो एनआईसी को भिजवाया गया

Cont. ③

	तहसील उनियारा में सेग्रीग्रेशन के बाद जब तहसील ऑनलाईन की गई थी तब बडी संख्या में खातों पर रहन हट गये थे उसका कारण यह था कि सेग्रीगेशन में कई काश्तकारों में बैंक रहन जोडा गया था लेकिन रहन का हिस्सा/खसरा जोडने से रह गया था व कई खातों में बैंक जुडने से रह गया था अतः इसे सही करने की प्रकिया निर्देशित करते हुए सक्षम अधिकारी का लॉगिन प्रयोग करने के संबंध में मार्गदर्शन चाहा है।	सेग्रिगेशन कार्य करते समय यदि इस प्रकार की गलती हुई है तो त्रुटियों को सही किए जाने हेतु लैण्ड रिकार्ड रूल्स 1957 के नियम 166 जरिए फर्द बदर शुद्ध किया जाना सुनिश्चित करावे।
4	When RPG locked jamabandi in segregation, some how he entered wrong last mutation no. After that he started entry in system and locked some mutation. Now he realized this wrong mutation no. On what behalf he will update actual last mutation ?	इस प्रकार के प्रकरण में जो नामान्तरकरण प्रकियात्मक रूप से सही दर्ज है उनक आगे के गलत दर्ज नामान्तकरण नम्बर के संशोधित (नवीन) नामान्तरकरण नम्बर दर्ज किए जाने हेतु कलक्टर (भू0अ0) के माध्यम से प्रस्ताव तैयार तकनीकी निदेशक, एनआईसी; जयपुर को प्रेषित किए जाऐंगें। जिसके अनुसार तकनीकी निदेशक, एनआईसी, जयपुर द्वारा उक्त संशोधन हेतु संबंधित तहसील के तहसीलदार के लॉगिन आई0डी0 के माध्यम से किए जाने हेतु सॉफ्टवेयर में प्रावधान किया जाएगा। जिसमें पूर्व में किए गए निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपलोड किए जाने का प्रावधान होगा। इस प्रकार का संशोधन एक ही बार किया जा सकेगा। तकनीकी निदेशक, एनआईसी, जयपुर द्वारा सॉफ्टवेयर में वांछित प्रावधान करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
5	By clerical mistake by RPG, at time of locking they upload wrong documents. How they will correct this ?	तकनीकी निदेशक, एनआईसी, जयपुर द्वारा इस प्रकार के प्रकरणों में लॉक किए गए नामान्तरकरण से संबंधित पूर्व में अपलोड किए गए दस्तावेजों को यथावत रखते हुए संबंधित तहसीलदार के लॉगिन आई0डी0 से अन्य शेष रहे दस्तावेज अपलोड (जो दस्तावेज सही है) किए जाने का प्रावधान सॉफ्टवेयर में करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
6	By mistaken by RPG, he wants to lock a mutation and mistakenly canceled it or vice versa. Now how they correct it ?	बिन्दू संख्या 5 के अनुसार-ऑफलाईन नामान्तरकरण में लिए निर्णय के अनुसार परिवर्तन किए जाने है। तकनीकी निदेशक, एनआईसी, जयपुर द्वारा उक्त परिवर्तन तहसीलदार के लॉगिन आई0डी0 के माध्यम से किए जाने हेतु सॉफ्टवेयर में प्रावधान किया जाना सुनिश्चित करावें।

भवदीय,

निबन्धक,
राजस्व मण्डल राजस्थान;
अजमेर
दिनांक 18/9/2018

क्रमांक: राम/ 10860/910 - 21

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
2. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग, राजस्थान, जयपुर।

प्रभारी अधिकारी-DILRMP
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

E-Mail 102

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांकःराम / DILRMP. / प–126 / 2020/ 3434 दिनांकः– 30-09-2020

श्री अरूण माथुर
वरिष्ठ तकनीकी निदेशक,
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राजस्थान, राज्य ईकाई,
कमरा नम्बर 318, उत्तर पश्चिम खण्ड,
शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।

विषयः– आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग, जयपुर द्वारा आयोजित बैठक दिनांक 13.08.2020 में लिए निर्णय के क्रम में।

प्रसंगः– भू–प्रबन्ध विभाग, जयपुर पत्रांक 420 दिनांक 24.08.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग, जयपुर द्वारा आयोजित बैठक दिनांक 13.08.2020 में लिए गए निर्णय कमांक 5 के अनुसार निर्णय लिया गया कि मोबाईल एप में नायब तहसीलदार व तहसीलदार दोनो के डेशबोर्ड पर सभी ग्रामों की एप्लीकेशन दिखाई जाए जिससे वे स्वयं के स्तर पर अपने–अपने सर्किल के नामान्तकरण निर्णित किया जाना सुनिश्चित करेंगे। उपरोक्त निर्णय की पालना में सॉफ्टवेयर में आवश्यक प्रावधान करवाया जाना सुनिश्चित करावे।

बैठक - क्रमांक-5

निबंधक,
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर
दिनांक 30-09-2020

प्रतिलिपि :क्रमांकः सम/ 3435-70

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग एवं नोडल अधिकारी DILRMP जयपुर ।
3. जिला कलक्टर, समस्त।

प्रभारी अधिकारी (DILRMP)
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

103

राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त भू प्रबन्ध विभाग राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:फा/आईटी/भूप्रआ/06/2019/ 420 दिनांक: 24-08-2020

बैठक कार्यवाही विवरण

विभागीय आदेश क्रमांक फा/आईटी/भूप्रआ/06/2019/295 दिनांक 11.08.2020 के क्रम में दिनांक 13-08-2020 को भू-प्रबन्ध आयुक्त की अध्यक्षता में कृषि ऋण रहन पॉर्टल, राज्य की समस्त ऑनलाईन तहसीलों में एवं राजस्व अधिकारी एप से पेपर रहित म्यूटेशन स्वीकृति संबंधित कार्यों को संपूर्ण राज्य में लागू करने तथा ऑनलाईन गिरदावारी के लिये राजस्व अधिकारी एप में आवश्यक बदलावों को समयबद्ध तरीके से संपादित करने के संबंध में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें निम्न अधिकारियों / कर्मचारियों ने भाग लिया :-

OIC (DILRMP) 1. श्री एल.एस. कुडी, अति. महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राजस्थान।
2. श्री बलदेव राम धोजक, अति. आयुक्त भू प्रबंध विभाग, मुख्यावास।
3. श्री आर. वरदराजन, अति. निदेशक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
24.8.20 4. श्री पी.के. सिंह, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी.।
5. श्री अरूण माथुर, तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी.।
6. श्री सुनिल भाटिया, संयुक्त निदेशक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राजस्थान।
7. श्री रोहिताश्व कुमार मीना, सिस्टम एनालिस्ट DILRMP (राजस्व एवं भू प्रबंध विभाग)।
8. श्री रतन लाल, एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, राजस्व विभाग।
9. श्री सौरभ बामनिया, एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
10. श्री शशि जैन, सहायक भू प्रबंध अधिकारी (जी.आई.एस.), मुख्यावास।
11. श्री कपिल कुमार, तहसीलदार, तहसील नवलगढ, जिला झुन्झुनू।
12. श्री विनोद पारीक, तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
13. श्री जे.पी. मीणा, जिला अग्रणी बैंक अधिकारी, जिला झुंझुनू।
14. सुश्री वर्षा शर्मा, प्रोग्रामर, मुख्यावास।
15. श्री महेश चंद, नायब तहसीलदार, तहसील दूदू, जिला जयपुर।
16. श्रीमती ममता मीणा, आर.पी.जी., तहसील दूदू, जिला जयपुर।
17. श्री मुदित जैन, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, मैसर्स ई-कनेक्ट सॉल्यूशनस प्रा.लि.।

बैठक में विचार विमर्श उपरांत निम्नानुसार निर्देश दिये गए :-

1. **NIC द्वारा समस्या निस्तारण** :- चूंकि कृषि ऋण रहन पॉर्टल NIC एवं ई कनेक्ट दोनो पर निर्भर है एवं NIC द्वारा बताया गया कि ई-कनेक्ट द्वारा सीधे ही उनके लिये समस्याओं को उन्हें भेज दिया जाता है जिसके कारण NIC द्वारा समय पर कार्यवाही नही की जाती है। इस संबंध में तय किया गया कि ई-कनेक्ट द्वारा भेजी गई समस्याओं को एक अलग विभागीय सरकारी ई-मेल आईडी के माध्यम से भेजा जावेगा जिससे NIC द्वारा इस पर तुरंत कार्यवाही की जा सके।

भू प्रबन्ध विभाग, विमान भवन, डाक बंगले के पीछे, गोपालबाडी, जयपुर-302001
दूरभाष :फैक्स /0141-2361687, ई : मेल-scr-rj@nic.in

2. **Replication server issue** :- ई कनेक्ट द्वारा अवगत करवाया गया कि हाल के दिनों में बैंक पॉर्टल पर NIC के Replication server के सही ना चलने के कारण दिक्कत आ रही है। जिसके निराकरण हेतु यह तय किया गया कि NIC द्वारा प्रतिदिन Replication server को दो बार check करवाया जाना सुनिश्चित किया जावे। किसी भी प्रकार के बदलाव होने पर NIC द्वारा पूर्व में ही इस विभाग को सूचित किया जावेगा ताकि कृषि ऋण रहन पोर्टल पर कार्य ना रूके।

NIC द्वारा Replication server पर APIs के माध्यम से ई-कनेक्ट को आवश्यक data इत्यादि उपलब्ध करवाने के लिए बोला गया। वर्तमान में ई-कनेक्ट द्वारा स्वयं ही APIs विकसित की गई है और NIC को सुनिश्चित करना है कि Replication server सही प्रकार से कार्य करे एवं किसी भी बदलाव को लेकर विभाग में पूर्व में ही सूचित करे ताकि व्यवधान ना हो। यदि NIC स्वयं ही APIs विकसित करना चाहती है तो प्रस्ताव एवं प्लान भेजे।

3. **Read only Servers DoIT&C से उपलब्ध करवाने के क्रम में** :- बैठक में यह चर्चा हुई की NIC को सर्वर की आवश्यकता है। इसके लिए उनके द्वारा Replica या Read only Servers अविलम्ब DoIT&C से उपलब्ध करवाये जा सकते हैं। Replication server में आवश्यक उच्च स्तर के तकनीकी सहयोग के लिए आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग से संपर्क कर आवश्यक व्यवस्था की जा सकती है ताकि कोई समस्या भविष्य में ना हो। इस विषय में आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के अध्यक्षता में पूर्व बैठकों में इस संबंध में चर्चा की जा चुकी है। (F5(1176)/DoIT/Tech/19/00403/2020 दिनांक 20.01.2020 , पत्र 414 दिनांक 20.01.2020, पत्र 637 दिनांक 28.01.2020)

4. **Mutation Cancellation एवं Rehan-Mukti API** :- NIC के द्वारा माह जनवरी, 2020 में Mutation Cancellation API उपलब्ध करवा दिये जाने के पश्चात् भी ई कनेक्ट के द्वारा आदिनांक तक इसको पॉर्टल पर implement नहीं किया गया है। इस संबंध में ई कनेक्ट को निर्देशित किया गया है दो दिवस के भीतर ही उक्त API को जांच कर किसी प्रकार की समस्या होने पर NIC के साथ सामंजस्य स्थापित कर पॉर्टल पर implement किया जाना सुनिश्चित करें एवं NIC द्वारा समस्याओं पर तुरंत कार्यवाही की जावेगी।

5. **नायब तहसीलदार व तहसीलदार का सर्किल डिवाईडेशन** :- इस संबंध में यह निर्णय लिया गया कि हाल मोबाईल एप में नायब तहसीलदार व तहसीलदार दोनों के डेशबोर्ड पर सभी ग्रामों की एपलीकेशन दिखाई जावे। जिसके उपरांत वे स्वयं के स्तर पर अपने-अपने सर्किल के नामांतरकरण निर्णित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

6. **P-21 एवं 6(1) की उपलब्धता** :- तहसीलदार झुंझुनू द्वारा अवगत करवाया गया कि वर्तमान में राजस्व अधिकारी एप से दर्ज किये जा रहे नामांतरकरणों की P-21 उपलब्ध नहीं हो रही है जिससे काश्तकारों को नकल जारी किया जाना संभव नही हो रहा है। साथ ही बैंक द्वारा जारी 6(1) नामांतरकरण निर्णित

होने के पश्चात् कृषि ऋण रहन पॉर्टल पर उलब्ध नही है। इस क्रम में निर्देशित किया गया कि NIC द्वारा उक्त P-21 एवं 6(1) को पीडीएफ फॉरमेट में उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

7. **बैंक स्तर पर एपलीकेशन अद्यतन का प्रावधान** :- वर्तमान में bank maker के द्वारा ऋण एपलीकेशन bank checker को अग्रेषित किये जाने के उपरांत पुन: bank maker को अद्यतन हेतु भेजे जाने का प्रावधान उपलब्ध नही है। इस संबंध में ई कनेक्ट को निर्देशित किया गया कि bank checker स्तर पर उक्तानुसार प्रावधान उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करे।

8. **अपनाखाता व ई-धरती से रहन संबंधी नामांतरकरण आवेदन बंद करवाने के क्रम में** :- बैठक में NIC को निर्देशित किया गया कि जहां-जहां पर कृषि ऋण रहन पोर्टल चल रहा है एवं भविष्य में जहां शुरू होगा, वहां पर NIC द्वारा अपनाखाता एवं ई-धरती के माध्यम से रहन संबंधी नामांतरकरण आवेदनों की प्रक्रियाएं बंद की जानी है।

9. **दोहरे नामांतरकरण की समस्या** :- बैंक द्वारा ऋण एपलीकेशन अग्रेषित किये जाने के समय कई बार तकनीकी समस्या के कारण एक ही 6(1) पर दो बार नामांतरकरण संख्या जारी हो रही है। यह समस्या अन्य म्यूटेशन में भी आ रही है। इस संबंध में पूर्व में भी DoIT&C के यहां आयोजित बैठक के बैठक कार्यवाही विवरण क्रमांक F5(1176)/DoIT/Tech/19/00414/2020 दिनांक 20.01.2020, पत्र 414 दिनांक 20.01.2020, पत्र 637 दिनांक 28.01.2020 में भी निर्देशित किया गया था। इस संबंध में NIC को म्यूटेशन संख्या जारी करने वाली API पर आवश्यक बदलाव हेतु निर्देशित किया गया।

10. **म्यूटेशन नं. पटवारी स्तर पर जारी किया जाना** :- वर्तमान में बैंक द्वारा ऋण एपलीकेशन अग्रेषित किये जाने पर बैंक स्तर पर ही नामांतरकरण संख्या जारी हो रही है। इस संबंध में निर्णय लिया गया कि बैंक स्तर पर एपलीकेशन अग्रेषित करने पर सिटिजन रेफरेंस नम्बर जारी किया जावे तथा पटवारी स्तर पर जांच उपरांत ही नामांतरकरण संख्या जारी की जावेगी। इस प्रावधान को करने हेतु ई- कनेक्ट को निर्देशित किया गया।

11. **Pendency report** :- राजस्व अधिकारी एप पर प्रत्येक स्तर की pendency report (Bank-wise, Patwari-wise, ILR-wise etc.) प्रदर्शित करवाने हेतु ई-कनेक्ट को निर्देशित किया गया।

12. **रहनमुक्त प्रावधान** :- बैठक में निर्णय लिया गया कि जिला झुन्झुनू में 01 सितम्बर, 2020 से रहनमुक्त के नामांतरकरण कृषि ऋण रहन पॉर्टल के माध्यम से दर्ज करने संबंधित आवश्यक प्रावधान NIC व ई-कनेक्ट के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

13. **पेपरलेस नामांतरकरण** :- तय किया गया कि आगामी बैठक में NIC व ई-कनेक्ट के द्वारा रहन व रहन-मुक्त के नामांतरकरण के अतिरिक्त अन्य सभी नामांतरकरणों को पेपरलेस करने हेतु ई-कनेक्ट को आवश्यक API उपलब्ध करवाने संबंधी कार्ययोजना NIC द्वारा सात दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया ताकि रहन की paperless प्रक्रिया के अनुरूप समस्त नामांतरकरण हो सके। इसमें यह भी निर्देशित किया गया कि ई-कनेक्ट द्वारा ग्राम सेवकों की आईडी

मैपिंग की सुविधा पटवारी स्तर पर उपलब्ध करवाई जावेगी। ई-कनेक्ट द्वारा कराया गया की वर्तमान में भी उनके द्वारा generic रूप से विकसित किया गया है जिसमें NIC से API होते ही तुरंत समस्त नामांतरकरण पेपरलेस हो जाऐंगे।

14. **कृषि ऋण रहन पोर्टल व पेपरलेस नामांतरकरण करने के क्रम में हैल्पडेस्क बनाने हेतु:-** बैठक में निर्णय लिया गया कि तहसील स्तर की गैर तकनीकी (प्रक्रियात्मक) समस्याओं को DRPG के द्वारा सर्वप्रथम हल किया जावेगा। इसके बाद शेष समस्याओं को DRPG द्वारा इस विभाग को भेजा जावेगा जिसको ई-कनेक्ट को अग्रेषित कर तकनीकी समस्याओं का समाधान करवाया जावेगा। जिला स्तर पर DIO के द्वारा ई-धरती / रहन आवेदनों संबंधी समस्याओं में DRPG की मदद करेंगे।

15. **ई- पंजीयन के साथ integration** :- बैठक में चर्चा की गई कि पूर्व में पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग से ई-पंजीयन की API हेतु आग्रह किया गया था जिससे बैंक द्वारा भेजे जाने वाले कृषि ऋण आवेदनों को ऑनलाईन ही पंजीयन कार्यालय के डेशबोर्ड पर भी भेजा जा सके। जिससे पंजीयन कार्यालयों में ऋण आवेदनों को भी पंजीकृत करवाया जा सके। जो कि आदिनांक तक लंबित है। इस क्रम में पुनः पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग को निर्देशित कर ई-कनेक्ट को API पांच दिवस में उपलब्ध करवाने हेतु निर्णय लिया गया। एवं ई-कनेक्ट को उक्त API प्राप्त होने पर integration संबंधी कार्य शीघ्र करवाने हेतु निर्देशित किया गया।

16. **ऑनलाईन गिरदावरी हेतु नियमों में संशोधन** :- राजस्व मण्डल प्रतिनिधि द्वारा अवगत करवाया गया कि ऑनलाईन गिरदावरी हेतु राजस्व नियमों में वांछित संशोधन हेतु प्रस्ताव राजस्थान सरकार को भिजवाये गये है। इन प्रस्तावों की एक प्रति भू प्रबंध विभाग को तीन दिवस में उपलब्ध करवाई जायेगी। सरकार द्वारा प्रक्रिया अमल में आने के पश्चात् वार्षिक / मौसमवार गिरदावरी के सिर्फिंग प्रपत्रों में आवश्यक संशोधन हेतु तीन दिवस में राजस्व मण्डल द्वारा इस विभाग को अवगत करवाया जावेगा। जिसके आधार पर आगामी खरीफ गिरदावरी से पूर्व RFP के Scope of Work के अनुसार ई-कनेक्ट द्वारा module में आवश्यक बदलाव समय पर किये जा सकेंगे।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(विश्व मोहन शर्मा)
भू प्रबन्ध आयुक्त
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः समसंख्यक/ 421-41
दिनांकः 24-09-2020

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
2. निजी सचिव, महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राजस्थान।

3. निजी सचिव, निबंधक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
4. निजी सचिव, आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. श्री एल.एस. कुडी, अति. महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राजस्थान।
6. निजी सहायक, अति. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
7. श्री आर. वरदराजन, अति. निदेशक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
8. श्री पी.के. सिंह, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी.।
9. श्री अरूण माथुर, तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी.।
10. श्री सुनिल भाटिया, संयुक्त निदेशक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राजस्थान।
11. श्री रोहिताश्व कुमार मीना, सिस्टम एनालिस्ट DILRMP (राजस्व एवं भू प्रबंध विभाग)।
12. श्री रतन लाल, एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, राजस्व विभाग।
13. श्री सौरभ बामनिया, एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
14. श्री शशि जैन, सहायक भू प्रबंध अधिकारी (जी.आई.एस.), मुख्यावास।
15. श्री कपिल कुमार, तहसीलदार, तहसील नवलगढ, जिला झुन्झुनू।
16. श्री विनोद पारीक, तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
17. श्री जे.पी. मीणा, जिला अग्रणी बैंक अधिकारी, जिला झुंझुनू।
18. सुश्री वर्षा शर्मा, प्रोग्रामर, मुख्यावास।
19. श्री महेश चंद, नायब तहसीलदार, तहसील दूदू, जिला जयपुर।
20. श्रीमती ममता मीणा, आर.पी.जी., तहसील दूदू, जिला जयपुर।
21. श्री मुदित जैन, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, मैसर्स ई-कनेक्ट सॉल्यूशनस प्रा.लि.।

(बलदेव राम धोजक)
अति. भू प्रबन्ध आयुक्त
राजस्थान, जयपुर

भू प्रबन्ध विभाग, विमान भवन, डाक बंगले के पीछे, गोपालबाड़ी, जयपुर-302001
दूरभाष :फैक्स /0141-2361687, ई : मेल-scr-rj@nic.in
वेबसाईट : http://landrevenue.rajasthan.gov.in/settlement

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांकःराम/DILRMP./प–126/2020/ 3471 दिनांकः– 01-10-2020

श्री अरूण माथुर
वरिष्ठ तकनीकी निदेशक,
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राजस्थान, राज्य ईकाई,
कमरा नम्बर 318, उत्तर पश्चिम खण्ड,
शासन सचिवालय, राजस्थान,

विषय :– ई–धरती सॉफ्टवेयर पर नये राजस्व ग्राम जोडने के क्रम में।
प्रसंग :– कलक्टर (भू.अ.) झुन्झुनू का पत्रांक 2254 दिनांक 17.09.2020 तथा मण्डल का पत्रांक 3236 दिनांक 17.09.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत जिला कलक्टर (भू.अ.) झुन्झुनू द्वारा अवगत करवाया गया कि डीआईएलआरएमपी जिले की 8 तहसीले ऑनलाईन हो चुकी है। जिनमें नामान्तरकरण दर्ज करने की कार्यवाही ऑनलाईन की जा रही है। तहसीले ऑनेलाईन होने के पश्चात् जिलें में 23 राजस्व ग्राम नवसृजित हुए है। जिनका राजस्व रिकार्ड पृथक–पृथक किया जाना है परन्तु ई–धरती सॉफ्टवेयर में नवीन राजस्व ग्राम बनाने का विकल्प नहीं है। जिससे नवसृजित 23 राजस्व ग्रामों का आदिनांक तक रिकार्ड ऑनलाईन पृथक नहीं हो पाया है। अतः ई–धरती सॉफ्टवेयर से नवीन राजस्व ग्रामों का रिकार्ड पृथक करने का विकल्प उपलब्ध करवाने हेतु एनआईसी को निर्देशित कराने हेतु लिखा है।

उक्त के क्रम में मण्डल के पत्रांक 2262 दिनांक 21.07.2020 तथा 3236 दिनांक 17.09.2020 से आपको ई–धरती (सॉफ्टवेयर) में नवीन राजस्व ग्राम बनाये जाने हेतु पूर्व में भी निर्देशित किया जा चुका हैं। अतः जिला कलक्टर टोंक के पत्र की प्रति सलंग्न कर ई–धरती सॉफ्टवेयर में नवीन राजस्व ग्राम बनाये जाने संबंधी प्रावधान उपलब्ध करा मण्डल को अवगत करावे जिससे सम्पूर्ण राज्य में कार्यवाही प्रारम्भ की जा सके।
संलग्न :– उपरोक्तानुसार

निबंधक
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

प्रतिलिपि :क्रमांकः सम/ 3472-3508 दिनांक 01-10-2020

1. आयुक्त, भू–प्रबंध विभाग एवं नोडल अधिकारी DILRMP, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–1) विभाग, जयपुर
3. कार्यालय जिला कलक्टर झुन्झुनू, एनआईसी, जयपुर से समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही कर मण्डल को अवगत करावें।
4. जिला कलक्टर, समस्त।

प्रभारी अधिकारी (DILRMP)
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर (भू.अ.) झुन्झुनू

क्रमांक प–2( )भू.अ./जमा.सेग्रिगेशन/2019/2254 दिनांक : 9-9-2020

निबन्धक
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

विषय :– ई–धरती पोर्टल में नवीन राजस्व ग्राम बनाने का प्रावधान करवाने के कम में।
प्रसंग :– तहसीलदार खेतड़ी का पत्रांक 1448 दिनांक 27.08.2020

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के कम में निवेदन है कि DILRMP योजनान्तर्गत जिले की समस्त 8 तहसीलें ऑन लाईन हो चुकी है। जिनमें नामान्तरकरण दर्ज करने की कार्यवाही ऑनलाईन की जा रही है। तहसीले ऑन लाईन होने के पश्चात जिले में 23 राजस्व ग्राम नवसृजित हुए है। जिनका राजस्व रिकार्ड पृथक–पृथक किया जाना है परन्तु ई–धरती सॉफ्टवेयर में नवीन राजस्व ग्राम बनाने का विकल्प नहीं है। जिससे नवसृजित 23 राजस्व ग्रामों का आदिनांक तक रिकार्ड ऑनलाईन पृथक नहीं हो पाया है। अतः ई–धरती में नवीन राजस्व ग्रामों का रिकार्ड पृथक करने का विकल्प उपलब्ध करवाने हेतु NIC जयपुर को निर्देशित करावें।

प्रभारी अधिकारी (भू.अ.)
कलेक्ट्रेट,झुन्झुनू

Tel. No. (o) 01592-232237, 232040 Fax No.- 01592- 234201 Email- col.jjn@gmail.com

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांकःराम / DILRMP. / प–126 / 2020/ 3434 दिनांकः– 30-09-2020

श्री अरूण माथुर
वरिष्ठ तकनीकी निदेशक,
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राजस्थान, राज्य ईकाई,
कमरा नम्बर 318, उत्तर पश्चिम खण्ड,
शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।

विषयः– आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग, जयपुर द्वारा आयोजित बैठक दिनांक 13.08.2020 में लिए निर्णय के क्रम में।

प्रसंगः– भू–प्रबन्ध विभाग, जयपुर पत्रांक 420 दिनांक 24.08.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग, जयपुर द्वारा आयोजित बैठक दिनांक 13.08.2020 में लिए गए निर्णय कमांक 5 के अनुसार निर्णय लिया गया कि मोबाईल एप में नायब तहसीलदार व तहसीलदार दोनो के डेशबोर्ड पर सभी ग्रामों की एप्लीकेशन दिखाई जाए जिससे वे स्वयं के स्तर पर अपने–अपने सर्किल के नामान्तकरण निर्णित किया जाना सुनिश्चित करेंगे। उपरोक्त निर्णय की पालना में सॉफ्टवेयर में आवश्यक प्रावधान करवाया जाना सुनिश्चित करावे।

निबंधक,
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर
दिनांक 30-09-2020

प्रतिलिपि :क्रमांकः सम/ 3435-70

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग एवं नोडल अधिकारी DILRMP जयपुर ।
3. जिला कलक्टर, समस्त।

प्रभारी अधिकारी (DILRMP)
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांकःराम / DILRMP. / प–126 / 2020/ 3398 दिनांकः– 30-09-20

श्री अरूण माथुर
वरिष्ठ तकनीकी निदेशक,
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राजस्थान, राज्य ईकाई,
कमरा नम्बर 318, उत्तर पश्चिम खण्ड,
शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।

विषयः– आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग, जयपुर द्वारा आयोजित बैठक दिनांक 13.08.2020 में लिए निर्णय के क्रम में।

प्रसंगः– भू–प्रबन्ध विभाग, जयपुर पत्रांक 420 दिनांक 24.08.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग, जयपुर द्वारा आयोजित बैठक दिनांक 13.08.2020 में लिए गए निर्णय कमांक 8 के अनुसार निर्णय लिया गया कि . अपनाखाता व ई–धरती से रहन संबंधी नामान्तरकरण आवेदन बंद करवाने के क्रम में: बैठक में निर्देशित किया गया कि जहां–जहां पर कृषि रहन पोर्टल चल रहा हैं एवं भविष्य में जहां शुरू होगा, वहां पर NIC द्वारा अपनाखाता एवं ई–धरती के माध्यम से रहन संबंधी नामान्तरकरण आवेदनों की प्रक्रियाएं बंद की जानी हैं।

उपरोक्त निर्णय की पालना में सॉफ्टवेयर में आवश्यक प्रावधान करवाया जाना सुनिश्चित करावे।

निबंधक,
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर
दिनांक 30-09-2020

प्रतिलिपि :क्रमांकः सम/ 3399-3433

1- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान जयपुर।
2- आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग एवं नोडल अधिकारी DILRMP जयपुर ।
3- जिला कलक्टर, समस्त।

प्रभारी अधिकारी (DILRMP)
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

विषयः— कृषि ऋण रहन पॉर्टल, राज्य की समस्त ऑनलाईन तहसीलों में एवं राजस्व अधिकारी एप से पेपर रहित म्यूटेशन स्वीकृति संबंधित कार्यो को संपूर्ण राज्य में लागू करने तथा ऑनलाईन गिरदावरी के लिये राजस्व अधिकारी एप में आवश्यक बदलावों के संबंध में।

प्रसंगः— भू—प्रबन्ध आयुक्त, जयपुर के पत्रांक 295 दिनांक 11.08.2020 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत भू—प्रबन्ध आयुक्त, जयपुर के पत्रांक 295 दिनांक 11.08.2020 के क्रम में दिनांक 13.08.2020 से भू—प्रबन्ध आयुक्त की अध्यक्षता में कृषि ऋण रहन पॉर्टल, राज्य की समस्त ऑनलाईन तहसीलों में एवं राजस्व अधिकारी एप से पेपर रहित म्यूटेशन स्वीकृति संबंधित कार्यो को संपूर्ण राज्य में लागू करने तथा ऑनलाईन गिरदावरी के लिये राजस्व अधिकारी एप में आवश्यक बदलावों को समयबद्ध तरीके से संपादित करने के संबंध में आयोजित बैठक के कार्यवाही विवरण संलग्न कर प्रेषित है। इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि कार्यवाही विवरण के निर्णय क्रमांक 2,3,4,9,15 पर कार्यवाही की जा कर प्रगति से शाखा को अवगत करावें।

संलग्न :— कार्यवाही विवरण।

प्रभारी अधिकारी DILRMP,
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर

यू.ओ.नोट क्रमांकः— BR/ LR/ NLRMP/ F-126 / 2020 / 3394 दिनांकः—30-09-2020

अति0 निदेशक (कम्प्यूटर),
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर।

113

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त भू प्रबन्ध विभाग राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:फा/आईटी/भूप्रआ/06/2019/ 420 दिनांक: 24-08-2020

बैठक कार्यवाही विवरण

विभागीय आदेश क्रमांक फा/आईटी/भूप्रआ/06/2019/295 दिनांक 11.08.2020 के क्रम में दिनांक 13-08-2020 को भू-प्रबन्ध आयुक्त की अध्यक्षता में कृषि ऋण रहन पॉर्टल, राज्य की समस्त ऑनलाईन तहसीलों में एवं राजस्व अधिकारी एप से पेपर रहित म्यूटेशन स्वीकृति संबंधित कार्यों को संपूर्ण राज्य में लागू करने तथा ऑनलाईन गिरदावारी के लिये राजस्व अधिकारी एप में आवश्यक बदलावों को समयबद्ध तरीके से संपादित करने के संबंध में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें निम्न अधिकारियों / कर्मचारियों ने भाग लिया :-

OIC (DILRMP)

1. श्री एल.एस. कुडी, अति. महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राजस्थान।
2. श्री बलदेव राम धोजक, अति. आयुक्त भू प्रबंध विभाग, मुख्यावास।
3. श्री आर. वरदराजन, अति. निदेशक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
4. श्री पी.के. सिंह, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी.।
5. श्री अरूण माथुर, तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी.।
6. श्री सुनिल भाटिया, संयुक्त निदेशक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राजस्थान।
7. श्री रोहिताश्व कुमार मीना, सिस्टम एनालिस्ट DILRMP (राजस्व एवं भू प्रबंध विभाग)।
8. श्री रतन लाल, एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, राजस्व विभाग।
9. श्री सौरभ बामनिया, एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
10. श्री शशि जैन, सहायक भू प्रबंध अधिकारी (जी.आई.एस.), मुख्यावास।
11. श्री कपिल कुमार, तहसीलदार, तहसील नवलगढ, जिला झुन्झुनू।
12. श्री विनोद पारीक, तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
13. श्री जे.पी. मीणा, जिला अग्रणी बैंक अधिकारी, जिला झुंझुनू।
14. सुश्री वर्षा शर्मा, प्रोग्रामर, मुख्यावास।
15. श्री महेश चंद, नायब तहसीलदार, तहसील दूदू, जिला जयपुर।
16. श्रीमती ममता मीणा, आर.पी.जी., तहसील दूदू, जिला जयपुर।
17. श्री मुदित जैन, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, मैसर्स ई-कनेक्ट सॉल्यूशनस प्रा.लि.।

बैठक में विचार विमर्श उपरांत निम्नानुसार निर्देश दिये गए :-

1. <u>NIC द्वारा समस्या निस्तारण</u> :- चूंकि कृषि ऋण रहन पॉर्टल NIC एवं ई कनेक्ट दोनो पर निर्भर है एवं NIC द्वारा बताया गया कि ई-कनेक्ट द्वारा सीधे ही उनके लिये समस्याओं को उन्हें भेज दिया जाता है जिसके कारण NIC द्वारा समय पर कार्यवाही नही की जाती है। इस संबंध में तय किया गया कि ई-कनेक्ट द्वारा भेजी गई समस्याओं को एक अलग विभागीय सरकारी ई-मेल आईडी के माध्यम से भेजा जावेगा जिससे NIC द्वारा इस पर तुरंत कार्यवाही की जा सके।

भू प्रबन्ध विभाग, विमान भवन, डाक बंगले के पीछे, गोपालबाडी, जयपुर-302001
दूरभाष :फैक्स /0141-2361687, ई : मेल-scr-rj@nic.in
वेबसाईट : http://landrevenue.rajasthan.gov.in/settlement

2. **Replication server issue** :- ई कनेक्ट द्वारा अवगत करवाया गया कि बैंक के लिये ई बैंक पोर्टल पर NIC के Replication server के सही ना चलने के कारण दिक्कत आ रही है। जिसके निराकरण हेतु यह तय किया गया कि NIC द्वारा प्रतिदिन Replication server को दो बार check करवाया जाना सुनिश्चित किया जावे। किसी भी प्रकार के बदलाव होने पर NIC द्वारा पूर्व में ही इस विभाग को सूचित किया जावेगा ताकि कृषि ऋण रहन पोर्टल पर कार्य ना रूके।

NIC द्वारा Replication server पर APIs के माध्यम से ई-कनेक्ट को आवश्यक data इत्यादि उपलब्ध करवाने के लिए बोला गया। वर्तमान में ई-कनेक्ट द्वारा स्वयं ही APIs विकसित की गई है और NIC को सुनिश्चित करना है कि Replication server सही प्रकार से कार्य करे एवं किसी भी बदलाव को लेकर विभाग में पूर्व में ही सूचित करे ताकि व्यवधान ना हो। यदि NIC स्वयं ही APIs विकसित करना चाहती है तो प्रस्ताव एवं प्लान भेजे।

3. **Read only Servers DoIT&C से उपलब्ध करवाने के क्रम में** :- बैठक में यह चर्चा हुई की NIC को सर्वर की आवश्यकता है। इसके लिए उनके द्वारा Replica या Read only Servers अविलम्ब DoIT&C से उपलब्ध करवाये जा सकते हैं। Replication server में आवश्यक उच्च स्तर के तकनीकी सहयोग के लिए आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग से संपर्क कर आवश्यक व्यवस्था की जा सकती है ताकि कोई समस्या भविष्य में ना हो। इस विषय में आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के अध्यक्षता में पूर्व बैठकों में इस संबंध में चर्चा की जा चुकी है। (F5(1176)/DoIT/Tech/19/00403/2020 दिनांक 20.01.2020 , पत्र 414 दिनांक 20.01.2020, पत्र 637 दिनांक 28.01.2020)

4. **Mutation Cancellation एवं Rehan-Mukti API** :- NIC के द्वारा माह जनवरी, 2020 में Mutation Cancellation API उपलब्ध करवा दिये जाने के पश्चात् भी ई कनेक्ट के द्वारा आदिनांक तक इसको पॉर्टल पर implement नहीं किया गया है। इस संबंध में ई कनेक्ट को निर्देशित किया गया है दो दिवस के भीतर ही उक्त API को जांच कर किसी प्रकार की समस्या होने पर NIC के साथ सामंजस्य स्थापित कर पॉर्टल पर implement किया जाना सुनिश्चित करें एवं NIC द्वारा समस्याओं पर तुरंत कार्यवाही की जावेगी।

5. **नायब तहसीलदार व तहसीलदार का सर्किल डिवाईडेशन** :- इस संबंध में यह निर्णय लिया गया कि हाल मोबाईल एप में नायब तहसीलदार व तहसीलदार दोनों के डेशबोर्ड पर सभी ग्रामों की एपलीकेशन दिखाई जावे। जिसके उपरांत वे स्वयं के स्तर पर अपने-अपने सर्किल के नामांतरकरण निर्णित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

6. **P-21 एवं 6(1) की उपलब्धता** :- तहसीलदार झुंझुनू द्वारा अवगत करवाया गया कि वर्तमान में राजस्व अधिकारी एप से दर्ज किये जा रहे नामांतरकरणों की P-21 उपलब्ध नही हो रही है जिससे काश्तकारों को नकल जारी किया जाना संभव नही हो रहा है। साथ ही बैंक द्वारा जारी 6(1) नामांतरकरण निर्णित

होने के पश्चात् कृषि ऋण रहन पॉर्टल पर उलब्ध नही है। इस क्रम में निर्देशित किया गया कि NIC द्वारा उक्त P-21 एवं 6(1) को पीडीएफ फॉरमेट में उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

7. **बैंक स्तर पर एपलीकेशन अद्यतन का प्रावधान** :- वर्तमान में bank maker के द्वारा ऋण एपलीकेशन bank checker को अग्रेषित किये जाने के उपरांत पुन: bank maker को अद्यतन हेतु भेजे जाने का प्रावधान उपलब्ध नही है। इस संबंध में ई कनेक्ट को निर्देशित किया गया कि bank checker स्तर पर उक्तानुसार प्रावधान उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करे।

8. **अपनाखाता व ई-धरती से रहन संबंधी नामांतरकरण आवेदन बंद करवाने के क्रम में** :- बैठक में NIC को निर्देशित किया गया कि जहां-जहां पर कृषि ऋण रहन पोर्टल चल रहा है एवं भविष्य में जहां शुरू होगा, वहां पर NIC द्वारा अपनाखाता एवं ई-धरती के माध्यम से रहन संबंधी नामांतरकरण आवेदनों की प्रक्रियाएं बंद की जानी है।

9. **दोहरे नामांतरकरण की समस्या** :- बैंक द्वारा ऋण एपलीकेशन अग्रेषित किये जाने के समय कई बार तकनीकी समस्या के कारण एक ही 6(1) पर दो बार नामांतरकरण संख्या जारी हो रही है। यह समस्या अन्य म्यूटेशन में भी आ रही है। इस संबंध में पूर्व में भी DoIT&C के यहां आयोजित बैठक के बैठक कार्यवाही विवरण क्रमांक FS(1176)/DoIT/Tech/19/00414/2020 दिनांक 20.01.2020, पत्र 414 दिनांक 20.01.2020, पत्र 637 दिनांक 28.01.2020 में भी निर्देशित किया गया था। इस संबंध में NIC को म्यूटेशन संख्या जारी करने वाली API पर आवश्यक बदलाव हेतु निर्देशित किया गया।

10. **म्यूटेशन नं. पटवारी स्तर पर जारी किया जाना** :- वर्तमान में बैंक द्वारा ऋण एपलीकेशन अग्रेषित किये जाने पर बैंक स्तर पर ही नामांतरकरण संख्या जारी हो रही है। इस संबंध में निर्णय लिया गया कि बैंक स्तर पर एपलीकेशन अग्रेषित करने पर सिटिजन रेफरेंस नम्बर जारी किया जावे तथा पटवारी स्तर पर जांच उपरांत ही नामांतरकरण संख्या जारी की जावेगी। इस प्रावधान को करने हेतु ई- कनेक्ट को निर्देशित किया गया।

11. **Pendency report** :- राजस्व अधिकारी एप पर प्रत्येक स्तर की pendency report (Bank-wise, Patwari-wise, ILR-wise etc.) प्रदर्शित करवाने हेतु ई-कनेक्ट को निर्देशित किया गया।

12. **रहनमुक्त प्रावधान** :- बैठक में निर्णय लिया गया कि जिला झुन्झुनू में 01 सितम्बर, 2020 से रहनमुक्त के नामांतरकरण कृषि ऋण रहन पॉर्टल के माध्यम से दर्ज करने संबंधित आवश्यक प्रावधान NIC व ई-कनेक्ट के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

13. **पेपरलेस नामांतरकरण** :- तय किया गया कि आगामी बैठक में NIC व ई-कनेक्ट के द्वारा रहन व रहन-मुक्त के नामांतरकरण के अतिरिक्त अन्य सभी नामांतरकरणों को पेपरलेस करने हेतु ई-कनेक्ट को आवश्यक API उपलब्ध करवाने संबंधी कार्ययोजना NIC द्वारा सात दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया ताकि रहन की paperless प्रक्रिया के अनुरूप समस्त नामांतरकरण हो सके। इसमें यह भी निर्देशित किया गया कि ई-कनेक्ट द्वारा ग्राम सेवकों की आईडी

मैपिंग की सुविधा पटवारी स्तर पर उपलब्ध करवाई जावेगी। ई-कनेक्ट द्वारा बताया गया की वर्तमान में भी उनके द्वारा generic रूप से विकसित किया गया है जिसमें NIC से API होते ही तुरंत समस्त नामांतरकरण पेपरलेस हो जाऐंगे।

14. **कृषि ऋण रहन पोर्टल व पेपरलेस नामांतरकरण करने के क्रम में हैल्पडेस्क बनाने हेतु** :- बैठक में निर्णय लिया गया कि तहसील स्तर की गैर तकनीकी (प्रक्रियात्मक) समस्याओं को DRPG के द्वारा सर्वप्रथम हल किया जावेगा। इसके बाद शेष समस्याओं को DRPG द्वारा इस विभाग को भेजा जावेगा जिसको ई-कनेक्ट को अग्रेषित कर तकनीकी समस्याओं का समाधान करवाया जावेगा। जिला स्तर पर DIO के द्वारा ई-धरती / रहन आवेदनों संबंधी समस्याओं में DRPG की मदद करेंगे।

15. **ई- पंजीयन के साथ integration** :- बैठक में चर्चा की गई कि पूर्व में पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग से ई-पंजीयन की API हेतु आग्रह किया गया था जिससे बैंक द्वारा भेजे जाने वाले कृषि ऋण आवेदनों को ऑनलाईन ही पंजीयन कार्यालय के डेशबोर्ड पर भी भेजा जा सके। जिससे पंजीयन कार्यालयों में ऋण आवेदनों को भी पंजीकृत करवाया जा सके। जो कि आदिनांक तक लंबित है। इस क्रम में पुनः पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग को निर्देशित कर ई-कनेक्ट को API पांच दिवस में उपलब्ध करवाने हेतु निर्णय लिया गया। एवं ई-कनेक्ट को उक्त API प्राप्त होने पर integration संबंधी कार्य शीघ्र करवाने हेतु निर्देशित किया गया।

16. **ऑनलाईन गिरदावरी हेतु नियमों में संशोधन** :- राजस्व मण्डल प्रतिनिधि द्वारा अवगत करवाया गया कि ऑनलाईन गिरदावरी हेतु राजस्व नियमों में वांछित संशोधन हेतु प्रस्ताव राजस्थान सरकार को भिजवाये गये है। इन प्रस्तावों की एक प्रति भू प्रबंध विभाग को तीन दिवस में उपलब्ध करवाई जायेगी। सरकार द्वारा प्रक्रिया अमल में आने के पश्चात् वार्षिक / मौसमवार गिरदावरी के रिपोर्टिंग प्रपत्रों में आवश्यक संशोधन हेतु तीन दिवस में राजस्व मण्डल द्वारा इस विभाग को अवगत करवाया जावेगा। जिसके आधार पर आगामी खरीफ गिरदावरी से पूर्व RFP के Scope of Work के अनुसार ई-कनेक्ट द्वारा module में आवश्यक बदलाव समय पर किये जा सकेंगे।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(विश्व मोहन शर्मा)
भू प्रबन्ध आयुक्त
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः समसंख्यक/ 421-41
दिनांकः 24-09-2020

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
2. निजी सचिव, महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राजस्थान।

भू प्रबन्ध विभाग, विस्तार भवन, डाक बंगले के पीछे, गोपालबाड़ी, जयपुर-302001
दूरभाष नम्बर 0141-2381887, ई : मेल-acr-[illegible]@nic.in
वेबसाईट : http://landrevenue.rajasthan.gov.in/settlement

117 5

3. निजी सचिव, निबंधक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
4. निजी सचिव, आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. श्री एल.एस. कुडी, अति. महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राजस्थान।
6. निजी सहायक, अति. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
7. श्री आर. वरदराजन, अति. निदेशक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
8. श्री पी.के. सिंह, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी.।
9. श्री अरूण माथुर, तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी.।
10. श्री सुनिल भाटिया, संयुक्त निदेशक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राजस्थान।
11. श्री रोहिताश्व कुमार मीना, सिस्टम एनालिस्ट DILRMP (राजस्व एवं भू प्रबंध विभाग)।
12. श्री रतन लाल, एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, राजस्व विभाग।
13. श्री सौरभ बामनिया, एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
14. श्री शशि जैन, सहायक भू प्रबंध अधिकारी (जी.आई.एस.), मुख्यावास।
15. श्री कपिल कुमार, तहसीलदार, तहसील नवलगढ, जिला झुन्झुनू।
16. श्री विनोद पारीक, तहसीलदार, तहसील चौमू, जिला जयपुर।
17. श्री जे.पी. मीणा, जिला अग्रणी बैंक अधिकारी, जिला झुंझुनू।
18. सुश्री वर्षा शर्मा, प्रोग्रामर, मुख्यावास।
19. श्री महेश चंद, नायब तहसीलदार, तहसील दूदू, जिला जयपुर।
20. श्रीमती ममता मीणा, आर.पी.जी., तहसील दूदू, जिला जयपुर।
21. श्री मुदित जैन, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, मैसर्स ई-कनेक्ट सॉल्यूशनस प्रा.लि.।

(बलदेव राम धोजक)
अति. भू प्रबन्ध आयुक्त
राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांक:BR/ LR/ NLRMP/ F-126 / 2020 / 3183 दिनांक:– 23-09-2020

वरिष्ठ तकनीकी निदेशक,
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राजस्थान, राज्य ईकाई,
कमरा नम्बर 318, उत्तर पश्चिम खण्ड, शासन सचिवालय,
राजस्थान, जयपुर।

विषयः– प्रपत्र पी–21 में हुए परिवर्तन के अनुमोदन के क्रम
प्रसंगः– आपका पत्रांक 5904 दिनांक 27.08.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत मण्डल के पत्रांक 2558 दिनांक 30.07.2020 से प्रपत्र पी–21 के संबंध मे कुल किता, कुल रकबा, खाता अनुसार दिए जाने के साथ साथ काश्तकारों की संख्या का योग भी पुरानी प्रविष्टियों के कॉलम व नयी प्रविष्टियों के कॉलम में दिखाए जाने बाबत् मण्डल स्तर से अनुमोदन पूर्व एनआईसी में पदस्थापित पटवारी व आईएलआर की टिप्पणी भिजवाने हेतु लिखा गया ।

प्रासंगिक पत्र से एनआईसी में पदस्थापित पटवारी व आईएलआर की टिप्पणी/अनुशंसा भिजवाई गई जिसके द्वारा अवगत करवाया गया कि पोर्टल पर आ रही समस्याओं के अनुसार अधिकांश समस्याऐं खसरे व काश्तकार हटने के संबंध में आ रही हैं जो कि अधिकांशतः 1 नं. खाता व संस्थागत खाते जैसे नगरपालिका/जेडीए व चारागाह खाते से संबंधित होती हैं उनमें म्यूटेशन लॉक करने के बाद खसरे व काश्तकार हट जाने की समस्या बार बार आ रही हैं। समस्याओं की जांच के दौरान ऐसा देखा गया कि आरपीजी/पटवारी द्वारा समस्त खसरों/काश्तकारों की जांच नही कर पाते हैं क्योंकि खसरों की व काश्तकारों की संख्या अधिक होती हैं। कार्य के अधिकता के कारण आरपीजी द्वारा जांच संभव नही हो पाती व प्रिन्ट दे दिया जाकर लॉक कर दिया जाता हैं। प्रशिक्षण के दौरान आरपीजी/पटवारियों द्वारा इस तरह की समस्या के समाधान बाबत नामान्तरकरण में प्रत्येक खाते के नीचे उस खाते का गोश्वारा– कुल खसरा–कुल रकबा– काश्तकारों की संख्या ऑनलाईन पी–21 में दर्शायी जाने बाबत निवेदन किया था। समस्या की जांच के दौरान प्रतीत हुआ कि यदि ऑनलाईन पी–21 में यह विकल्प दिया जाता हैं तो अधिकतर खसरें /काश्तकार हटने की समस्या का निराकरण हो सकता हैं, अर्थात आरपीजी/पटवारी यह जांच कर सकेंगें कि 1–6 कॉलम में कितने खसरे/काश्तकार हैं व 7–12 कॉलम में नवीन स्थिति क्या हैं।

अतः उक्त के संबंध में प्रपत्र पी–21 के संबंध मे कुल किता,कुल रकबा, खाता अनुसार दिए जाने के साथ साथ काश्तकारों की संख्या का योग भी पुरानी प्रविष्टियों के कॉलम व नयी प्रविष्टियों के कॉलम में दिखाए जाने हेतु आपके द्वारा भिजवाया गया प्रपत्र पी–21 अनुमोदन कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

निबन्धक,
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर

क्रमांकः सम/ 3184-85 दिनांक 23-09-2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2 आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग एवं नोडल अधिकारी DILRMP जयपुर।

प्रभारी अधिकारी DILRMP,
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर

119

नामांतरकरण प्रपत्र (प-21)

ग्राम :छिर्र पटवार मण्डल :□ हलोता भू.अ.नि.वृत:सालो तहसील:दूदू जिला:जयपुर

नामांतरकरण का प्रकार : बेचान	प्रविष्टि का क्रम संख्या एवं दिनांक :482 23/06/2020	संवत तथा ढाल बांछ की क्रम संख्या:2076-207
रजिस्ट्रीकरण/बंधक संख्या एवं दिनांक :202003196100474 28/05/2020		नामांतरकरण शुल्क :20 शास्ति : 0

सही किये जाने के लिए प्रतिस्थापित वर्तमान जमाबंदी (खतौनी) में की प्रविष्टि						जमाबंदी में प्रतिस्थापित किये जाने के लिए प्रस्तावित नयी प्रविष्टि				
खाता संख्या	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	मृदा वर्गीकरण	राजस्व लगान	विशिष्टियों सहित काश्तकार का नाम	खाता संख्या	विशिष्टियों सहित काश्तकार का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	मृदा वर्गीकरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
143	16	1.3200	बारानी 2	5.28		143	1.) नन्दा पुत्र रामलाल	16	1.3200	बारानी 2
	76	0.9500	बारानी 1	5.70			हिस्सा- 3/8	76	0.9500	बारानी 1
					--बदस्तूर काश्तकार--		जाति- जाट सा. रामपुरा खातेदार राहिन हिस्सा-3/8 (पूर्ण खाता) एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा दूदू 2.) भँवर पुत्र छीतर हिस्सा- 1/2 जाति- जाट सा. रामपुरा। खातेदार 3.) रोडमल पुत्र रामलाल जाट हिस्सा- 1/8 जाति- जाट Chhirr खातेदार			

(क)पटवारी की रिपोर्ट :

हस्ताक्षर .....
पटवारी का नाम.....
दिनांक .....

(ख)भू.अ.निरीक्षक की जांच रिपोर्ट :

हस्ताक्षर .....
भू.अ.निरीक्षक का नाम.....
दिनांक .....

(□)ग्राम पंचायत/ राजस्व अधिकारी का आदेश :

हस्ताक्षर .....
ग्राम पंचायत/ राजस्व अधिकारी का नाम.....
दिनांक .....

P21 प्रतिलिपि प्राप्ति संख्या एवं दिनाँक : 1 [6/23/2020 11:27:07 AM]

120 3

नामांतरकरण प्रपत्र (प-21)

ग्राम :देवपुरा पटवार मण्डल :सिरोहीकला भू.अ.नि.वृत:पडासोली तहसील:दूदू जिला:जयपुर

नामांतरकरण का प्रकार : बेचान	प्रविष्टि का क्रम संख्या एवं दिनांक :285 23/06/2020	संवत तथा ढाल बांछ की क्रम संख्या:2076-2079
रजिस्ट्रीकरण/बंधक संख्या एवं दिनांक :202003196100470 27/05/2020		नामांतरकरण शुल्क :20 शास्ति : 0

121

ग्राम :देवपुरा पटवार मण्डल :सिरोहीकला भू.अ.नि.वृत:पडासोली तहसील:दूदू जिला:जयपुर

नामांतरकरण का प्रकार : बेचान	प्रविष्टि का क्रम संख्या एवं दिनांक :285 23/06/2020	संवत तथा ढाल बांछ की क्रम संख्या:2076-2079
रजिस्ट्रीकरण/बंधक संख्या एवं दिनांक :202003196100470 27/05/2020		नामांतरकरण शुल्क :20 शास्ति : 0

सही किये जाने के लिए प्रतिस्थापित वर्तमान जमाबंदी (खतौनी) में की प्रविष्टि						जमाबंदी में प्रतिस्थापित किये जाने के लिए प्रस्तावित नयी प्रविष्टि					
खाता संख्या	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	मृदा वर्गीकरण	राजस्व लगान	विशिष्टियों सहित काश्तकार का नाम	खाता संख्या	विशिष्टियों सहित काश्तकार का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	मृदा वर्गीकरण	राजस्व लगान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	359	2.0000	बारानी 2	6.00	--बदस्तूर काश्तकार--	54	1.) हजारी पुत्र नानूराम हिस्सा- 1/3 जाति- गुर्जर मा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/3 (पूर्ण खाता) एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा दगरू 2.) शिवनारायण पुत्र माँगू हिस्सा- 1/12 जाति- गुर्जर मा. देह खातेदार 3.) बाबूलाल पुत्र माँगू हिस्सा- 1/12 जाति- गुर्जर मा. देह खातेदार 4.) रोडूराम पुत्र माँगू हिस्सा- 1/12 जाति- गुर्जर मा. देह खातेदार 5.) हरिनारायण पुत्र माँगू हिस्सा- 1/12 जाति- गुर्जर मा. देह खातेदार 6.) कन्या पत्नि हरदेव हिस्सा- 2/21 जाति- गुर्जर Devpura खातेदार 7.) कमला पत्नि हजारी हिस्सा- 4/63 जाति- गुर्जर Devpura खातेदार 8.) सम्पति देवी पत्नि भीम सिंह गुर्जर हिस्सा- 2/21 जाति- गुर्जर Devpura खातेदार 9.) हीरा देवी पत्नि बाबुलाल हिस्सा- 5/63 जाति- गुर्जर Devpura खातेदार	359	2.0000	बारानी 2	6.00

(क)पटवारी की रिपोर्ट :

हस्ताक्षर .....
पटवारी का नाम.....
दिनांक .....

(ख)भू.अ.निरीक्षक की जांच रिपोर्ट :

हस्ताक्षर .....
भू.अ.निरीक्षक का नाम.....
दिनांक .....

(ग)ग्राम पंचायत/ राजस्व अधिकारी का आदेश :

हस्ताक्षर .....
ग्राम पंचायत/ राजस्व अधिकारी का नाम.....
दिनांक .....

P21 प्रतिलिपि प्राप्ति संख्या एवं दिनाँक : 1 [6/23/2020 11:25:05 AM]

122

नामांतरकरण प्रपत्र (प-21)

ग्राम :देवपुरा पटवार मण्डल :सिरोहीकला भू.अ.नि.वृत:पडासोली तहसील:दूदू जिला:जयपुर

नामांतरकरण का प्रकार : बेचान	प्रविष्टि का क्रम संख्या एवं दिनांक :284 23/06/2020	संवत तथा ढाल बांछ की क्रम संख्या:2076-2079
रजिस्ट्रीकरण/बंधक संख्या एवं दिनांक :202003196100465 22/05/2020		नामांतरकरण शुल्क :20 शास्ति : 0

123

ग्राम :देवपुरा पटवार मण्डल :सिरोहीकला भू.अ.नि.वृत:पडासोली तहसील:दूदू जिला:जयपुर

नामांतरकरण का प्रकार : बेचान	प्रविष्टि का क्रम संख्या एवं दिनांक :284 23/06/2020	संवत तथा ढाल बांछ की क्रम संख्या:2076-2079
रजिस्ट्रीकरण/बंधक संख्या एवं दिनांक :202003196100465 22/05/2020		नामांतरकरण शुल्क :20 शास्ति : 0

सही किये जाने के लिए प्रतिस्थापित वर्तमान जमाबंदी (खतौनी) में की प्रविष्टि						जमाबंदी में प्रतिस्थापित किये जाने के लिए प्रस्तावित नयी प्रविष्टि					
खाता संख्या	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	मृदा वर्गीकरण	राजस्व लगान	विशिष्टियों सहित काश्तकार का नाम	खाता संख्या	विशिष्टियों सहित काश्तकार का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	मृदा वर्गीकरण	राजस्व लगान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	177	1.5000	बारानी 3	3.00		70	1.) हरदेव पुत्र छोटू	177	1.5000	बारानी 3	3.00
	205	0.0400	चाही 3	0.48			हिस्सा- 1/24	205	0.0400	चाही 3	0.48
	206	0.0600	चाही 3	0.72			जाति- जाट सा. देह । खातेदार	206	0.0600	चाही 3	0.72
	207	2.3000	बारानी 3	4.60			2.) देवा दत्तक पुत्र सुवा	207	2.3000	बारानी 3	4.60
	217	1.4900	बारानी 3	2.98			हिस्सा- 1/8	217	1.4900	बारानी 3	2.98
					--बदस्तूर काश्तकार--		जाति- जाट सा. देह । खातेदार 3.) भारमल पुत्र नाथू हिस्सा- 1/4 जाति- जाट सा. देह । खातेदार राहिन हिस्सा-1/4 (पूर्ण खाता) रतनाकर बैंक लिमिटेड शाखा MOHANPURA 4.) रामधन पुत्र छोटू हिस्सा- 1/24 जाति- जाट सा. देह । खातेदार 5.) लादू पुत्र छोटू हिस्सा- 1/24 जाति- जाट सा. देह । खातेदार 6.) मनफूलीदेवी पत्नि शैतान हिस्सा- 1/4 जाति- जाट सा. देह । खातेदार 7.) रतना पुत्र जगन्नाथ हिस्सा- 1/24 जाति- जाट सा. देह । खातेदार 8.) श्योजी पुत्र जगन्नाथ हिस्सा- 1/24 जाति- जाट सा. देह । खातेदार 9.) रामलाल पुत्र जगन्नाथ हिस्सा- 1/24 जाति- जाट सा. देह । खातेदार 10.) चंदा देवी पत्नि दानाराम हिस्सा- 1/8 जाति- जाट Devpura खातेदार					

(क)पटवारी की रिपोर्ट :

हस्ताक्षर .....

पटवारी का नाम.....

दिनांक .....

(ख)भू.अ.निरीक्षक की जांच रिपोर्ट :

हस्ताक्षर .....

भू.अ.निरीक्षक का नाम.....

दिनांक .....

(□)ग्राम पंचायत/ राजस्व अधिकारी का आदेश :

हस्ताक्षर .....

ग्राम पंचायत/ राजस्व अधिकारी का नाम.....

दिनांक .....

124

ग्राम :देवपुरा पटवार मण्डल :सिरोहीकला भू.अ.नि.वृत:पडासोली तहसील:दूदू जिला:जयपुर

नामांतरकरण का प्रकार : बेचान	प्रविष्टि का क्रम संख्या एवं दिनांक :284 23/06/2020	संवत तथा ढाल बांछ की क्रम संख्या:2076-2079
रजिस्ट्रीकरण/बंधक संख्या एवं दिनांक :202003196100465 22/05/2020		नामांतरकरण शुल्क :20 शास्ति : 0

P21 प्रतिलिपि प्राप्ति संख्या एवं दिनाँक : 1 [6/23/2020 11:24:32 AM]

125

नामांतरकरण प्रपत्र (प-21)

ग्राम :मरवा पटवार मण्डल :मरवा भू.अ.नि.वृत:मरवा तहसील:दूदू जिला:जयपुर

नामांतरकरण का प्रकार : बेचान	प्रविष्टि का क्रम संख्या एवं दिनांक :572 23/06/2020	संवत तथा ढाल बांछ की क्रम संख्या:2073-2076
रजिस्ट्रीकरण/बंधक संख्या एवं दिनांक :202003196100472 27/05/2020		नामांतरकरण शुल्क :20 शास्ति : 0

सही किये जाने के लिए प्रतिस्थापित वर्तमान जमाबंदी (खतौनी) में की प्रविष्टि						जमाबंदी में प्रतिस्थापित किये जाने के लिए प्रस्तावित नयी प्रविष्टि					
खाता संख्या	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	मृदा वर्गीकरण	राजस्व लगान	विशिष्टियों सहित काश्तकार का नाम	खाता संख्या	विशिष्टियों सहित काश्तकार का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	मृदा वर्गीकरण	राजस्व लगान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
252	1134	3.4800	बारानी 3	6.96	--बदस्तूर काश्तकार--	252	1.) जगदीश चौधरी पुत्र भीवाराम चौधरी हिस्सा- 1/2 जाति- जाट धुधारियो ढाणी हिरनोदा तह फुलेरा खातेदार 2.) विनोद सैनी पुत्र ओमप्रकाश सैनी हिस्सा- 1/2 जाति- सैनी (माली) Marwa खातेदार	1134	3.4800	बारानी 3	6.96

(क)पटवारी की रिपोर्ट :

हस्ताक्षर .....
पटवारी का नाम.....
दिनांक .....

(ख)भू.अ.निरीक्षक की जांच रिपोर्ट :

हस्ताक्षर .....
भू.अ.निरीक्षक का नाम.....
दिनांक .....

(ग)ग्राम पंचायत/ राजस्व अधिकारी का आदेश :

हस्ताक्षर .....
ग्राम पंचायत/ राजस्व अधिकारी का नाम.....
दिनांक .....

P21 प्रतिलिपि प्राप्ति संख्या एवं दिनाँक : 1 [6/23/2020 11:25:36 AM]

126

नामांतरकरण प्रपत्र (प-21)

ग्राम :साखून पटवार मण्डल :साखून भू.अ.नि.वृत:साली तहसील:दूदू जिला:जयपुर

नामांतरकरण का प्रकार : बेचान	प्रविष्टि का क्रम संख्या एवं दिनांक :1450 23/06/2020	संवत तथा ढाल बांछ की क्रम संख्या:2075-2078
रजिस्ट्रीकरण/बंधक संख्या एवं दिनांक :202003196100485 01/06/2020		नामांतरकरण शुल्क :20 शास्ति : 0

सही किये जाने के लिए प्रतिस्थापित वर्तमान जमाबंदी (खतौनी) में की प्रविष्टि						जमाबंदी में प्रतिस्थापित किये जाने के लिए प्रस्तावित नयी प्रविष्टि					
खाता संख्या	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	मृदा वर्गीकरण	राजस्व लगान	विशिष्टियों सहित काश्तकार का नाम	खाता संख्या	विशिष्टियों सहित काश्तकार का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	मृदा वर्गीकरण	राजस्व लगान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
732	546/5269	0.5900	बारानी 2	1.77	--बदस्तूर काश्तकार--	732	1.) लाली पत्नि महराम हिस्सा- 1/2 जाति- जाट मा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/2 (पूर्ण खाता) जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा साखून 2.) भूरीदेवी पत्नि गोविन्द हिस्सा- 15/46 जाति- जाट मा. देह खातेदार 3.) लछमन राम जाट पुत्र लादू राम जाट हिस्सा- 4/23 जाति- जाट Sakhun खातेदार	546/5269	0.5900	बारानी 2	1.77

(क)पटवारी की रिपोर्ट :

हस्ताक्षर .....
पटवारी का नाम.....
दिनांक .....

(ख)भू.अ.निरीक्षक की जांच रिपोर्ट :

हस्ताक्षर .....
भू.अ.निरीक्षक का नाम.....
दिनांक .....

(ठ)ग्राम पंचायत/ राजस्व अधिकारी का आदेश :

हस्ताक्षर .....
ग्राम पंचायत/ राजस्व अधिकारी का नाम.....
दिनांक .....

P21 प्रतिलिपि प्राप्ति संख्या एवं दिनाँक : 1 [6/23/2020 11:27:43 AM]

10

127

नामांतरकरण प्रपत्र (प-21)

ग्राम :मरवा पटवार मण्डल :मरवा भू.अ.नि.वृत:मरवा तहसील:दूदू जिला:जयपुर

नामांतरकरण का प्रकार : बेचान	प्रविष्टि का क्रम संख्या एवं दिनांक :570 23/06/2020	संवत तथा ढाल बांछ की क्रम संख्या:2073-2076
रजिस्ट्रीकरण/बंधक संख्या एवं दिनांक :202003196100382 11/03/2020		नामांतरकरण शुल्क :20 शास्ति : 0

सही किये जाने के लिए प्रतिस्थापित वर्तमान जमाबंदी (खतौनी) में की प्रविष्टि						जमाबंदी में प्रतिस्थापित किये जाने के लिए प्रस्तावित नयी प्रविष्टि					
खाता संख्या	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	मृदा वर्गीकरण	राजस्व लगान	विशिष्टियों सहित काश्तकार का नाम	खाता संख्या	विशिष्टियों सहित काश्तकार का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	मृदा वर्गीकरण	राजस्व लगान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
252	1134	3.4800	बारानी 3	6.96	--बदस्तूर काश्तकार--	252	1.) शंकरलाल पुत्र विरदीचन्द हिस्सा- 1/2 जाति- महाजन सा. सावरदा खातेदार 2.) हंसा सैनी पत्नि विनोद सैनी हिस्सा- 1/2 जाति- माली Marwa खातेदार	1134	3.4800	बारानी 3	6.96

(क)पटवारी की रिपोर्ट :

हस्ताक्षर .....
पटवारी का नाम.....
दिनांक .....

(ख)भू.अ.निरीक्षक की जांच रिपोर्ट :

हस्ताक्षर .....
भू.अ.निरीक्षक का नाम.....
दिनांक .....

(ठ)ग्राम पंचायत/ राजस्व अधिकारी का आदेश :

हस्ताक्षर .....
ग्राम पंचायत/ राजस्व अधिकारी का नाम.....
दिनांक .....

P21 प्रतिलिपि प्राप्ति संख्या एवं दिनाँक : 1 [6/23/2020 11:21:14 AM]

ग्राम :साखून पटवार मण्डल :साखून भू.अ.नि.वृत:साली तहसील:दूदू जिला:जयपुर

नामांतरकरण का प्रकार : बेचान	प्रविष्टि का क्रम संख्या एवं दिनांक :1442 23/06/2020	संवत तथा ढाल बांछ की क्रम संख्या:2075-2078
रजिस्ट्रीकरण/बंधक संख्या एवं दिनांक :202003196100473 27/05/2020		नामांतरकरण शुल्क :20 शास्ति : 0

सही किये जाने के लिए प्रतिस्थापित वर्तमान जमाबंदी (खतौनी) में की प्रविष्टि

खाता संख्या	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	मृदा वर्गीकरण	राजस्व लगान	विशिष्टियों सहित काश्तकार का नाम
1	2	3	4	5	6
380	2455	0.2200	बारानी 2	0.66	
	2457	0.0300	बारानी 2	0.09	
	2459	0.5300	बारानी 2	1.59	
	2460	0.1000	बारानी 2	0.30	
	2461	0.0900	बारानी 2	0.27	
	2464	0.2000	गै.मु. पाल		
	2476	0.5200	बंजड़	0.52	
	2479	0.2200	बंजड़	0.22	
	2480	0.2200	बंजड़	0.22	
	2481	0.1900	बंजड़	0.19	
	2482	0.0100	गै.मु.चाह		
	2483	0.5700	गै.मु. पाल		
	2490	0.0700	बंजड़	0.07	
	2491	0.0300	बंजड़	0.03	
	2496	0.0300	बंजड़	0.03	
	2499	0.3500	बंजड़	0.35	
	2500	0.3500	बंजड़	0.35	
	2501	0.4000	बंजड़	0.40	
	2502	0.5600	बंजड़	0.56	
	2505	0.9000	बंजड़	0.90	
	2506	0.2200	बंजड़	0.22	
	2577	1.4600	बारानी 2	4.38	
	2590	0.4600	बंजड़	0.46	
	2591	0.1000	बंजड़	0.10	
	2592	0.1600	बंजड़	0.16	
	2593	0.1600	बंजड़	0.16	
	2605	2.0900	बारानी 2	6.27	
	2607	2.1600	तालाबी 1	12.96	
	2608	0.0500	गै.मु. पाल		
	2609	0.3800	गै.मु. पाल		
	2610	0.4100	तालाबी 1	2.46	
	2611	0.5300	तालाबी 1	3.18	
	2612	0.8300	बंजड़	0.83	

--बदस्तूर काश्तकार--

जमाबंदी में प्रतिस्थापित किये जाने के लिए प्रस्तावित नयी प्रविष्टि

खाता संख्या	विशिष्टियों सहित काश्तकार का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	मृदा वर्गीकरण	राजस्व लगान
7	8	9	10	11	12
380	1.) बाबूलाल पुत्र भंवरलाल	2455	0.2200	बारानी 2	0.66
	हिस्सा- 1/24	2457	0.0300	बारानी 2	0.09
	जाति- तेली मा. देह खातेदार	2459	0.5300	बारानी 2	1.59
	राहिन हिस्सा-1/24 (पूर्ण खाता) एचडीएफसी बैंक	2460	0.1000	बारानी 2	0.30
	लिमिटेड शाखा बगरू	2461	0.0900	बारानी 2	0.27
	2.) सूरजमल पुत्र बालुराम	2464	0.2000	गै.मु. पाल	
	हिस्सा- 1/6	2476	0.5200	बंजड़	0.52
	जाति- तेली मा. देह खातेदार	2479	0.2200	बंजड़	0.22
	राहिन हिस्सा-1/6 (पूर्ण खाता) जयपुर थार	2480	0.2200	बंजड़	0.22
	ग्रामीण बैंक शाखा साखून	2481	0.1900	बंजड़	0.19
	3.) ओमप्रकाश पुत्र भंवरलाल	2482	0.0100	गै.मु.चाह	
	हिस्सा- 1/24	2483	0.5700	गै.मु. पाल	
	जाति- तेली मा. देह खातेदार	2490	0.0700	बंजड़	0.07
	राहिन हिस्सा-1/24 (पूर्ण खाता) जयपुर थार	2491	0.0300	बंजड़	0.03
	ग्रामीण बैंक शाखा साखून	2496	0.0300	बंजड़	0.03
	4.) मोहनलाल पुत्र मदनलाल	2499	0.3500	बंजड़	0.35
	हिस्सा- 1/12	2500	0.3500	बंजड़	0.35
	जाति- तेली मा. देह खातेदार	2501	0.4000	बंजड़	0.40
	राहिन हिस्सा-1/12 (पूर्ण खाता) जयपुर थार	2502	0.5600	बंजड़	0.56
	ग्रामीण बैंक शाखा साखून	2505	0.9000	बंजड़	0.90
	5.) रामधन पुत्र रामदेव	2506	0.2200	बंजड़	0.22
	हिस्सा- 1/6	2577	1.4600	बारानी 2	4.38
	जाति- तेली मा. देह खातेदार	2590	0.4600	बंजड़	0.46
	राहिन हिस्सा-1/6 (पूर्ण खाता) आईसीआईसीआई बैंक	2591	0.1000	बंजड़	0.10
	लिमिटेड शाखा किशनगढ	2592	0.1600	बंजड़	0.16
	6.) राधेश्याम पुत्र मदनलाल	2593	0.1600	बंजड़	0.16
	हिस्सा- 1/12	2605	2.0900	बारानी 2	6.27
	जाति- तेली मा. देह खातेदार	2607	2.1600	तालाबी 1	12.96
	राहिन हिस्सा-1/12 (पूर्ण खाता) RMGB शाखा	2608	0.0500	गै.मु. पाल	
	साखून	2609	0.3800	गै.मु. पाल	
	7.) सुवालाल पुत्र बालूराम	2610	0.4100	तालाबी 1	2.46
	हिस्सा- 1/6	2611	0.5300	तालाबी 1	3.18

12

129

ग्राम :साखून पटवार मण्डल :साखून भू.अ.नि.वृत:साली तहसील:दूदू जिला:जयपुर

नामांतरकरण का प्रकार : बेचान	प्रविष्टि का क्रम संख्या एवं दिनांक :1442 23/06/2020	संवत तथा ढाल बांछ की क्रम संख्या:2075-2078
रजिस्ट्रीकरण/बंधक संख्या एवं दिनांक :202003196100473 27/05/2020		नामांतरकरण शुल्क :20 शास्ति : 0

जाति- तेली सा. देह खातेदार 2612 0.8300 बंजड़ 0.83
8.) गोपाल पुत्र हीरालाल
हिस्सा- 1/12
जाति- तेली सा. देह खातेदार
9.) सीताराम पुत्र भंवरलाल
हिस्सा- 1/24
जाति- तेली सा. देह खातेदार
10.) पार्वती पत्नि भंवरलाल
हिस्सा- 1/24
जाति- तेली सा. देह खातेदार
11.) आरतीसाहू पत्नि सुरेशचन्द साहू
हिस्सा- 1/288
जाति- तेली सा.देह खातेदार
12.) किरणदेवी पत्नि राकेश
हिस्सा- 1/288
जाति- तेली सा.देह खातेदार
13.) पार्वतीदेवी पत्नि मनोज
हिस्सा- 1/288
जाति- तेली सा.देह खातेदार
14.) सोनूदेवी पत्नि शंकरलाल
हिस्सा- 1/288
जाति- तेली सा.देह खातेदार
15.) आरती साहू पत्नि सुरेश चन्द
हिस्सा- 5/288
जाति- तेली Sakhun खातेदार
16.) किरण पत्नि राकेश
हिस्सा- 5/288
जाति- तेली Sakhun खातेदार
17.) पार्वती देवी पत्नि मनोज
हिस्सा- 5/288
जाति- तेली Sakhun खातेदार
18.) सोनू देवी पत्नि शंकर लाल
हिस्सा- 5/288
जाति- तेली Sakhun खातेदार

(क)पटवारी की रिपोर्ट :

हस्ताक्षर .....
पटवारी का नाम.....
दिनांक .....

(ख)भू.अ.निरीक्षक की जांच रिपोर्ट :

हस्ताक्षर .....
भू.अ.निरीक्षक का नाम.....
दिनांक .....

(ग)ग्राम पंचायत/ राजस्व अधिकारी का आदेश :

हस्ताक्षर .....
ग्राम पंचायत/ राजस्व अधिकारी का नाम.....
दिनांक .....

P21 प्रतिलिपि प्राप्ति संख्या एवं दिनाँक : 1 [6/23/2020 11:26:37 AM]

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांकःराम/DILRMP./प–126/2020/ 2790 दिनांक-- 24-08-2020

श्री अरूण माथुर
वरिष्ठ तकनीकी निदेशक,
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राजस्थान, राज्य ईकाई,
कमरा नम्बर 318, उत्तर पश्चिम खण्ड,
शासन सचिवालय, राजस्थान,

विषयः– फतेहगढ तहसील के 134 ग्रामों की अंतिम स्थाई जमाबन्दी के प्रिण्ट के संबंध में।
प्रसंगः– कार्यालय जिला कलक्टर (भू–अभिलेख), जैसलमेर के पत्रांक 1484 दिनांक 21.07.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र से जिला कलक्टर जैसलमेर द्वारा अवगत करवाया गया कि तहसील फतेहगढ ऑनलाईन किए जाने के समय फतेहगढ तहसील के 134 ग्रामों की अंतिम स्थाई जमाबन्दी के प्रिण्ट नहीं लिए गए थे और न ही इन स्थाई जमाबंदियों की पीडीएफ फाईलें बनाई गई थी। जैसलमेर जिले भौगोलिक स्थिति के कारण नेटवर्क की समस्या रहती हैं। कई बार वेबसाईट की तकनीकी समस्या के कारण राजस्व कार्मिकों के लिए जमाबन्दी ऑनलाईन देख पाना संभव नही होता हैं। इस स्थिति में राजस्व अधिकारियों/कार्मिकों व आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ता हैं। उक्त कठिनाईयों को देखते हुए तहसील फतेहगढ के 134 ग्रामों की अंतिम स्थाई जमाबन्दियों को प्रिण्ट करवाया जाना आवश्यक हैं।

अतः उक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता हैं अंतिम स्थाई जमाबंदियों के प्रिण्ट का सॉफ्टवेयर में प्रावधान करावें। साथ ही मण्डल के पत्रांक 478 दिनांक 15.03.2019 से खसरा इन्डेक्स जनरेट किये जाने तथा ग्रामों की जमाबन्दी जिम्मनवार व्यवस्थित किये जाने हेतु सॉफ्टवेयर में प्रावधान किये जाने बाबत् निर्देशित किया गया था। इस क्रम में आपके द्वारा की गई कार्यवाही से मण्डल को अवगत करावें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

भवदीय,

निबंधक,
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

क्रमांकः सम/2791-93 दिनांक 24-08-2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2 आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग एवं नोडल अधिकारी DILRMP जयपुर।
3. जिला कलक्टर, जैसलमेर।

प्रभारी अधिकारी (DILRMP)
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

E-Mail 131

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

दिनांक:- 15-03-19

क्रमांक:BR/ LR/ NLRMP/ F-126/ / /2018/478

तकनीकी निदेशक,
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राजस्थान, राज्य ईकाई,
कमरा नम्बर 318, उत्तर पश्चिम खण्ड, शासन सचिवालय,
राजस्थान, जयपुर।

विषय :- ई-धरती सॉफ्टवेयर में प्रावधान के संबंध में।

महोदय,

ऑनलाईन तहसीलों में ऑनलाईन कार्य किए जाने में ई-धरती सॉफ्टवेयर में आ रही समस्याओं के निस्तारण के संबंध में दिनांक 08.03.2019 को मण्डल तथा एनआईसी द्वारा जयपुर स्थित कार्यालय में चर्चा की गई। चर्चा उपरान्त ई-धरती सॉफ्टवेयर में निम्नलिखित प्रावधान करवाए जाने का निर्णय लिया गया :-

1. ई-धरती सॉफ्टवेयर में लॉगिन किए जाने हेतु कलक्टर (भू0अ0)/ तहसीलदार/ना0तहसीलदार/ऑफिस कानूनगो/अतिरिक्त आफिस कानूनगो/तहसील व जिला रिसोर्स परसन/ अन्य की यूजर आई0डी0 को आधार कार्ड बेस किए जाने का प्रावधान किया जावे। ताकि संबंधित कार्मिक के द्वारा किये गये कार्यो के लिए जिम्मेदारी तय की जा सके।
2. एक तहसील में अधिकतम दो तहसील रिसोर्स परसन के लिए ई-धरती सॉफ्टवेयर में लॉगिन किए जाने का प्रावधान किया जावे।
   जो पटवारी अपने क्षेत्र का कार्य स्वयं किए जाने के प्रयोजन से लॉगिन आई0डी0 की मांग करतें है उनके लिए भी तहसील रिसोर्स परसन की लॉगिन आई0डी0 से यूजर आई0डी0 जनरेट किए जाने का प्रावधान किया जावे। साथ ही ऐसी यूजर आई0डी0 से केवल "संबंधित पटवार क्षेत्र/भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र" का डेटा ही उपलब्ध हो, का प्रावधान भी सॉफ्टवयेर में किया जावें।
3. तहसील क्षेत्राधिकार के प्रथम रिसोर्स परसन की आई0डी0 के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार समस्त आई0डी0 को प्रथम तहसील रिसोर्स परसन द्वारा जनरेट किया जावे जिसे स्वीकार करने का दायित्व तहसीलदार को प्रदत्त किया जावें, उक्तानुसार आवश्यक प्रावधान सॉफ्टवेयर में किया जावे।
4. तहसीलदार की आई0डी0 जनरेट करने का कार्य जिला रिसोर्स परसन द्वारा किया जावे, जिसे स्वीकार करने का कार्य जिला कलक्टर (भू0अ0) द्वारा किया जाने का प्रावधान किया जावे।
5. खातों के जिम्मन में यदि नियमानुसार किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना है तो ऑफिस कानूनगों/अतिरिक्त आफिस कानूनगों की यूजर आई0डी0 से परिवर्तन/संशोधन का प्रावधान सॉफ्टवेयर में किया जावे।
6. किसी खाते में न्यायालय स्थगन, कुर्की, पैट्रोलियम पाईप लाईन, लीज, खनन प्रभावित क्षेत्र, अवाप्ताधीन भूमि, रेफरेंस आदि होने पर लगाए जाने वाले नोट में संबंधित तहसीलदार द्वारा दिए गए आदेश क्रमांक की अनिवार्यता का प्रावधान सॉफ्टवेयर में किया जावे।
7. प्रत्येक वर्ष 15 मई को खसरा इन्डेक्स व्यवस्थित रूप से जनरेट किए जाने का प्रावधान सॉफ्टवेयर में किया जावें। ताकि खसरा गिरदावरी का कार्य सुचारू रूप से संपादित कराया जा सके।
8. प्रत्यक वर्ष की 16 जून को समस्त ऑनलाईन तहसीलों के समस्त ग्रामों की जमाबन्दी जिम्मनवार हिन्दी वर्णमाला के वर्णानुक्रम में (रदीफवार अनुक्रम में) सुव्यवस्थित किए जाने हेतु सॉफ्टवेयर में प्रावधान किया जावें।

निबन्धक,
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर

CONT...

Jan 19 letter 114

133

राजस्थान-सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर (भू-अ.) धौलपुर

क्रमांक/भू-अ./एलआरसी/विविधि/2020/ 1757 दिनांकः-29/05/2020

निबंधक महोदय
राजस्व मंडल राजस्थान
अजमेर

विषयः- ई-धरती (ऑनलाईन) पोर्टल में नवीन राजस्व ग्राम बजवाने के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि जिले में DILRMP अन्तर्गत सात में से 6 तहसील ऑनलाईन हो चुकी है। जिनमें नामान्तकरण दर्ज करने की कार्यवाही ऑनलाईन ही संपादित की जा रही है। इसके साथ ही ऑनलाईन तहसीलों में नवीन सृजित राजस्व ग्रामों का रिकार्ड भी पृथक किया जाना है, परन्तु अभी तक नवीन राजस्व ग्राम का रिकार्ड ई-धरती पोर्टल में पृथक करने का विकल्प प्राप्त नही हुआ है। जिससे जिलें में नवीन सृजित तीन राजस्व ग्रामों का रिकार्ड ऑनलाईन पृथक नही हो पाया है।

अतः इस सन्दर्भ में श्रीमान से निवेदन है कि नवीन सृजित राजस्व ग्रामों के रिकार्ड ऑनलाईन पृथक करने का विकल्प ई-धरती पोर्टल पर उपलब्ध करवाने हेतु एनआईसी जयपुर को निर्देशित करने की कृपा करें।

जिला कलक्टर (भू-अभि.)
धौलपुर

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांकःराम / DILRMP. / प–126 / 2020/ 2262 दिनांकः– 21-07-2020

श्री अरूण माथुर
वरिष्ठ तकनीकी निदेशक,
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राजस्थान, राज्य ईकाई,
कमरा नम्बर 318, उत्तर पश्चिम खण्ड,
शासन सचिवालय, राजस्थान,

विषय :– ई–धरती(ऑनलाईन) सॉफ्टवेयर में नवीन राजस्व ग्राम बनवाने के क्रम में।

प्रसंग :– कार्यालय जिला कलक्टर(भू.अ.) धौलपुर का पत्रांक 1757 दिनांक 29.05.2020

महोदय,

उपरोक्त प्रासंगिक पत्र से कार्यालय जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा अवगत करवाया गया कि जिले में डीआईएलआरएमपी अन्तर्गत सात में से 6 तहसील ऑनलाईन हो चुकी हैं। जिनमें नामान्तरकरण दर्ज करने की कार्यवाही ऑनलाईन ही संपादित की जा रही है। इसके साथ ही ऑनलाईन तहसीलों में नवीन सृजित राजस्व ग्रामों का रिकॉर्ड भी पृथक किया जाना हैं, परन्तु अभी तक नवीन राजस्व ग्राम का रिकार्ड ई–धरती पोर्टल में पृथक करने का विकल्प प्राप्त नही हुआ हैं। जिससे जिलें में नवीन सृजित तीन राजस्व ग्रामों का रिकार्ड ऑनलाईन पृथक नही हो पाया हैं।

इस संबंध में मण्डल द्वारा पूर्व में भी सॉफ्टवेयर से नवीन राजस्व ग्राम बनाये जाने हेतु निर्देशित किया गया हैं। अतः जिला कलक्टर धौलपुर के पत्र की प्रति सलंग्न कर ई–धरती सॉफ्टवेयर में नवीन राजस्व ग्राम बनाये जाने संबंधी प्रावधान उपलब्ध करा मण्डल को अवगत करावे जिससे सम्पूर्ण राज्य में कार्यवाही प्रारम्भ की जा सके।

भवदीय,

निबंधक
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

प्रतिलिपि :क्रमांकः सम/ 2263-2299 दिनांक 21-07-2020

1. आयुक्त, भू–प्रबंध विभाग एवं नोडल अधिकारी DILRMP, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–1) विभाग, जयपुर
3. कार्यालय जिला कलक्टर धौलपुर, एनआईसी, जयपुर से समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही कर मण्डल को अवगत करावें।
4. जिला कलक्टर, समस्त।

प्रभारी अधिकारी (DILRMP)
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर